



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन
राजस्व प्रक्षेत्र



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



बिहार सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-1

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन
राजस्व प्रक्षेत्र

बिहार सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-1

विषय-सूची

	कड़िका संख्या	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय-1: सामान्य		
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.2	6
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन-संक्षिप्त स्थिति	1.3	8
लेखापरीक्षा पर विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया	1.4	10
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.5	12
इस प्रतिवेदन का आच्छादन	1.6	12
अध्याय-2: वाणिज्य-कर		
कर प्रशासन	2.1	13
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	13
आवर्त का छिपाव किया जाना	2.3	15
कटौतियों के गलत लाभ/दावा के कारण कर का कम आरोपण	2.4	16
स्वीकृत कर एवं ब्याज का भुगतान नहीं/कम किया जाना	2.5	16
प्रवेश कर के बिलम्ब से भुगतान पर ब्याज आरोपित नहीं किया जाना	2.6	17
अध्याय-3: राजस्व एवं भूमि सुधार		
परिचय	3.1	19
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	19
जिला भू अर्जन कार्यालयों में मुआवजे/अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान का लेखापरीक्षा	3.3	20
अध्याय-4: वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	4.1	29
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	29
मोटर वाहनों पर कर एवं शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण की विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा	4.3	30
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के ऋण के समायोजन में परिवहन विभाग द्वारा तथ्यों का भ्रामक प्रस्तुतीकरण	4.4	62
धर्मकॉटा के निर्माण में निरर्थक व्यय	4.5	64

अध्याय-5: मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क		
कर प्रशासन	5.1	67
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	67
बिहार निबंधन नियमावली 2008 में सेवा प्रभार के संग्रहण का अवैध प्रावधान के परिणामस्वरूप सेवा प्रभार का अनियमित संग्रह	5.3	67
संपत्ति के अवमूल्यन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली	5.4	69
अध्याय-6: खनन प्राप्ति		
कर प्रशासन	6.1	71
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.2	71
कार्य संवेदकों द्वारा खनिज की अनियमित अधिप्राप्ति के लिए अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	6.3	72
ईट भट्टों के मालिक से रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड का वसूली नहीं/कम किया जाना	6.4	73
पत्थर खदान और बालूघाट के पट्टेदारों से ब्याज की वसूली नहीं किया जाना	6.5	74
परिशिष्ट		77

प्रस्तावना

31 मार्च 2019 को समाप्त हुये वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों तथा सेवा की शर्तों), अधिनियम, 1971 के तहत किये गए राजस्व प्रक्षेत्र के अधीन मुख्य राजस्व उदग्रहित करने वाले विभागों की प्राप्तियाँ एवं व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो वर्ष 2018–19 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखे गये, साथ ही साथ वे मामले जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किन्तु पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; वर्ष 2018–19 के आगे की अवधि के मामले भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 12 कंडिकाएँ और “मोटर वाहन कर एवं शुल्क का संग्रहण एवं आरोपण” पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल हैं। प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 2,389.53 करोड़ है। इस प्रतिवेदन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं:

1. सामान्य

वर्ष 2018–19 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,31,793.45 करोड़ थी जिसमें से राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से सृजित राजस्व ₹ 33,538.70 करोड़ (25.45 प्रतिशत) था। भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 98,254.75 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 74.55 प्रतिशत) था जिसमें संघीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 73,603.13 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 55.85 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹ 24,651.62 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 18.70 प्रतिशत) समाविष्ट थे।

(कंडिका 1.1)

31 मार्च 2019 तक बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, वाहनों पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फिस तथा अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों पर राजस्व के बकाये ₹ 4107.32 करोड़ थे, जिसमें से ₹ 521.07 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

(कंडिका 1.2)

लेखापरीक्षा ने 629 मामलों में कुल ₹ 3,658.11 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का पता लगाया (अप्रैल 2018 एवं फरवरी 2020 के मध्य)। संबंधित विभागों ने 1,648 मामलों में ₹ 1,336.65 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2018 एवं अप्रैल 2020 के मध्य) जिसमें से ₹ 366.27 करोड़ के 55 मामले 2018–19 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। विभागों ने 196 मामलों में ₹ 8.90 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित (अप्रैल 2018 एवं अप्रैल 2020 के मध्य) किया।

(कंडिका 1.5)

2. वाणिज्य-कर

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा तीन व्यवसायियों के मामले में ₹ 5.64 करोड़ के आवर्त के छिपाव का पता नहीं लगाया जा सका जिससे आरोप्य ब्याज एवं अर्थदण्ड सहित ₹ 2.36 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3)

कर निर्धारण प्राधिकारियों, व्यवसायियों द्वारा अमान्य कटौतियों के लाभ लिए जाने का पता लगाने में विफल रहने के फलस्वरूप ₹ 1.60 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.4)

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत कर के कम/विलंबित भुगतान का पता नहीं लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.88 करोड़ के कर की कम वसूली एवं ₹ 4.38 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.5)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रवेश कर के विलम्ब से भुगतान पर ₹ 1.91 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं किया।

(कंडिका 2.6)

3. राजस्व एवं भूमि सुधार

चार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ₹91.03 करोड़ के स्थापना प्रभार की राशि राज्य सरकार के समेकित निधि में प्रेषण करने में विफल रहे जबकि निधि उनके पास उपलब्ध थी।

(कंडिका 3.3.2)

चार जिला भू अर्जन पदाधिकारी अधिसूचना की तारीख से पंचाट की तिथि या भूमि पर कब्जा की तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिये अतिरिक्त मुआवजे की गणना करने में विफल रहे या त्रुटिपूर्ण गणना किये। इन अनियमितताओं के परिणामस्वरूप ₹24.56 करोड़ की अतिरिक्त मुआवजे की त्रुटिपूर्ण गणना हुई।

(कंडिका 3.3.3)

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी खगड़िया ने जनवरी 2015 से ₹2.24 करोड़ के निधि की उपलब्धता के बावजूद भू स्वामियों को भुगतान करने में विफल रहे।

(कंडिका 3.3.4)

मुआवजा भुगतान के अनुमान को अंतिम रूप देते समय जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/समाहर्ता द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में पुराने दर को लागू किये जाने के कारण विस्थापित परिवारों को ₹1.23 करोड़ कम मुआवजे का भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.3.5)

दो जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों ने यथोचित प्रक्रिया का पालन न कर, बिना प्रासंगिक दस्तावेजों की पुष्टि किये अयोग्य व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान किया और इस प्रकार निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया, परिणामस्वरूप ₹1.18 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.3.6)

4. मोटर वाहनों पर कर

अधिनियमों एवं नियमों का प्रावधान राजस्व की सुरक्षा एवं करों, जुर्माना एवं शुल्कों के आरोपण एवं संग्रहण के लिए आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली की मौजूदगी के लिए पर्याप्त है, जिसको सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग के वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर के डाटा विश्लेषण सहित मोटर वाहन कर एवं शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया। लेखापरीक्षा में निम्न पाया गया :

अनियमित अधिसूचना के कारण एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से सड़क सुरक्षा उपकर का कम आरोपण।

(कंडिका 4.3.8)

विभिन्न शुल्क पर अधिभार लगाने की अनियमित अधिसूचना के कारण चालक अनुज्ञप्ति और प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति धारकों पर ₹18.52 करोड़ का अनुचित बोझ पड़ा।

(कंडिका 4.3.9)

निजी वाहन मालिकों से कर के बिलम्ब से भुगतान के लिए अर्थदण्ड के प्रावधान के गलत परिमाण के कारण विभाग ने ₹2.83 करोड़ का अर्थदण्ड वसूल किया।

(कंडिका 4.3.11)

वाहन डाटाबेस में जानकारी की उपलब्धता के बावजूद, जिला परिवहन कार्यालय ने न तो उन वाहनों के निबंधन/परमिट रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू की जिनके फिटनेस प्रमाण

पत्र की अवधि समाप्त हो गई थी और न ही चूककर्ता वाहन मालिकों को कोई नोटिस जारी किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 187.01 करोड़ के राजस्व का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 4.3.16)

संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने निबंधन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर और अनुमोदन के समय ₹1.19 करोड़ के देय कर की वसूली सुनिश्चित नहीं किया।

(कंडिका 4.3.17.2)

ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर ट्रेलर के निबंधन के लिए दिशानिर्देशों/सहायक दस्तावेजों के नहीं होने के कारण सात जिला परिवहन पदाधिकारियों ने 8,969 ट्रैक्टर ट्रेलर संयोजन को मनमाने तरीके से कृषि श्रेणी के तहत निबंधित किया जिससे ₹ 25.22 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।

(कंडिका 4.3.18)

जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन डाटाबेस में चूककर्ता वाहन मालिकों द्वारा मोटर वाहन करो का भुगतान नहीं करने की जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद, उन्होंने प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से कर चूककर्ता सूची बनाने के लिए वाहन के कर तालिका की जाँच या समीक्षा नहीं की। परिणामस्वरूप, जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कर चूककर्ताओं को कोई मांग पत्र जारी नहीं किया गया और फलस्वरूप ₹ 15.13 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 22.79 करोड़ कर (सड़क कर ₹7.56 करोड़ और सड़क सुरक्षा उपकर ₹ 9.58 लाख) की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 4.3.19.1)

कर के विलम्ब से भुगतान के लिए अर्थदण्ड को न तो वाहन द्वारा गणना की गई और न ही जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा आरोपण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ के एकमुश्त कर का आरोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 4.3.20)

राष्ट्रीय परमिट पंजी को संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा न ही अद्यतन किया गया था न ही भौतिक सत्यापन किया गया। परिणामस्वरूप, संयुक्त शुल्क और प्राधिकरण शुल्क ₹ 6.29 करोड़ की राशि की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 4.3.22.1)

₹ 1,000 के प्रसंस्करण शुल्क के वसूली के बिना 29,625 मालगाड़ी, 1,165 बस और 5,571 अनुबंधित मालवाहक वाहनों को परमिट जारी किए गए, जिससे ₹ 3.64 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 4.3.22.2)

अधिनियमों एवं नियमावलियों के अनुसार अप्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के कारण ₹ 7.01 करोड़ के राजस्व के बकाये का वसूली नहीं की जा सकी।

(कंडिका 4.3.25.2)

विभाग ने राजपत्र अधिसूचना में बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम की संपत्तियों के अधिग्रहण से ₹ 874.81 करोड़ की वसूली दिखायी किंतु यह हितधारकों के लिए तथ्यों की गलत प्रस्तुति थी, क्योंकि भूमि के रूप में अधिग्रहण की गई सम्पत्ति पहले से ही राज्य सरकार की थी एवं वर्तमान तिथि में भवन का कोई मूल्य नहीं था।

(कंडिका 4.4)

आठ करोड़ रूपया खर्च करने के बावजूद तीन धर्मकॉटा को परिवहन विभाग को दिसम्बर 2015/जनवरी 2016 में सुपूर्द करने के बाद भी उसे 2019 तक कार्यशील नहीं किया जा सका था। इसके अलावा, सरकार ने वैसे पदाधिकारियों जिनकी पदस्थापना मूल रूप से धर्मकॉटा स्थल के लिए हुई थी किन्तु उनकी तैनाती राज्य परिवहन निगम/जिला परिवहन कार्यालय, पटना कार्यालय में किया गया था, के वेतन एवं भत्तों के भुगतान के रूप में ₹ 75.98 लाख का व्यय भी किया गया था।

(कंडिका 4.5)

5. मुद्रांक एवं निबंधन फीस

निबंधन विभाग ने बिहार निबंधन नियमावली 2008, में सेवा प्रभार के संग्रहण से संबंधित अवैध प्रावधान बनाया, जिसके परिणामस्वरूप न केवल हितधारकों पर वित्तीय बोझ डालकर 2018-19 के दौरान ₹ 31.73 करोड़ का सेवा प्रभार का संग्रह किया गया अपितु इनको राज्य के समेकित निधि के बदले बैंक खाता में जमा किया गया।

(कंडिका 5.3)

दो निबंधन प्राधिकारी मई 2018 से जून 2019 तक निष्पादित दो दस्तावेजों में संपत्ति के अवमूल्यन का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 90.25 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 5.4)

6. खनन प्राप्तियाँ

खनन पदाधिकारी प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' के बिना प्रस्तुत कार्य संवेदको के विपत्रों का भुगतान नहीं किए जाने को सुनिश्चित करने में विफल रहे एवं वे अप्राधिकृत स्रोतों से खनिज अधिप्राप्ति के लिए ₹ 46.42 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण करने में भी विफल रहे।

(कंडिका 6.3)

ईट मौसम 2017-18 और 2018-19 के दौरान, 260 ईट भट्टों का परिचालन बिना वैध परमिट के किया गया परिणामस्वरूप रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड सहित ₹ 3.85 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

(कंडिका 6.4)

रायल्टी के विलम्ब से/नही भुगतान पर खनन पदाधिकारी द्वारा ब्याज का आरोपण करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 41.85 लाख की वसूली नहीं की जा सकी।

(कंडिका 6.5)

अध्याय 1
सामान्य

अध्याय 1 : सामान्य

1.1 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2014-19 के दौरान बिहार सरकार द्वारा उद्ग्रहीत कर एवं कर-भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की कुल प्राप्तियों में राज्य को समुनदेशित हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तालिका 1.1 में वर्णित है।

तालिका 1.1
प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत राजस्व					
	• कर राजस्व	20,750.23	25,449.18	23,742.26	23,136.49	29,408.14
	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	3.96	22.65	(-) 6.71	(-) 2.55	27.11
	• कर-भिन्न राजस्व	1,557.98	2,185.64	2,403.11	3,506.74	4,130.56
	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	0.85	40.29	9.95	45.93	17.79
	कुल	22,308.21	27,634.82	26,145.37	26,643.23	33,538.70
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्तियों में हिस्सा	36,963.07	48,922.68	58,880.59	65,083.38	73,603.13 ¹
	• सहायता अनुदान ²	19,146.26	19,565.60	20,559.02	25,720.13	24,651.62 ³
	कुल	56,109.33	68,488.28	79,439.61	90,803.51	98,254.75
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)	78,417.54	96,123.10	1,05,584.98	1,17,446.74	1,31,793.45
4.	3 से 1 की प्रतिशतता	28	29	25	23	25
5.	कुल राजस्व प्राप्तियों से कर राजस्व की प्रतिशतता	26	26	22	20	22

(स्रोत : वित्त लेखा, बिहार सरकार)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2014-19 के दौरान कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व का औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 8.89 प्रतिशत एवं 22.96 प्रतिशत था।


¹ पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2018-19 के वित्त लेखा में विवरणी संख्या-14-लघु शीर्ष-वार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष-0005 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (₹ 18,166.79 करोड़), 0008- एकीकृत माल एवं सेवा कर (₹ 1,449.80 करोड़), 0020-निगम कर (₹ 25,596.84 करोड़), 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 18,850.99 करोड़), 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर (₹ 133.31 करोड़), 0032- सम्पत्ति पर कर (₹ 9.40 करोड़), 0037-सीमा शुल्क (₹ 5,217.40 करोड़), 0038-संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 3,467.28 करोड़), 0044-सेवा कर (₹ 673.31 करोड़) एवं 0045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹ 38.01 करोड़) के अन्तर्गत लघु शीर्ष 901-निबल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा।

² केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, वित्त आयोग अनुदान एवं राज्य/विधान सभा वाले केन्द्रशासित प्रदेश को अन्य स्थानांतरण/अनुदान (भारत सरकार से प्राप्त माल एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति भी शामिल है)।

³ माल एवं सेवा कर लागू होने के कारण ₹ 2,571 करोड़ के राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति शामिल है।

चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन (2015-16 से) के पश्चात केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 10 प्रतिशत (32 से 42 प्रतिशत) तक बढ़ गया।

वर्ष 2018-19 के राज्य के राजस्व का ब्योरा चार्ट 1.1 में दिया गया है:



1.1.2 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों एवं उद्ग्रहीत कर राजस्वों का विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2
कर-राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	निम्न की तुलना में वर्ष 2018-19 की वास्तविकी में वृद्धि (+)/ह्रास (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2018-19 के बजट अनुमान	2017-18 की वास्तविकी
1.	राज्य माल एवं सेवा कर	-	-	-	0.00 6,746.96	15,000.00 15,288.06	1.92	126.59
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	12,820.15 8,607.16	16,025.18 10,603.40	14,021.33 11,873.51	24,400.00 8,298.10	7,890.00 6,584.24	(-) 16.55	(-) 20.65
3.	माल एवं यात्रियों पर कर ⁴	4,117.50 4,451.25	5,146.88 6,087.12	7,211.96 6,245.62	0.00 1,644.85	0.00 398.74	-	(-) 75.76
4.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	48.59 105.34	45.43 69.36	88.90 81.08	0.01 20.51	0.02 1.16	5,700.00	(-) 94.34
उप-कुल (1, 2, 3 और 4)		16,986.24 13,163.75	21,217.49 16,759.88	21,322.19 18,200.21	24,400.01 16,710.42	22,890.02 22,272.20	(-) 2.70	33.28
5.	राज्य उत्पाद ⁵	3,700.00 3,216.58	4,000.00 3,141.75	2,100.00 29.66	0.00 (-)3.43	0.00 (-) 9.63	-	(-) 180.76
6.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	3,600.00 2,699.49	4,000.00 3,408.57	3,800.00 2,981.95	4,600.00 3,725.66	4,700.00 4,188.61	(-) 10.88	12.43


⁴ 2018-19 की अवधि के दौरान वस्तु एवं यात्री पर कर के अन्तर्गत सभी प्राप्तियाँ प्रवेश कर से हैं, जिसे 1.7.2017 से हटा दिया गया एवं माल एवं सेवा कर में सम्मिलित किया गया।

⁵ बिहार में अप्रैल 2016 से शराब के बिक्री पर रोक लगा दिया गया है।

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	निम्न की तुलना में वर्ष 2018-19 की वास्तविकी में वृद्धि (+)/ह्रास (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2018-19 के बजट अनुमान	2017-18 की वास्तविकी
7.	वाहनों पर कर	1,000.00 963.56	1,200.00 1,081.22	1,500.00 1,256.67	1,800.00 1,599.51	2,000.00 2,085.94	4.30	30.41
8.	भू-राजस्व	250.00 277.13	300.00 695.15	330.00 971.12	600.00 778.65	1,000.00 476.80	(-) 52.32	(-) 38.77
9.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	82.70 374.76	102.50 297.99	590.04 223.90	501.09 239.16	310.00 269.17	(-) 13.17	12.55
10.	आय एवं व्यय पर अन्य कर-पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	44.00 54.96	55.00 64.55	88.03 78.75	100.00 86.52	102.00 125.05	22.60	44.53
	कुल	25,662.94 20,750.23	30,874.99 25,449.11	29,730.26 23,742.26	32,001.10 23,136.49	31,002.02 29,408.14	(-) 5.14	27.11

{स्रोत : वित्त लेखा, बिहार सरकार एवं राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ}

वर्ष 2018-19 के राज्य के कर राजस्व का ब्योरा चार्ट : 1.2 में दिया गया है:



तालिका 1.2 से यह परिलक्षित होता है कि 2018-19 के दौरान कर राजस्व के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमान एवं वास्तविकी में काफी भिन्नताएँ थी जो यह दर्शाता है कि बजट को वास्तविकता के आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

भिन्नताओं के कारणों को नीचे वर्णित किया गया है –

वाणिज्य कर⁶ : विभाग ने बताया (फरवरी 2020) कि चूकि माल एवं सेवा कर एक लक्ष्य आधारित खपत कर है, बिहार को एक खपत वाला राज्य देखते हुए बजट तैयार किया गया है। 2018–19 के दौरान वास्तविक संग्रह और बजट अनुमान में भिन्नता का कारण माल एवं सेवा कर का संक्रमणकालीन अवधि थी।

राज्य उत्पाद : लेखा परीक्षा ने पाया कि जुर्माना एवं जब्ती, वाणिज्यिक एवं विकृत स्पीट एवं औषधीय शराब, माल्ट शराब, औषधीय एवं अल्कोहल, ओपीयम आदि युक्त प्रसाधन निर्मितियाँ एवं अन्य प्राप्तियों एवं वापसियों के कारण राजस्व संग्रह ₹ 0.59 करोड़ था तथा ₹ 10.22 करोड़ की वापसी के परिणामस्वरूप 2018–19 के दौरान ₹ 9.63 करोड़ की शुद्ध हानि हुई। मद्य निषेध नीति के कार्यान्वयन के कारण बजट अनुमान 'शून्य' निर्धारित किया गया।

मुद्रांक एवं निबंधन फीस: विभाग ने बताया (फरवरी 2020) कि 2018–19 के दौरान बजट अनुमान पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के प्राप्ति में 10.88 प्रतिशत कमी का मुख्य कारण अनुमानित दस्तावेजों की संख्या से संबंधित संपत्ती के स्थानान्तरण दस्तावेजों में कमी था।

वाहनों पर कर: लेखा परीक्षा ने पाया कि 2017–18 के वास्तविक प्राप्ति की तुलना में 2018–19 के वास्तविक प्राप्ति में वृद्धि का कारण वाहनों के एक्स शो रूम मूल्य में वृद्धि, माल वाहनों के लदे हुए वजन पर कर में वृद्धि एवं वाहनों में बैठने की क्षमता पर वार्षिक करों में वृद्धि था। आगे 2018–19 के दौरान वाहनों के निबंधन में 6.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विभाग ने 2018–19 के दौरान एमनेस्टी योजना के तहत ₹ 50 करोड़ की वसूली भी की।

भू-राजस्व : लेखा परीक्षा ने पाया कि 2017–18 के वास्तविक संग्रह (₹ 778.65 करोड़) की तुलना में 2018–19 के दौरान भू-राजस्व में ₹ 301.85 करोड़ (38.77 प्रतिशत) की कमी का मुख्य कारण स्थापना प्रभार⁷ की दर में की गई कमी थी।

1.1.3 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों एवं उद्ग्रहीत कर-भिन्न राजस्वों का विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

⁶ वाणिज्य कर में राज्य माल एवं सेवा कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर एवं वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क सम्मिलित है।

⁷ स्थापना प्रभार का दर: 20 प्रतिशत यदि मुआवजा राशि 15 लाख से अधिक हो, 25 प्रतिशत यदि मुआवजा राशि 10 लाख से अधिक लेकिन 15 लाख से कम हो, 30 प्रतिशत यदि मुआवजा राशि 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम हो तथा 35 प्रतिशत यदि मुआवजा राशि 5 लाख से कम हो। स्थापना प्रभार की दर 27.06.2018 से 2 प्रतिशत के लिए संशोधित की गई थी।

तालिका 1.3
कर-भिन्न राजस्व का विवरण


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	निम्न की तुलना में वर्ष 2017-18 की वास्तविकी में वृद्धि (+) या ह्रास (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2018-19 के बजट अनुमान	2017-18 की वास्तविकी
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	750.00 879.87	1,000.00 971.34	1,100.00 997.60	1,350.00 1,082.67	1,600.00 1,560.65	(-) 2.46	44.15
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	202.22 344.77	312.13 583.66	365.78 939.91	619.25 1,577.24	2,187.39 1,371.94	(-) 32.28	(-) 13.02
3.	पुलिस	69.74 29.50	28.93 66.05	31.74 42.16	41.53 86.04	46.19 30.41	(-) 34.16	(-) 64.66
4.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	251.60 21.77	51.25 72.61	23.35 99.88	256.32 25.84	20.10 46.80	132.84	81.11
5.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ ⁸	1,797.93 282.07	1,988.80 491.98	819.87 323.56	567.21 734.95	592.21 1,120.76	89.25	52.49
कुल प्राप्तियाँ		1,557.98	2,185.64	2,403.11	3,506.74	4,130.56	(-) 7.09	17.79

(स्रोत: वित्त लेखा बिहार सरकार के अनुसार वास्तविक प्राप्ति एवं बिहार सरकार के राजस्व एवं पुंजीगत प्राप्ति के विवरण के अनुसार बजट अनुमान)

⁸ अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में 2018-19 के दौरान निम्नांकित शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति शामिल हैं: सड़क तथा सेतु (₹ 118.06 करोड़), चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (₹ 66.61 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 62.37 करोड़), वानिकी तथा वन्य प्राणी (₹ 29.11 करोड़), शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 18.85 करोड़), लोक सेवा आयोग (₹ 34.09 करोड़), अन्य आर्थिक सेवाएँ (₹ 21.42 करोड़), पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली (₹ 558.75 करोड़), फसल कृषि कर्म (₹ 14.99 करोड़), वृहत सिंचाई (₹ 36.92 करोड़), मध्यम सिंचाई (₹ 15.85 करोड़), श्रम रोजगार एवं कौशल विकास (₹ 14.89 करोड़), जेल (₹ 14.77 करोड़), मतस्य पालन (₹ 13.17 करोड़), विविध सामान्य सेवाएँ (₹ 3.73 करोड़), जलापूर्ति तथा सफाई (₹ 11.41 करोड़), आवास (₹ 3.47 करोड़), शहरी विकास (₹ 0.94 करोड़), सूचना तथा प्रचार (₹ 0.30 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 0.08 करोड़), पशुपालन (₹ 0.65 करोड़), सहकारिता (₹ 20.46 करोड़), भूमि सुधार (₹ 0.28 करोड़), लघु सिंचाई (₹ 11.40 करोड़), नागर विमानन (₹ 6.70 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 0.19 करोड़), पर्यटन (₹ 1.75 करोड़), ग्राम तथा लघु उद्योग (₹ 0.06 करोड़), उद्योग (₹ 0.13 करोड़), सिविल आपूर्ति (₹ 0.11 करोड़), लोक कार्य (₹ 25.39 करोड़), लेखन सामग्री एवं छपाई (₹ 0.12 करोड़) एवं लाभांश एवं लाभ (₹ 13.67 करोड़)।

2018-19 में राज्य के कर-भिन राजस्व का ब्योरा चार्ट 1.3 में दिया गया है।



व्यापक भिन्नताओं के कारणों की चर्चा नीचे की गई है:-

खनन प्राप्तियाँ : लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 2017-18 के वास्तविक के सापेक्ष 2018-19 के दौरान खनन प्राप्ति के वृद्धि (44.15 प्रतिशत) का कारण बालू के बन्दोबस्ती राशि में वृद्धि, कार्य प्रमंडल द्वारा रॉयल्टी की राशि को विविध शीर्ष के बदले खनन शीर्ष में जमा करना, चूना पत्थर से प्राप्ति एवं जुर्माना लगाना है।

ब्याज प्राप्तियाँ : लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018-19 में ब्याज प्राप्तियों में कमी मुख्य रूप से अन्य प्राप्तियों के तहत कम प्राप्तियों के कारण थी। अन्य प्राप्तियों में बैंक खातों में रखे गए सरकारी धन पर अर्जित ब्याज और सरकारी खातों में जमा करना शामिल है। 2017-18 के दौरान बैंक खाते से अर्जित ब्याज ₹ 742.58 करोड़ था जबकि 2018-19 के दौरान यह केवल ₹ 228.01 करोड़ था।

पुलिस प्राप्तियाँ : लेखापरीक्षा ने पाया कि 2017-18 की वास्तविक प्राप्तियों के मुकाबले 2018-19 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में कमी का मुख्य कारण मुख्य रूप से फीस, जुर्माना एवं जब्ती के तहत कम प्राप्ति था।

अन्य प्रशासनिक सेवाएँ : लेखापरीक्षा ने पाया कि बजट अनुमानों पर 2018-19 के दौरान 132.84 प्रतिशत की वृद्धि का मुख्य कारण 2017-18 की वास्तविक प्राप्तियों पर चुनाव उप-शीर्ष के तहत प्राप्तियों में ₹ 24.91 करोड़ की वृद्धि थी।

अन्य कर-भिन प्राप्तियाँ : लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018-19 के दौरान बजट अनुमान पर वास्तविक प्राप्तियों की अधिकता का मुख्य कारण पिछले वर्ष के ₹ 202.53 करोड़ के मुकाबले 2018-19 के दौरान पेंशन एवं अन्य सेवांत लाभों के लिए योगदान एवं वसूली के तहत ₹ 558.75 करोड़ की प्राप्ति थी।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

प्रमुख राजस्व शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को बकाया राजस्व ₹ 4,107.32 करोड़ था जिसमें से ₹ 521.07 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित था, जिसका ब्यौरा तालिका 1.4 में वर्णित है।

तालिका 1.4
राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व	31 मार्च 2019 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2019 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	संबंधित विभागों द्वारा बताये गये लम्बन की अवस्थाएँ
1.	बिक्री, ब्यापार आदि पर कर	2,919.29	467.38	₹ 2,919.25 करोड़ में से ₹ 349.14 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 796.09 करोड़ एवं ₹ 425.49 करोड़ की वसूली क्रमशः न्यायालयों और सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी, ₹ 5.75 करोड़ कर निर्धारितियों/व्यवसायियों के दिवालिया होने के कारण रोकੀ गई थी, ₹ 2.45 करोड़ को बट्टे खाते में डालना संभावित था एवं ₹ 1,340.37 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	419.49	13.51	₹ 419.49 करोड़ में से ₹ 1.32 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किये गए थे, ₹ 304.00 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गयी थी तथा ₹ 114.14 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	1.57	1.52	₹ 1.57 करोड़ में से ₹ 1.37 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गयी थी एवं ₹ 0.20 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
4.	वाहनों पर कर	179.30	—	₹ 178.13 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे।
5.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	10.82	7.69	₹ 10.82 करोड़ में से ₹ 8.55 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गये थे एवं ₹ 2.27 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
6.	भू-राजस्व	188.24	—	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया।
7.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	—	2.59	₹ 2.87 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे।
8.	राज्य उत्पाद	46.54	28.38	₹ 46.54 करोड़ में से ₹ 27.48 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 7.57 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा विभाग द्वारा रोक लगाई गयी थी, ₹ 0.14 करोड़ कर निर्धारितियों/व्यवसायियों के दिवालिया होने एवं आवेदनों के सुधार/पुनरीक्षण के कारण रोकी गयी थी, ₹ 0.39 करोड़ को बट्टे खाते में डाला जाना था ₹ 10.96 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
9.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	342.07	—	₹ 342.07 करोड़ के कुल बकाये के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किये गये थे।
	कुल	4107.32	521.07	

(स्रोत : विभागों से प्राप्त सूचनाएँ)

राजस्व के बकायों से संबंधित अभिलेखों के जाँच के क्रम में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियों को पाया :

वाणिज्य कर विभाग: चार स्मार पत्रों (जनवरी एवं फरवरी 2020) के बावजूद विभाग ने राजस्व के बकायों से संबंधित व्यवसायी वार विस्तृत विवरणी उपलब्ध नहीं कराई। विभाग ने क्षेत्र इकाईयों से बकायों की सूचना की माँग (फरवरी 2020) की जो यह दर्शाता है कि विभाग के पास राजस्व के बकायों से संबंधित डाटाबेस मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध नहीं था।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन (उत्पाद) विभाग: विभाग ने 31.03.2019 के अनुसार राजस्व के बकाये ₹46.54 करोड़ सूचित (दिसम्बर 2019) किया था जबकि ₹ 55.58 करोड़ राजस्व बकाये के लिए निलामवाद दायर किये गये थे। पुनः पृच्छा पर विभाग ने राजस्व बकाया ₹ 49.32 करोड़ बताया (जनवरी 2020) उसके बाद ₹ 52.19 करोड़ किंतु लेखापरीक्षा को जाँच के लिए अलग-अलग मामलों को उपलब्ध कराने में विफल रहा। विभाग द्वारा दी गई एक ही सूचना के संबंध में भिन्नता आँकड़ों के अविश्वसनीयता को दर्शाता है। आगे पाया गया कि विभाग बकायों के संग्रह के प्रगति का निगरानी करने में विफल रहा क्योंकि उसके पास मुख्यालय स्तर पर अदत्त बकायों का डाटाबेस नहीं है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: विभाग ने बताया (दिसंबर 2019) कि 31.03.2019 को राजस्व का बकाया ₹ 188.24 करोड़ था, यद्यपि लेखापरीक्षा ने अभिलेखों के जाँच के क्रम में पाया कि राजस्व का बकाया ₹ 421.84 करोड़ (भूमि के किराये के बकाया के रूप में ₹ 415.27 करोड़ एवं सैरात से राजस्व के बकाये ₹ 6.57 करोड़) था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विभाग ने ₹ 233.60 करोड़ के राजस्व बकाया को कम बताया जो कि एक गंभीर मुद्दा है एवं शीघ्र सम्बोधित करने की आवश्यकता है। राजस्व के बकाये के आँकड़ों में भिन्नता के कारणों को बताने के लिए विभाग से आग्रह (फरवरी एवं मई 2020) किया गया था किंतु जनवरी 2021 तक विभाग से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। यह भी पाया गया कि विभाग के पास अदत्त बकाये से संबंधित डाटाबेस मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध नहीं है।

निबंधन विभाग: विभाग ने बताया (मई 2020) कि पूर्व में (जनवरी 2020) प्रदान की गई राजस्व के बकाये की सूचना गलत थी। यह दर्शाता है कि विभाग के पास राजस्व के बकाये से संबंधित अविश्वसनीय सूचना थी एवं वास्तविक स्थिति को जाँचने की आवश्यकता है।

परिवहन विभाग: विभाग ने अनुरोध के बावजूद व्यक्तिगत डिफॉल्टर्स का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। यद्यपि विभाग ने राजस्व के बकाये के वसूली हेतु एमनेस्टी स्कीम (5 जुलाई 2017 से 4 जनवरी 2018 एवं 8 मार्च 2018 से 30 जनवरी 2019) लागू किया।

अनुशांसा: विभागों को आवधिक समीक्षा, मिलान तथा बकायों के परिसमापन के लिए लंबित बकायों का एक डाटाबेस बनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजस्व का बकाया जो विवादग्रस्त नहीं है की वसूली प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

1.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन-संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग के अनुदेशों के हस्तक (1998) के अनुसार, विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर इसके विधान सभा के समक्ष उपस्थापित होने के दो महीने के भीतर कार्रवाई शुरू करनी है तथा उसके उपरांत लोक लेखा समिति के विचारार्थ सरकार व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करेगी। फिर भी, राज्य विधान मंडल के समक्ष जुलाई 2010 तथा नवम्बर 2018 के बीच उपस्थापित 31 मार्च 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 एवं 2017 को समाप्त हुए वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित 252 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (विभागों के

उत्तर) पाँच माह से अधिक के विलंब से समर्पित की गई। मई 2020 से, विभिन्न विभागों⁹ से संबंधित लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का वर्णन तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5
लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

क्र. सं.	को समाप्त हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुई	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई
1	31 मार्च 2009	23.07.2010	29	26	3
2	31 मार्च 2010	20.07.2011	26	26	0
3	31 मार्च 2011	06.08.2012	35	35	0
4	31 मार्च 2012	08.01.2013	38	36	2
5	31 मार्च 2013	21.02.2014	41	39	2
6	31 मार्च 2014	24.12.2014	44	39	5
7	31 मार्च 2015	18.03.2016	39	34	5
8	31 मार्च 2016	27.03.2017	42	19	23
9	31 मार्च 2017	29.11.2018	36	6	30
कुल			330	260	70

यह पाया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये अवलोकनों पर राजस्व की वसूली हेतु यद्यपि विभागों ने कार्रवाई शुरू की थी, परन्तु लगातार होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए विभागों द्वारा किसी भी स्तर पर सुधारात्मक उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2008-09 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 63 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा किया तथा ऊपर वर्णित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित वाणिज्य-कर विभाग, मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग एवं परिवहन विभाग से संबंधित 47 कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ दी, जिन पर विभागों से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई (मई 2020)।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ने सचिव, बिहार विधानसभा (अगस्त 2018) एवं मुख्य सचिव, बिहार सरकार (जुलाई 2019) को लेखापरीक्षा अवलोकनों पर स्व-व्याख्यात्मक कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ एवं लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को समय पर समर्पित करने हेतु अनुरोध किया था। लेखापरीक्षा के अनुरोध के आलोक में वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा अवलोकनों एवं लोक लेखा समिति के सिफारिशों पर स्व-व्याख्यात्मक कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ जमा करने हेतु निर्देश (अगस्त एवं नवंबर 2019) जारी किया।

अनुशंसा: राज्य सरकार, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए त्रुटियों और प्रणाली दोषों तथा राजस्व के रिसाव को बंद करने के लिए, कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है, तथा यह भी सुनिश्चित करे कि लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर सभी विभाग तत्परता से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ तैयार करें।

⁹ वाणिज्य कर (50 कंडिकाएँ); मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन (2 कंडिकाएँ); परिवहन (1 कंडिका) तथा राजस्व एवं भूमि सुधार (17 कंडिकाएँ)।

1.4 लेखापरीक्षा पर विभागों / सरकार की प्रतिक्रिया

1.4.1 लंबित जाँच प्रतिवेदनों की स्थिति

सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षा संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करता है साथ ही सुधारात्मक कार्रवाई और इसके अनुश्रवण हेतु उनके उच्च अधिकारियों को इनकी प्रतियाँ निर्गत की जाती है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों के प्रमुख एवं सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। 2009-10 से 2018-19 के दौरान निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में उद्घटित हुआ कि मार्च 2019 के अंत तक 2,745 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 22,953 कंडिकाएँ लंबित थे। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में संभावित वसूली योग्य राजस्व ₹ 27,265.93 करोड़ तक है जबकि राज्य का 2018-19 का संपूर्ण राजस्व संग्रहण ₹ 33,538.70 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्णन तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.6
विभाग-वार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	417	9,848	11,882.41
		प्रवेश कर			
		विद्युत शुल्क			
		मनोरंजन कर			
2	मद्य निषेध एवं उत्पाद	राज्य उत्पाद	361	1,590	1,163.90
3	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	824	5,282	8,580.46
4	परिवहन	वाहनों पर कर	371	2,827	1,600.82
5	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	389	1,173	1,118.36
6	खान एवं भूतत्व	खनन प्राप्तियाँ	383	2,233	2,919.98
कुल			2,745	22,953	27,265.93

लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों का समाधान करने के लिए लेखापरीक्षा समिति बैठक संगठित करने हेतु सभी छः विभागों को अनुरोध (सितम्बर 2019) किया गया था। फिर भी उन्होंने लेखापरीक्षा अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि 2009-10 और उससे आगे निर्गत किये गये ₹ 15,306 करोड़ तक के संभावित राजस्व से सन्निहित 1,167 निरीक्षण प्रतिवेदनों (10,030 लेखापरीक्षा अवलोकन) के प्रथम उत्तर, जो कि लेखा परीक्षा एव लेखा विनियमन 2007 के विनियमन 197 के अनुसार कार्यालयों के प्रधानों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर प्राप्त होने थे, प्राप्त नहीं हुए। विभागवार विवरण तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण जिनके प्रथम उत्तर लंबित है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य कर	बिक्री व्यापार आदि पर कर	86	3,067	5,005.97
		प्रवेश कर			
		विद्युत शुल्क			
		मनोरंजन कर			
2.	मद्य निषेध एवं उत्पाद	राज्य उत्पाद	75	395	238.78
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	539	3,643	7,077.92
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	242	1,847	916.40
5.	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	124	375	882.65
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	101	703	1,184.28
कुल			1,167	10,030	15,306

इस तथ्य को प्रधान सचिव, वित्त विभाग को जून 2019 में प्रतिवेदित किया गया था, जिन्होंने सभी राजस्व विभाग को लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों के द्रुत अनुपालन हेतु निर्देश (जुलाई 2019) दिया।

अनुशांसा:

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभागीय अधिकारी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन तत्परता से करें, सुधारात्मक कार्रवाई करें तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों का शीघ्र निष्पादन हेतु लेखापरीक्षा के साथ निकटता से कार्य करें, एक प्रणाली आरंभ कर सकती है।

1.4.2 तथ्यों के विवरणी एवं प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभाग की प्रतिक्रिया

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं को प्रधान महालेखाकार द्वारा संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर उनका ध्यान आकृष्ट कराने एवं छः सप्ताह के अन्दर उनका मंतव्य हेतु अनुरोध किया जाता है। विभाग/सरकार से जवाब नहीं प्राप्त होने के तथ्य को प्रतिवेदन में शामिल ऐसे कंडिकाओं के अन्त में दर्शाया जाता है।

2019-20 के दौरान 352 तथ्यों के विवरणी प्रधान सचिव/सचिव को निर्गत की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा को 280 (79.55 प्रतिशत) तथ्यों के विवरणी का जवाब (2 जून 2020) प्राप्त नहीं हुआ जिसका विवरण तालिका 1.8 में नीचे दिया गया है।

तालिका 1.8
प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभाग की प्रतिक्रिया

क्र. सं.	विभाग का नाम	विभाग को जारी किये गये तथ्यों के विवरणी की संख्या	तथ्यों के विवरणी की संख्या जिनके जवाब प्राप्त हुये
1.	वाणिज्य कर	181	0
2.	राजस्व एवं भूमि सुधार	59	0
3.	परिवहन	53	30
4.	निबंधन	7	7
5.	खान एवं भूतत्व	52	35
कुल		352	72

तदन्तर, 2019-20 में 24 कंडिकाएँ संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को उनके जवाब/प्रतिक्रिया के लिए भेजा गया। हालाँकि लेखापरीक्षा को 22 प्रारूप कंडिकाओं का जवाब प्राप्त नहीं हुआ (मई 2020)।

1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-19 के दौरान वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, भू-राजस्व एवं खनिज प्राप्तियों से संबंधित राज्य सरकार के छः विभागों के 1,349 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 35 (2.59 प्रतिशत) के अभिलेखों का नमूना जाँच किया। इसके अलावा सितम्बर 2019 से जनवरी 2020 के बीच वाणिज्य कर विभाग के दो इकाईयों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 14 इकाईयों, परिवहन विभाग के एक इकाई, निबंधन विभाग के आठ इकाईयों एवं खान एवं भूतत्व विभाग के 12 इकाईयों की भी लेखापरीक्षा की गयी।

लेखापरीक्षा ने 629 मामलों में कुल ₹ 3,658.11 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का पता लगाया, जिसे विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा बताया गया था। संबंधित विभागों ने 1,648 मामलों में ₹ 1,336.65 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2018 एवं अप्रैल 2020) जिसमें से ₹ 366.27 करोड़ के 55 मामले 2018-19 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। विभागों ने 196 मामलों में ₹ 8.90 करोड़ का वसूली प्रतिवेदित (अप्रैल 2018 एवं अप्रैल 2020 के बीच) किया।

1.6 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में 12 कंडिकाएँ और “मोटर वाहन कर का संग्रहण एवं आरोपण” पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है। प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 2,389.53 करोड़ है।

विभागों/सरकार ने कुल ₹ 1,081.49 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (मई 2020 तक)। लेखापरीक्षा अवलोकनों की चर्चा इस प्रतिवेदन के अनुवर्ती अध्याय 2 से 6 में की गयी है।

बताई गई त्रुटियाँ/चूक का आधार नमूना लेखापरीक्षा है। इसलिए, विभाग/सरकार को सभी इकाईयों का यह जाँच करने के लिए व्यापक पुनरीक्षण करना चाहिये कि क्या समान त्रुटियाँ/चूक अन्य जगह भी मौजूद है, अगर हाँ, तो उसे सुधारने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना चाहिए जो इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सके।

अध्याय 2
वाणिज्य-कर

अध्याय-2 : वाणिज्य-कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य-कर¹ का आरोपण एवं संग्रहण, निम्नलिखित अधिनियमों एवं उसके अंतर्गत बने नियमावली के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं:

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
- बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
- एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993;
- बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948;
- बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988;
- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948;
- बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर अधिनियम, 2011; एवं
- बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007।

शीर्ष स्तर पर, वाणिज्य कर विभाग का नेतृत्व राज्य कर आयुक्त द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता राज्य कर विशेष आयुक्त, राज्य कर अपर आयुक्त, राज्य कर संयुक्त आयुक्त और राज्य कर उपायुक्त/राज्य कर सहायक आयुक्त द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य को नौ² प्रशासनिक प्रमंडलों, नौ³ अपील प्रमंडलों और नौ⁴ अंकेक्षण प्रमंडलों में विभाजित किया गया है, जैसाकि वे मूल्यवर्द्धित कर अवधि में थे, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर अपर आयुक्त द्वारा किया जाता है। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को आगे 50 अंचलों में उप-विभाजित किया गया है, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर सहायक आयुक्तों की सहायता से राज्य कर संयुक्त आयुक्त/राज्य कर उपायुक्त द्वारा किया जाता है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा ने राज्य कर आयुक्त के कार्यालय के अभिलेखों का नमूना-जाँच किया। अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के दौरान वाणिज्य-कर विभाग के 60 इकाइयों में से दो इकाइयों⁵ का लेखापरीक्षा किया गया जिसमें 343 मामलों में सन्निहित

¹ वाणिज्य-कर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर, यात्रियों एवं वस्तुओं पर कर, विद्युत पर कर और शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर-पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं।

² भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

³ भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

⁴ भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

⁵ पाटलिपुत्र एवं पटना विशेष।

₹ 869.07 करोड़ की अनियमितताएँ पाई गईं जो कि निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि तालिका 2.1 में वर्णित है।

तालिका-2.1 लेखापरीक्षा का परिणाम			
			(₹ करोड़ में)
क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
क: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर /मूल्यवर्द्धित कर/केन्द्रीय माल एवं सेवा कर/राज्य माल एवं सेवा कर/एकीकृत माल एवं सेवा कर			
1.	आवर्त का छिपाव किया जाना	49	257.24
2.	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अनुमति दिया जाना	41	105.32
3.	कर से छूट की अनियमित अनुमति दिया जाना	05	30.74
4.	कर का गलत दर लगाया जाना	34	26.00
5.	कर का आरोपण नहीं/कम किया जाना	30	25.13
6.	माल एवं सेवा कर में संक्रमणकालीन क्रेडिट	30	23.30
7.	क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना	01	15.91
8.	आवर्त का गलत निर्धारण के कारण कम आरोपण	08	13.47
9.	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का आरोपण नहीं/कम किया जाना	03	1.35
10.	कर के रियायती दर की अनियमित छूट	01	0.13
11.	केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण	01	0.01
12.	अन्य मामले	118	310.82
कुल		321	809.42
ख: प्रवेश कर			
1.	आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण	16	48.79
2.	प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	06	10.86
कुल		22	59.65
कुल योग		343	869.07

अप्रैल 2018 से अप्रैल 2020 के दौरान, विभाग ने 665 मामलों में ₹ 36.71 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 142 मामलों में ₹ 6.92 करोड़ की वसूली की जो कि 2018-19 के पूर्व इंगित किए गए थे। पूर्ववर्ती वर्षों के शेष मामलों एवं 2018-19 के सभी मामलों के उत्तर अप्राप्त हैं (मई 2020)।

2.2.1 माल एवं सेवा कर डाटा पर एक्सेस

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवाशर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 16 यह प्रावधित करता है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उन सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करेगा जो भारत की और प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की जिसमें विधान सभा है, संचित निधि में देय है, और अपनी संतुष्टि कर ले कि उस बारे में सभी नियम और प्रक्रियाएं इस प्रकार परिकल्पित हैं कि राजस्व का निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन के प्रभावशाली जाँच सुनिश्चित हो सके और उसका विधिवत अवलोकन किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिये लेखाओं की ऐसे परीक्षा करे जो वह ठीक समझे और उस पर प्रतिवेदन दे। लेखा परीक्षा और लेखा विनियमन, 2007 की धारा 54 के अनुसार प्राप्तियों के लेखापरीक्षा में प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जाँच और संभावित कर दाताओं की पहचान, उनकी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने में प्रभावकारिता के साथ-साथ कर अपवंचना का पता लगाना और रोकथाम आदि भी शामिल है। पुनः लेखा परीक्षा और लेखा विनियमन, 2007 की धारा 164 यह भी प्रावधित करता है कि लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि लेखापरीक्षा को आईटी प्रणालियों तक पहुंच का अधिकार हो, इस तथ्य के बावजूद भी कि प्रणालियों का स्वामित्व, रखरखाव एवं संचालन, अंकेक्षण की जानेवाली इकाई द्वारा या अंकेक्षण की जानेवाली इकाई की ओर से किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाता हो।

इस प्रतिवेदन की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा को जीएसटी आंकड़ों पर ऐक्सेस नहीं था, जिसके अभाव में, लेखापरीक्षा संक्रमणकालीन क्रेडिट की स्वीकृति तथा दावे, जहां मूल्यवर्द्धित कर अवधि के अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा किया गया था के अलावा जीएसटी की अवधि से संबंधित अभिलेखों की जाँच नहीं कर सका।

जीएसटीएन/जीएसटी आंकड़ों पर ऐक्सेस के अभाव में, लेखापरीक्षा यह जाँच नहीं कर सका कि आईटी प्रणाली को जीएसटी नियमों के साथ सही तरीके से परिमाणन किया गया है, रिटर्न दाखिल और कर का भुगतान समय से किया गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा मापदंडों के अनुसार किया गया है, व्यवसायियों द्वारा कर के विलम्ब से भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान किया गया है आदि।

2.3 आवर्त का छिपाव किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा तीन व्यवसायियों के मामले में ₹ 5.64 करोड़ के आवर्त के छिपाव का पता नहीं लगाया जा सका जिससे आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 2.36 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, के धारा 31 (2) के अंतर्गत कर-निर्धारण प्राधिकारी को छिपाव, त्रुटि या सही बिक्री/खरीद के प्रकटीकरण में विफलता के मामलों में छूटे हुए आवर्त पर देय कर एवं ब्याज के अलावा देय कर का तीन गुणा अर्थदण्ड आरोपित करने की शक्ति प्रदान करता है। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) की उपधारा (क) से (च) के अनुसार कर-निर्धारण प्राधिकारी विहित छः जाँच सूची के अनुसार प्रत्येक तिमाही एवं वार्षिक रिटर्न की संवीक्षा करेगा।

2.3.1 विक्रय आवर्त का छिपाव किया जाना

पाटलिपुत्र वाणिज्य कर अंचल में नवम्बर 2019 में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि एक व्यवसायी ने अपने वार्षिक रिटर्न में वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 70.75 करोड़ के माल का विक्रय उद्घाटित किया। हालाँकि, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट-IV⁶ के आंकड़ों के अनुसार उसका विक्रय आवर्त ₹ 71.71 करोड़ था। इस प्रकार, व्यवसायी ने ₹ 96.25 लाख के विक्रय आवर्त का छिपाव किया, जिसे मार्च 2019 में कर-निर्धारण के दौरान पता नहीं लगाया जा सका। इसके फलस्वरूप ₹ 5.02 लाख के आरोप्य ब्याज एवं ₹ 32.40 लाख के अर्थदण्ड सहित ₹ 48.22 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (मार्च 2020) किया गया; उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

2.3.2 क्रय आवर्त का छिपाव किया जाना

पाटलिपुत्र वाणिज्य कर अंचल में नवम्बर 2019 में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि दो व्यवसायियों ने वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 349.58 करोड़ के माल का वास्तविक क्रय किया जैसा कि उनके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट⁷ और सुविधा⁸ के उपयोग विवरणी में दर्शाया गया है। हालाँकि, उन्होंने उनके वार्षिक रिटर्नों में केवल ₹ 344.67 करोड़ का क्रय उद्घाटित किया, इस प्रकार, ₹ 4.92 करोड़ के माल के क्रय का छिपाव किया। जनवरी एवं जुलाई 2018 में कर-निर्धारण के दौरान ₹ 4.92 करोड़ के क्रय आवर्त

⁶ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट

⁷ टीएआर- प्रत्येक व्यवसायी जिसका सकल आवर्त ₹ एक करोड़ या इससे अधिक हो, को निर्धारित तिथि के पहले किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित टीएआर जमा करना आवश्यक है।

⁸ सिम्पलीफाइड यूजेस ऑफ वेहिकल इनफॉर्मेशन डाटा हार्मोनाइज्ड एप्लीकेशन। सुविधा एक घोषणापत्र है जो व्यवसायियों द्वारा राज्य के बाहर/ दूसरे राज्य से अंदर तथा राज्यान्तर्गत वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है।

के छिपाव का पता नहीं लगाया गया। इसके फलस्वरूप ₹ 19.18 लाख के आरोप्य ब्याज एवं ₹ 1.27 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 1.88 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-1 में वर्णित है।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (मार्च 2020) किया गया; उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

2.4 कटौतियों के गलत लाभ/दावा के कारण कर का कम आरोपण

कर-निर्धारण पदाधिकारी व्यवसायियों द्वारा अमान्य कटौतियों के लाभ लिए जाने का पता लगाने में असफल रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 1.60 करोड़ कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 7 यह प्रावधित करता है कि अनुसूची-1 में निर्दिष्ट वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कोई कर देय नहीं होगा। पुनः, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की अनुसूची-1 के क्रम संख्या 76 सपठित एस.ओ. संख्या 325 दिनांक 05.12.2008 प्रावधित करता है कि राज्य में स्थित सेंट्रल मास्टर कैंटीन द्वारा केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के उपयोग के लिए सामानों की खरीद/बिक्री पर कोई कर का भुगतान नहीं किया जाएगा, इस शर्त के अधीन कि कोई अधिकारी जो एक कमांडिंग ऑफिसर रैंक के नीचे का न हो, यह प्रमाणित करता है कि बिक्री/खरीद केन्द्रीय बलों के किसी सदस्य के उपयोग के लिए की गई है और बेचे गये माल का पुनर्विक्रय नहीं किया जाएगा।

दो वाणिज्य कर अंचलों⁹ में जुलाई और नवंबर 2019 में कर निर्धारण अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों यथा रिटर्न और टार की नमूना जाँच से पता चला कि छः व्यवसायियों ने 2016-17 की अवधि के दौरान अनुसूची-1 में शामिल वस्तुओं के लिए ₹ 20.51 करोड़ की कटौतियों का लाभ उठाया था, जबकि वे केवल ₹ 11.97 करोड़ कटौती के लिए योग्य थे। छः में से पाँच व्यवसायियों ने सीएसडी कैंटीनों और अन्य को माल की बिक्री के विरुद्ध कटौती का लाभ उठाया, हालाँकि छूट प्रमाण-पत्र मास्टर कैंटीन के प्रभारी और कैंटीन अधिकारी द्वारा जारी किया गया था जबकि कमांडिंग ऑफिसर द्वारा प्रमाणित नहीं था। शेष एक मामले में अनुसूची-1 वस्तुओं की बिक्री के विरुद्ध कटौती का दावा किया गया था परंतु बीजक के अनुसार वास्तव में दवाएं बेची गई थीं। कर निर्धारण प्राधिकारी, पाँच मामलों में, छूट प्रमाण-पत्र के अपेक्षित समर्थन द्वारा कटौती के दावों का पता लगाने में विफल रहे और एक मामले में कर निर्धारण आदेश में सीएसडी कैंटीन को बिक्री के कारण कटौती को अस्वीकृत कर दिया परंतु जुलाई 2018 से सितम्बर 2019 के बीच कर निर्धारण के दौरान अस्वीकृत कटौती पर कोई कर नहीं लगाया जिसके फलस्वरूप ₹ 46.99 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 1.60 करोड़ का कम कर लगाया गया जैसा कि परिशिष्ट-2 में वर्णित है।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (मार्च 2020) किया गया; उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

2.5 स्वीकृत कर एवं ब्याज का भुगतान नहीं/कम किया जाना

कर-निर्धारण के दौरान स्वीकृत कर के कम/विलंबित भुगतान का पता नहीं लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.88 करोड़ के कर की कम वसूली एवं ₹ 4.38 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी द्वारा कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले करेगा, जिसमें विफल रहने पर, उसे 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर

⁹ पाटलिपुत्र और पटना विशेष।

अधिनियम, की धारा 25(1) के अनुसार कर-निर्धारण प्राधिकारियों को कर एवं ब्याज के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए तिमाही के साथ-साथ वार्षिक रिटर्नों की संवीक्षा करनी थी।

- दो वाणिज्य कर अंचलों¹⁰ में अगस्त और नवंबर 2019 के बीच अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि दो व्यवसायियों द्वारा 2016-17 की अवधि में ₹ 55.10 करोड़ के स्वीकृत कर के विरुद्ध ₹ 53.08 करोड़ के कर का भुगतान उनके रिटर्नों में दर्शाया गया है। इस प्रकार ₹ 2.02 करोड़ के स्वीकृत कर का कम भुगतान किया गया था। कर निर्धारण प्राधिकारियों को रिटर्न जाँच करने और कर के भुगतान के साक्ष्य देखने और तदनुसार व्यवसायियों को नोटिस जारी करनी थी। हालाँकि, वे मार्च 2017 और मार्च 2018 के बीच कर-निर्धारण के दौरान कम भुगतान का पता नहीं लगा सके, जिसके फलस्वरूप ₹ 86.75 लाख के आरोप्य ब्याज एवं ₹ 2.02 करोड़ के स्वीकृत कर का कम भुगतान हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-3** में वर्णित है।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (मार्च 2020) किया गया; उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

- पटना विशेष अंचल में, जून और जुलाई 2019 के बीच, कर-निर्धारण अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा से पता चला कि दो व्यवसायियों ने 2016-17 की अवधि के दौरान छः से 714 दिनों के विलंब के साथ उनके स्वीकृत कर का भुगतान किया था। हालाँकि उनके द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था, जबकि वे ₹ 4.38 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। कर निर्धारण प्राधिकारी कर-निर्धारण करते समय दिसंबर 2018 और मार्च 2019 के बीच विलम्ब से किए गये भुगतान का पता लगाने में विफल रहे, और इसलिए, उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर ऐसे विलम्ब से किए गये कर के भुगतान के लिए ब्याज का आरोपण नहीं किया। इसके फलस्वरूप ₹ 4.38 करोड़ की ब्याज राशि का अनारोपण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-4** में वर्णित है।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (मार्च 2020) किया गया; उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

2.6 प्रवेश कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज आरोपित नहीं किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रवेश कर के विलंब से भुगतान पर ₹ 1.91 करोड़ के ब्याज के आरोपण नहीं किया।

बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी द्वारा कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले करेगा, जिसमें विफल रहने पर, उसे 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, की धारा 25(1) के अनुसार कर-निर्धारण प्राधिकारियों को कर एवं ब्याज के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए तिमाही के साथ-साथ वार्षिक रिटर्नों की संवीक्षा करनी थी।

दो वाणिज्य कर अंचलों¹¹ में जून और नवंबर 2019 के बीच कर-निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि तीन व्यवसायियों ने 2016-17 की अवधि के दौरान दो से लेकर 251 दिनों तक के विलंब से अपने स्वीकृत प्रवेश कर का भुगतान किया था। इन व्यवसायियों ने ₹1.93 करोड़ के देय ब्याज के विरुद्ध केवल ₹ 1.50 लाख के ब्याज का भुगतान किया। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने मार्च 2017 से मार्च 2019 के बीच प्रवेश कर के विलंब से भुगतान पर कर निर्धारण के दौरान उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये ब्याज का आरोपण नहीं किया। इसके फलस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ के ब्याज का अनारोपण हुआ जैसाकि **परिशिष्ट-5** में वर्णित है।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (मार्च 2020) किया गया; उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

¹⁰ पाटलिपुत्र और पटना विशेष।

¹¹ पाटलिपुत्र और पटना विशेष।

अध्याय 3
राजस्व एवं भूमि सुधार

अध्याय-3 : राजस्व एवं भूमि सुधार

3.1 परिचय

बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि का अधिग्रहण एवं हस्तान्तरण तथा भू-राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण करता है। भूमि अधिग्रहण के लिए समाहर्ता उत्तरदायी होते हैं जिनको जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहयोग करते हैं।

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त प्रशासनिक प्रधान होते हैं और उनको मुख्यालय स्तर पर तीन निदेशक, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव एवं उप सचिव सहयोग करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, उपसमाहर्ता एवं अंचलाधिकारी कार्य करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अंचल अधिकारी, भू-अभिलेखों के रख-रखाव एवं भू-राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2018-19 के दौरान, लेखापरीक्षा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 952 इकाइयों में से 11¹ इकाइयों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया था। इसके अतिरिक्त, जिला भू-अर्जन कार्यालयों की सात इकाइयों² एवं अपर समाहर्ता के सात कार्यालयों³ का लेखापरीक्षा सितम्बर 2019 और जनवरी 2020 के दौरान किये गये। लेखापरीक्षा जाँच में 135 मामलों के लेखापरीक्षा अवलोकनों में सन्निहित ₹ 877.24 करोड़ को तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 : लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	जिला भू-अर्जन कार्यालय में मुआवजे/अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान का लेखा परीक्षा	1	125.04
2.	सैरात के बन्दोबस्त का लेखा परीक्षा	1	9.54
3.	महादलित विकास योजना के अन्तर्गत अधिक व्यय	1	18.10
4.	सरकारी भूमि का हस्तांतरण	1	108.54
5.	प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना हवाई सर्वेक्षण का भुगतान।	1	20.93
6.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मद में निधि के अनुश्रवण में कमी	1	42.48
7.	भारत सरकार एवं राज्य सरकार से निधि का नहीं प्राप्त होना/कम जारी किया जाना	2	68.69
8.	विभिन्न बैंकों में निधि का अनियमित स्थानांतरण/पार्किंग	3	39.52
9.	भूधारियों को मुआवजा का कम/नहीं भुगतान	1	28.50
10.	स्थापना व्यय/बैंक ब्याज का नहीं/कम प्रेषण	9	180.57
11.	दोषपूर्ण प्राक्कलन	2	20.24
12.	अन्य	112	215.09
	कुल	135	877.24

¹ जिला भू-अर्जन कार्यालय : अररिया, किशनगंज, मोतिहारी, नालन्दा, पटना, पूर्णिया, सुपौल एवं वैशाली। अंचल कार्यालय: दानापुर; प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना का कार्यालय एवं निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप का कार्यालय।

² गया, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, सहरसा एवं सारण।

³ पटना, नालन्दा, मधुबनी, सीतामढ़ी, गोपालगंज, पूर्णिया एवं किशनगंज।

विभाग ने पूर्व के वर्षों में इंगित किये गये 176 मामलों में सन्निहित ₹ 507.72 करोड़ कम आरोपण, कम उद्ग्रहण और अन्य कमियों को स्वीकार किया। 2018-19 के दौरान इंगित किये गये पाँच मामलों में सन्निहित ₹ 0.27 करोड़ को भी स्वीकार किया। वर्ष 2018-19 के शेष मामले और पूर्व के वर्षों के शेष मामलों के उत्तर अप्राप्त था (मई 2020)।

3.3 जिला भू-अर्जन कार्यालयों में मुआवजे/अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान का लेखापरीक्षा

3.3.1 परिचय

भूमि अधिग्रहण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार सार्वजनिक उद्देश्य जैसे कि उद्योग का विकास, ढाँचागत सुविधाएँ और शहरीकरण, के लिये भूमि प्राप्त करती है एवं प्रभावित भू स्वामियों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के साथ मुआवजा प्रदान करती है। भू-अर्जन की प्रक्रिया, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" और उसमें समय-समय पर संघ द्वारा किया गया संशोधन एवं बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिकार नियमावली 2014 से शासित होती है।

निम्नलिखित तालिका मुआवजा के घटक एवं इसके गणना को दर्शाता है

तालिका 3.2

क्र. सं.	अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के मुआवजा पैकेज के घटक	मूल्य निर्धारण का तरीका
1	भूमि का बाजार मूल्य	भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2	गुणक जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बाजार मूल्य को गुणा किया जाएगा।	शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के आधार पर एक एवं दो
3	गुणक जिसके द्वारा शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य को गुणा किया जाएगा।	एक
4	अधियाचित भूमि/भवन से संबंधित संपत्ति	भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 29 के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
5	तोषण	क्रम संख्या 1 पर उल्लेखित भूमि के बाजार मूल्य के एक सौ प्रतिशत के बराबर, ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित गुणक से गुणित एवं शहरी क्षेत्र के लिए क्रम संख्या 3 पर उल्लेखित गुणक से गुणित, साथ ही भूमि या भवन पर अवस्थित परिसंपत्ति क्रम संख्या 4 कॉलम 2 के अनुसार।
6	ग्रामीण क्षेत्र में अंतिम अवार्ड	क्रम संख्या 1 में वर्णित भूमि के बाजार मूल्य को क्रम संख्या 2 में वर्णित गुणक से गुणित तथा कॉलम 2 के अंतर्गत क्रम संख्या 4 में वर्णित भूमि या भवन से संबंधित परिसंपत्ति तथा कॉलम 2 के अंतर्गत क्रम संख्या 5 में वर्णित तोषण का योग।
7	शहरी क्षेत्र में अंतिम अवार्ड	क्रम संख्या 1 में वर्णित भूमि के बाजार मूल्य को क्रम संख्या 3 में वर्णित गुणक से गुणित तथा कॉलम 2 के अंतर्गत क्रम संख्या 4 में वर्णित भूमि या भवन से संबंधित परिसंपत्ति तथा कॉलम 2 के अंतर्गत क्रम संख्या 5 में वर्णित तोषण का योग।
8	पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु मुआवजा	जहाँ आवास या आवासीय भूमि अधिग्रहित किया गया हो, वहाँ प्रत्येक परिवार का पुनर्व्यवस्थापन भत्ता ₹ 50,000 परिवहन मूल्य ₹ 50,000 और एकमुश्त ₹ पाँच लाख का भुगतान किया जाता है।

विभिन्न भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं से प्रभावित भूस्वामियों को मुआवजे का भुगतान करते समय मौजूदा अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों के अनुपालन की जाँच करने के लिए लेखापरीक्षा की गई थी। ईन्टरैक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एनालिसिस (आईडिया) सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सात जिलों⁴ का चयन रैंडम सैंपलिंग विधि से किया गया। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए सितम्बर 2019 से जनवरी 2020 के बीच लेखापरीक्षा किया गया। इन नमूना जाँचित जिलों में, 40 परियोजनाएँ थी जिनमें 588 मौजा शामिल थे; लेखा परीक्षा ने 28 परियोजनाओं में सम्मिलित 334 मौजों की जाँच की और 28 परियोजनाओं जिसमें 249 मौजे शामिल थे में अनियमितताएँ पाई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.2 राज्य की समेकित निधि में स्थापना प्रभार का प्रेषण नहीं किया जाना

चार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ₹ 91.03 करोड़ के स्थापना प्रभार की राशि राज्य सरकार के समेकित निधि में प्रेषण करने में विफल रहे जबकि निधि उनके पास उपलब्ध थी।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव के निर्देश (मई 2006) के साथ पठित बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार नियमावली 2014, 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के मध्य चार⁵ स्तरों के निर्धारित दर से स्थापना प्रभार को भूमि अधियाची निकाय से वसूल कर सरकारी खाते के भू-राजस्व शीर्ष में जमा करने हेतु प्रावधित करता है जिसे पूनर्निर्धारित (27 जून 2018) कर दो प्रतिशत किया गया था, जिसे अधियाचना करनेवाले विभाग से उद्ग्रहित कर सरकार के भू राजस्व खाते में जमा किया जाना था।

चार जिला भू-अर्जन कार्यालयों⁶ में, लेखापरीक्षा ने 19 परियोजनाओं के अभिलेखों का जाँच (अक्टूबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच) किया तथा पाया कि अधियाचना करने वाले इकाईयों से 19 परियोजनाओं⁷ हेतु भू-अर्जन करने के लिए ₹ 1,293.05 करोड़ दिसम्बर 2009 से सितम्बर 2019 की अवधि में प्राप्त हुआ था। लेखापरीक्षा की तारीख तक भू-अर्जन की प्रक्रिया इनमें से किसी भी परियोजना में पूर्ण नहीं हो सकी थी। इन परियोजनाओं के अधिग्रहण लागत के अनुपात में, ₹ 129.30 करोड़ की स्थापना शुल्क की राशि प्राप्त हो चुकी थी, जिसे राज्य के समेकित निधि में जमा किया जाना चाहिए था। हालाँकि, संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों द्वारा मात्र ₹ 38.27 करोड़ ही जमा किया गया था। भू-अर्जन पदाधिकारियों के पास ₹ 893.44⁸ करोड़ की राशि की उपलब्धता के बावजूद अब तक ₹ 91.03 करोड़ के स्थापना शुल्क को राज्य के समेकित निधि के संबंधित राजस्व मद में प्रेषित नहीं किया जाना उपरोक्त नियमों का उल्लंघन है।

⁴ गया, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, सहरसा और सारण।

⁵ स्थापना प्रभार की दर: 20 प्रतिशत यदि मुआवजा राशि 15 लाख से अधिक हो, 25 प्रतिशत यदि मुआवजा राशि 10 लाख से अधिक लेकिन 15 लाख से कम हो, 30 प्रतिशत यदि मुआवजा राशि 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम हो तथा 35 प्रतिशत यदि मुआवजा राशि 5 लाख से कम हो।

⁶ गया, खगड़िया, सहरसा और सारण।

⁷ राष्ट्रीय राजमार्ग-2, मुचलिनद सरोवर विस्तार योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग-83 (पटना-गया-डोभी), बंधुआ से पैमार पलाईओवर, बीएसएफ क्वार्टर निर्माण, रुपौली नौरंगा परिवारों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, नयागाँव के प्रभावित परिवारों का पुनर्स्थापन, समाहर्ता आवास, हाथीकोठी से बिरौल पथ, 33/11 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, 132/33 किलो वाट पावर सब स्टेशन, 33/11 से भी पावर सब स्टेशन, मत्स्यगंधा जलाशय परियोजना, सिमरी बख्तियारपुर एसडीओ भवन निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग -107 कोशी, बलुआघाट एवं गण्डौल के बीच पहुँच पथ, गण्डक नदी पर आरसीसी पुल सह पहुँच पथ निर्माण, दीघा सोनपुर रेल सह पहुँच पथ और छपरा मुजफ्फरपुर नई बडी रेल लाइन।

⁸ पीडी खाता में ₹ 110.41 करोड़ एवं बचत बैंक खाता में ₹ 783.03 करोड़।

संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों ने स्थापना शुल्क का परियोजनावार खाता भी नहीं बनाया था, और इसकी अनुपस्थिति में उन्होंने किसी भी परियोजना के स्थापना शुल्क की विवरणी को सुनिश्चित नहीं किया जिसे संबंधित राजस्व मद में प्रेषित किया जाना था। पुनः, न तो जिला समाहर्ता और न ही निदेशक, भू-अर्जन जो कि क्रमशः जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के जिला स्तर एवं विभागीय स्तर पर पर्यवेक्षण पदाधिकारी थे, ने स्थापना शुल्क के सरकारी खाते में प्रेषण सुनिश्चित किये जाने पर कोई भी निगरानी रखी थी। इस प्रकार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ₹ 91.03 करोड़ के स्थापना शुल्क की राशि को राज्य के समेकित निधि में जमा करने में विफल रहे, जैसा कि **परिशिष्ट-6** में वर्णित किया गया है।

पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों⁹ में समान टिप्पणियाँ की गई थी। फिर भी, ये सब अनियमितताएँ हो रही हैं जो विभाग में आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

इसके इंगित किये जाने पर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा ने बताया (जून 2020) कि राष्ट्रीय राजमार्ग 107 से संबंधित स्थापना शुल्क की ₹ एक करोड़ की राशि को सरकार के खाते में प्रेषित कर दिया गया था। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गया ने स्वीकार किया (मई 2020) कि स्थापना शुल्क की राशि को सरकार के खाते में प्रेषित नहीं किया गया था, जबकि अन्य जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों ने बताया (जून 2020) कि स्थापना शुल्क की राशि को सरकार के खाते में प्रेषित कर दिया जाएगा।

मामला विभाग को फरवरी 2020 में प्रेषित किया गया, उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

3.3.3 प्राक्कलन में अतिरिक्त मुआवजा का त्रुटिपूर्ण गणना

चार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अतिरिक्त मुआवजे की गणना करने में विफल रहे या त्रुटिपूर्ण गणना की। इन अनियमितताओं के परिणामस्वरूप ₹ 24.56 करोड़ की अतिरिक्त मुआवजे की त्रुटिपूर्ण गणना हुई।

भू-अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 23 (1) और भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 30 (3) प्रावधान करता है कि अतिरिक्त मुआवजा का भुगतान भूमि के बाजार मूल्य के 12 प्रतिशत की दर से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन की अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से समाहर्ता के अवार्ड घोषित करने की तिथि या भूमि पर कब्जे की तिथि जो भी पहले हो तक की जाएगी।

● दो जिलों (पटना एवं सारण), में लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर एवं दिसम्बर 2019 के बीच) कि अप्रैल 2016 से सितम्बर 2019 की अवधि में जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों ने सात परियोजनाओं जिसमें 57 मौजा शामिल थे, के सभी प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे का प्राक्कलन बनाया। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना ने अतिरिक्त मुआवजा की गणना अधिसूचना की तिथि से समाहर्ता के अवार्ड की तिथि या भूमि पर कब्जा की तिथि जो भी पहले हो के बदले अनुमोदन की तिथि तक किया। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण ने अतिरिक्त मुआवजा की गणना भूमि के बाजार मूल्य और भूमि पर अवस्थित परिसंपत्तियों (भूमि पर अवस्थित भवन का मूल्य, चापाकल, वृक्षों आदि) के बदले अनियमित रूप से भूमि के बाजार मूल्य के दोगुना पर की थी। इन अनियमितताओं के परिणामस्वरूप ₹ 8.71 करोड़ के अधिक अतिरिक्त मुआवजे की गणना की गई, जैसा कि **परिशिष्ट-7** में वर्णित है।

⁹ 2018 के प्रतिवेदन सं.-2 के कंडिका सं.-3.11 और 2019 के प्रतिवेदन सं.-2 के कंडिका सं. 3.3।

- तीन जिलों¹⁰ में, लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर और दिसम्बर 2019 के बीच) कि जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों ने दिसम्बर 2009 से सितम्बर 2019 की अवधि में 10 परियोजनाओं¹¹ जिसमें 46 मौजा शामिल थे के सभी प्रभावित भू स्वामियों के लिए मुआवजा का प्राक्कलन बनाया था। पाँच परियोजनाओं¹² के मामलों में, संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों ने अतिरिक्त मुआवजा को प्राक्कलन में शामिल नहीं किया; तीन परियोजनाओं¹³ के मामले में, संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों ने अतिरिक्त मुआवजा का गणना अधिसूचना की तिथि से अवार्ड की वास्तविक तिथि या भूमि पर कब्जा की तिथि जो भी पहले हो के बदले कब्जा की संभावित तिथि तक किया था। दो परियोजनाओं के मामलों में, (छपरा-मुजफ्फरपुर नई रेल लाईन और दीघा सोनपुर रेल सह पहुँच पथ) जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण ने त्रुटिपूर्ण गणना की। इन अनियमितताओं के परिणामस्वरूप ₹ 15.85 करोड़ के कम अतिरिक्त मुआवजे की गणना की गई जैसा कि **परिशिष्ट-8** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना ने कहा (अक्टूबर 2019) कि विभाग से निर्देश प्राप्त करने के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सारण ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (जून 2020) कि अधिक अतिरिक्त मुआवजा की गणनावाले मामलों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद संशोधित कर लिया गया था। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने आगे कहा कि अतिरिक्त मुआवजा के नहीं/कम गणना के मामलों में विभाग से निर्देश माँगा जा रहा था। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर ने इंगित किये गये अवलोकनों को स्वीकार करते हुए कहा (जून 2020) कि अतिरिक्त मुआवजा के संबंध में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ आवश्यक पत्राचार किया जाएगा।

मामला विभाग को फरवरी 2020 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

3.3.4 भूमि अधिग्रहण में अनुचित विलम्ब होना

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी खगड़िया ने जनवरी 2015 से ₹ 2.24 करोड़ के निधि की उपलब्धता के बावजूद भी भू स्वामियों को भुगतान करने में विफल रहे।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 प्रावधान करता है कि समाहर्ता धारा 19 के अन्तर्गत अधिघोषणा की तिथि से 12 माह के अंदर पंचाट घोषित करेगा और यदि नहीं करता है तो भू अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा।

लेखापरीक्षा ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया के कार्यालय में “बलकुण्डा में 400 परिवारों के पुनर्वास” के भू अधिग्रहण परियोजना के दस्तावेजों की संवीक्षा (जनवरी 2020) की। यह पुनर्वास कोशी एवं बागमती नदी की बाढ़ के कारण विस्थापित प्रभावित परिवारों के कारण था। ऐसा पाया गया कि अधियाचना करने वाला निकाय (आपदा प्रबंधन विभाग) ने 27.03.2008 को 20 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु राशि ₹ 9.43 लाख उपलब्ध करायी थी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा संपूर्ण राशि 30.03.2008 को वापस कर दिया गया था। अधियाचना करने वाले निकाय (आपदा प्रबंधन विभाग) ने पुनः उतनी ही राशि ₹ 9.43 लाख 30.01.2012 को उपलब्ध कराई।

¹⁰ मुजफ्फरपुर, सहरसा और सारण।

¹¹ मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री, छपरा मुजफ्फरपुर नई बड़ी रेल लाईन एवं दीघा सोनपुर रेल सह पहुँच पथ (सारण); राष्ट्रीय राजमार्ग-102, राष्ट्रीय राजमार्ग-527 सी (मुजफ्फरपुर); कोशी नदी पर बलुआघाट से गण्डौल के बीच पहुँच पथ, सोनबरसा ग्वालपारा के 14वें किलोमीटर पर आरसीसी पुल परियोजना, विद्युत उप केन्द्र का निर्माण, सिमरी बख्तियारपुर में अनुमण्डल कार्यालय का निर्माण, मत्स्यगंधा जलाशय परियोजना (सहरसा)।

¹² मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री (सारण), कोशी नदी पर बलुआघाट से गण्डौल के बीच पहुँच पथ, सोनबरसा ग्वालपारा के 14वें किलोमीटर पर आरसीसी पुल परियोजना, विद्युत उप केन्द्र का निर्माण और सिमरी बख्तियारपुर में अनुमण्डल कार्यालय का निर्माण, (सहरसा)।

¹³ राष्ट्रीय राजमार्ग-102, राष्ट्रीय राजमार्ग-527 सी (मुजफ्फरपुर) और मत्स्यगंधा जलाशय परियोजना (सहरसा)।

जिला भू-अर्जन कार्यालय, खगड़िया के भूमि अधिग्रहण से संबंधित घटना का कालक्रम निम्नलिखित तालिका 3.3 में वर्णित है:

तालिका 3.3: घटना का कालक्रम

दिनांक	घटनाक्रम
13.11.2007	आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बालकुण्डा में 400 विस्थापित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु 20 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिये अधियाचना की गई।
27.03.2008	बजट आवंटन के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग ने ₹ 9.43 लाख की निधि उपलब्ध कराई।
31.03.2008	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी खगड़िया ने ₹ 9.43 की संपूर्ण राशि को वापस कर दिया क्योंकि वित्तीय वर्ष के दौरान इसका उपयोग नहीं किया जा सका।
06.10.2009	जिला समाहर्ता खगड़िया ने भू अधिग्रहण के लिए उपरोक्त परियोजना के अधिसूचना एवं अधिघोषणा का प्रस्ताव आयुक्त, मुंगेर को प्रेषित किया।
02.03.2010	निदेशक, भू अधिग्रहण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रस्ताव को सुधार हेतु वापस किया।
14.05.2010	संशोधित प्रस्ताव निदेशक, भू-अर्जन को भेजा गया।
09.06.2010	प्रस्ताव पुनः संशोधन हेतु निदेशक द्वारा वापस किया गया।
05.06.2010	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, चौधम से भूमि के प्रकार के संबंध में प्रतिवेदन माँगा गया।
25.12.2010	अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कई स्मार पत्रों के बाद प्राप्त हुआ।
24.02.2011	प्रस्तावित अधिसूचना एवं अधिघोषणा का संशोधन प्रतिवेदन निदेशक को प्रेषित किया गया।
18.04.2011	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने इस परियोजना का अधिसूचना प्रकाशित कराया।
29.04.2011	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने इस भूमि के अधिग्रहण का अधिघोषणा प्रकाशित कराया।
30.01.2012	₹ 9.43 लाख की निधि पुनः जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/समाहर्ता को प्राप्त हुआ।
08.02.2012	आपातकालीन उपबंध अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव आयुक्त को प्रेषित किया गया।
02.05.2012	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपातकालीन उपबंध ¹⁴ के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया।
22.05.2012	मौजूदा भू अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अनुसार ₹ 2.24 करोड़ का प्राक्कलन तैयार कर आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल को अग्रेषित किया गया।
31.05.2013	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संशोधित प्राक्कलन अनुमोदित कर दिया गया।
10.07.2013	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया ने निधि हेतु आपदा प्रबंधन विभाग को माँग प्रस्तुत किया।
29.08.2013	आपदा प्रबंधन विभाग ने समाहर्ता खगड़िया से भू-अर्जन से संबंधित मूल दस्तावेजों की माँग की।
16.09.2013	समाहर्ता खगड़िया ने आपदा प्रबंधन विभाग को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा दिया।
18.12.2013	आपदा प्रबंधन विभाग ने दस्तावेजों की जाँच के बाद कुछ विसंगति पाया और इस पर समाहर्ता से प्रतिवेदन की माँग की।
25.11.2014	समाहर्ता ने आपदा प्रबंधन विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया।
13.01.2015	पूर्व से हस्तांतरित ₹ 9.43 लाख की निधि को काट कर ₹ 2.14 करोड़ की निधि संशोधित अनुमान के आधार पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया।
03.07.2015	समाहर्ता खगड़िया ने पंचाट घोषित करते हुये भूस्वामियों को मुआवजा प्राप्त करने के लिये नोटिस जारी किया।
जुलाई से सितम्बर 2016	भू स्वामियों को मुआवजा प्राप्त करने के लिये भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा तीन और नोटिस जारी किया गया।
23.06.2017	भू-स्वामियों मुआवजा प्राप्त करने के लिये नहीं आने के कारण, समाहर्ता ने प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से इस संबंध में निर्देश माँगा।
17.08.2017	निदेशक, भू-अर्जन ने समाहर्ता को अधिनियम, 2013 के अनुसार प्राक्कलन को संशोधित करने का निर्देश दिया साथ ही भू-अर्जन प्रक्रिया एवं भुगतान में विलम्ब के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निदेश दिया।

¹⁴ भू-अधिग्रहण अधिनियम 1894 का धारा 17 (1) प्रावधित करता है कि आपातिक मामलों में समुचित सरकार भूमि का अधिग्रहण धारा 9 (1) के अनुसार नोटिस जारी करने के 15 दिन के भीतर कर सकता है।

इस प्रकार विभिन्न राज्य कर्मचारियों एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/समाहर्ता द्वारा प्राक्कलन तैयार करने एवं अनुमोदन में विलम्ब के कारण आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निधि जारी करने में विलम्ब हुआ। पुनः, आपदा प्रबंधन विभाग ने भी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/समाहर्ता द्वारा प्राक्कलन प्राप्त करने के बाद निधि जारी करने में विलम्ब किया। यद्यपि, जबतक आपदा प्रबंधन विभाग ने निधि जारी किया, नया भू-अर्जन अधिनियम 2013 प्रभावी हो चुका था और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुमान को पुनः संशोधन किये जाने की जरूरत थी, क्योंकि, भू-स्वामी जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई थी, उन्होंने अब तक पुराने दर पर मुआवजे प्राप्त नहीं किये। इन सबके कारण भू-स्वामियों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका जबकि आपदा प्रबंधन विभाग ने समाहर्ता खगड़िया को ₹ 2.24 करोड़ की राशि हस्तांतरित कर दी थी और भूमि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/समाहर्ता के कब्जा में मार्च 2013 से थी।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि मामले की समीक्षा के बाद कार्रवाई की जायेगी और अधियाची निकाय से पत्राचार भी किया जायेगा। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने आगे कहा कि भू-अर्जन परियोजना कालातीत हो चुका था, अधियाची विभाग से नये अधियाचना की जरूरत है जो अभी तक अप्राप्त है। दोषी कर्मचारियों के संबंध में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने कहा कि उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल को प्रेषित (नवम्बर 2017) किया गया था।

जिला भूमि अधिग्रहण भू-अर्जन पदाधिकारी/समाहर्ता सहित इस प्रकार, विभिन्न राज्य कर्मचारियों द्वारा अनुमान तैयार करने एवं अनुमोदन में विलम्ब के कारण मूल्य मार्च 2008 में ₹ 9.43 लाख से बढ़कर मई 2012 में ₹ 2.24 करोड़ हो गया जिसे पुनः नए अधिनियम के तहत संशोधित करना था। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को ₹ 2.24 करोड़ भुगतान करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के 13 वर्षों से अधिक के बाद भी, वालकुण्डा में 400 विस्थापित परिवारों को लक्षित पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

मामला विभाग को फरवरी 2020 में प्रेषित किया गया, उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

3.3.5 पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन मुआवजे का कम भुगतान किया जाना

मुआवजा भुगतान के अनुमान को अंतिम रूप देते समय जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/समाहर्ता द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में पुराने दर को लागू किये जाने के कारण विस्थापित परिवारों को ₹ 1.23 करोड़ कम मुआवजे का भुगतान हुआ।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिये मुआवजा भुगतान का प्रावधान करता है, जिसमें प्रत्येक प्रभावित परिवार जिनका आवासीय भूमि या आवास का अधिग्रहण किया गया है, पुनर्व्यवस्थापन भत्ता ₹ 50,000, परिवहन व्यय ₹ 50,000 और ₹ पाँच लाख का एकमुश्त भुगतान किया जाता है। उपरोक्त अधिनियम से पूर्व बिहार भू अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास नीति, 2007 के अनुसार अस्थायी सहायता के लिये ₹ 10,000 और परिवहन सहायता के लिये ₹ 5,000 का भुगतान किया जाता था।

लेखा परीक्षा ने दो जिलों (मुंगेर एवं पटना), में पाया (अक्टूबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच) कि 21 परिवारों का आवास/आवासीय भूमि संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों द्वारा अधिग्रहित किया गया था। लेकिन भू अधिग्रहण का अनुमान मात्र अस्थायी लागत घटक ₹ 10,000 और परिवहन सहायता ₹ 5,000 को शामिल कर बनाया गया (मई और दिसम्बर 2015 के बीच) जबकि लाभार्थियों को उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ₹ 50,000

पुनर्वास भत्ता ₹ 50,000 परिवहन लागत और ₹ पाँच लाख का एकमुश्त भुगतान किया जाना था।

तालिका 3.4: पुनर्व्यवस्थापन मुआवजे का विवरण

(₹ राशि में)

जिला का नाम	परियोजना का नाम	प्रभावित परिवारों की संख्या	पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु देय मुआवजा	पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु भुगतित मुआवजा	पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु कम भुगतान
मुंगेर	राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर बख्तियारपुर बाइपास को जोड़ने हेतु गंगा नदी पर पुल का निर्माण	7	42,00,000	1,05,000	40,95,000
पटना	राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के 94 किलो मीटर पर मनी नदी पर पुल का निर्माण	14	84,00,000	2,10,000	81,90,000
कुल			1,26,00,000	3,15,000	1,22,85,000
पटना जिला में, पाँच मामलों में ₹ 23.40 लाख का वास्तविक भुगतान नहीं किया गया क्योंकि लाभूकों के द्वारा मुआवजा का माँग नहीं किया गया था, फिर भी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के लेखा में इसे भुगतान दर्शाया गया।					

इस प्रकार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/समाहर्ता द्वारा मुआवजे के भुगतान हेतु प्राक्कलन को अंतिम रूप देते समय पुराने दर को लागू किये जाने के कारण विस्थापित परिवारों को पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में ₹ 1.23 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना ने कहा (अक्टूबर 2019) कि विभाग से निर्देश प्राप्त करने के बाद इसका अनुपालन किया जाएगा, और जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मुंगेर ने कहा (जनवरी 2020) कि जाँच के बाद अधियाची विभाग से माँग की जायेगी और पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन मुआवजे का भुगतान प्रभावित (विस्थापित) परिवारों को किया जाएगा।

मामला विभाग को फरवरी 2020 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

3.3.6 मुआवजे का कपटपूर्ण भुगतान

दो जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों ने यथोचित प्रक्रिया का पालन न कर, बिना प्रासंगिक दस्तावेजों की पुष्टि किये अयोग्य व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान किया और इस प्रकार निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.18 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा अपनाये गये अनुमान के मानक प्रारूप के शर्त संख्या 2 के अनुसार संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अपर समाहर्ता एवं जिला समाहर्ता, दावेदार भू स्वामियों को मुआवजे का भुगतान उनके भूमि के अधिकार और पात्रता के सत्यापन एवं पुष्टि के बाद करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

- जिला भू-अर्जन कार्यालय, सारण में, लेखापरीक्षा ने दो परियोजनाओं (राष्ट्रीय राजमार्ग-19 तथा मढ़ौरा डीजल लाकोमोटिव फैक्ट्री) के भू स्वामियों को मुआवजे भुगतान से संबंधित अभिश्रव की संवीक्षा के दौरान पाया (दिसम्बर 2019) कि छः भू-स्वामियों को ₹ 48.05 लाख मुआवजे का भुगतान अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 के बीच किया गया था। भू-स्वामियों ने अपने भूमि पर अधिकार के दावे के साक्ष्य में भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र तथा लगान रसीद प्रस्तुत की थी। इन दस्तावेजों को कथित रूप से संबंधित अंचल कार्यालयों¹⁵ (भू दस्तावेज कार्यालय) द्वारा जारी किया गया था। जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों ने

¹⁵ गरखा, मढ़ौरा और सोनपुर।

मुआवजे का भुगतान, उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के आधार पर बिना दस्तावेजों के सत्यता की जाँच किये कर दिया। एक मामले (इंदु देवी) में न तो दस्तावेजों में भू स्वामित्व प्रमाण पत्र उपलब्ध था और न ही इसे लेखापरीक्षा द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत किया गया। पुनः, लेखापरीक्षा ने अंचल कार्यालय से पुष्टि किया कि इंदु देवी उर्फ इंदु मिश्रा के नाम पर भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था तथा इसे अंचल अधिकारी के द्वारा भी सत्यापित किया गया कि मौजा तालपुरैना, थाना मढौड़ा में इंदु देवी उर्फ इंदु मिश्रा के नाम पर कोई भूमि नहीं है (जून 2020)।

हालाँकि, जब लेखापरीक्षा ने संबंधित अंचल कार्यालयों में दस्तावेजों (इंदु देवी के मामले के अतिरिक्त) का सत्यापन किया तो पाया कि भुगतान का आधार बने दस्तावेजों को इन कार्यालयों के द्वारा जारी नहीं किया गया था और वे जाली थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने मानक शर्तों का पालन करने में अपने यथोचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और संबंधित दस्तावेजों की बिना जाँच किये ही मुआवजे का भुगतान किया जिसके कारण ₹ 48.05 लाख मुआवजे का धोखाधड़ी से छः भू-स्वामियों को भुगतान हुआ।

पुनः, यह पाया गया कि छः भूस्वामियों जिन्होंने धोखाधड़ी से भुगतान प्राप्त किया था, उनमें से तीन ऐसे थे जिनपर उसी जिला भू-अर्जन कार्यालय में अन्य भूमि के मामले में धोखाधड़ी से भुगतान प्राप्त करने का पता चलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और नीलाम पत्र वाद शुरू (नवम्बर 2018) किया गया था। फिर भी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र में इस प्रकार के कदाचार की व्यापकता का आगे कोई जाँच नहीं किया, जो कार्यालय में नियंत्रण की कमियों एवं महत्वपूर्ण जोखिमों को इंगित करता है।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण ने कहा (दिसम्बर 2019) कि मामले की जाँच के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने आगे कहा (जून 2020) कि संबंधित अंचल अधिकारियों के द्वारा मामले की जाँच की जा रही थी।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दावेदार के सत्यता की जाँच किये बिना ही मुआवजे का भुगतान किया गया था।

मामला विभाग/सरकार को फरवरी 2020 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

- जिला भू-अर्जन कार्यालय, मुंगेर में एक परियोजना (राष्ट्रीय राजमार्ग 333 बी) की संवीक्षा में लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2020) कि अगस्त 2015 और मई 2016 में प्रकाशित अधिसूचनाओं (3ए और 3डी) के अनुसार, मौजा मुजफ्फरपुर कासिमपुर में 0.2016 हेक्टेयर (0.4981 एकड़) का एक भूखण्ड प्लॉट नं0 62, थाना नं0 163 का अधिग्रहण किया गया था। दस्तावेजों के अनुसार (अमीन का जाँच प्रतिवेदन और अन्य संबंधित दस्तावेज), प्लॉट नं0 62 में मात्र तीन भूस्वामी/लाभार्थी थे। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 70.44 लाख की राशि का भुगतान एक व्यक्ति को मूल्यांकन पंजी और अन्य संबंधित दस्तावेजों में उसके नाम के समक्ष प्लॉट नं0 62 उद्धृत कर किया गया था जो तीन लाभार्थी में से नहीं था और उस प्लॉट का एक प्रामाणिक व्यक्ति ₹ 36.46 लाख का अपना मुआवजा नहीं प्राप्त कर सका। दावेदार द्वारा प्रस्तुत भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों (लगान रसीद, पंजी-III) में प्लॉट नं0 62 का जिक्र कहीं भी नहीं था, अतः उस प्लॉट पर उसका अधिकार सिद्ध नहीं होता था। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने मानक शर्तों का उल्लंघन करते हुए बिना संबंधित दस्तावेजों की जाँच किये ही गलत व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान किया, परिणामस्वरूप ₹ 70.44 लाख का धोखाधड़ी से भुगतान हुआ, जो विभाग में नियंत्रण की कमियों एवं महत्वपूर्ण जोखिमों को इंगित करता है।

उत्तर में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर ने स्वीकार (जून 2020) किया कि मो0 मोहिउद्दीन को प्लॉट नं0 62 में 23.57 डिसमील भूमि के बदले ₹ 70.44 लाख का भूगतान भूमि पर उसके अधिकार के बिना किया गया था। इस प्रकार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के इस कार्य से यह स्पष्ट साबित होता है कि लाभार्थी को भूगतान करने में सावधानी की कमी एवं मिलीभगत की आशंका थी।

मामला विभाग/सरकार को फरवरी 2020 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

अनुशंसा: विभाग जिला भू-अर्जन कार्यालय, छपरा और जिला भू-अर्जन कार्यालय, मुंगेर में धोखाधड़ी की व्यापकता की जाँच निगरानी के दृष्टिकोण से दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध दायित्व सुनिश्चित करने एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के लिए कर सकती है।

अध्याय 4
वाहनों पर कर

अध्याय-4: वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग राज्य में वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1994, और बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के अनुसार करता है। विभाग का नेतृत्व सरकार के स्तर पर प्रधान सचिव द्वारा और विभागीय स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता है। मुख्यालय में दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्तों द्वारा राज्य परिवहन आयुक्त की सहायता की जाती है। राज्य को नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों¹ तथा 38 जिला परिवहन कार्यालयों में बाँटा गया है। उन्हें, मोटर वाहन निरीक्षक सहायता करते हैं। राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों का मुख्य कार्य वाहनों को रोड परमिट निर्गत करना है और मोटर वाहनों का निबंधन, फीस और करों का आरोपण एवं संग्रहण एवं चालक अनुज्ञप्ति निर्गत करने का उत्तरदायित्व, जिला परिवहन पदाधिकारियों को सौंपा गया है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा ने परिवहन विभाग की 49 इकाईयों में से पाँच के अभिलेखों का नमूना जाँच किया। वर्ष 2017-18 के दौरान विभाग द्वारा संग्रह किया गया राजस्व ₹ 1,599.51 करोड़ था, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 378.14 करोड़ संग्रह किए। 3,01,720 मामलों (कुल 3,09,477 मामलों में से) की लेखापरीक्षा जाँच में करों और सड़क सुरक्षा उपकरणों का नहीं/कम वसूली, परिवहन वाहनों से उद्ग्रहणीय कर वसूल नहीं किया जाना एवं अन्य अनियमितताएँ ₹ 545.13 करोड़ से सन्निहित 2,70,998 मामले (76 अवलोकनों) उजागर हुए। इसके अलावा, जून 2019 और फरवरी 2020 के बीच वाहनों पर कर एवं शुल्क के वसूली एवं संग्रहण का एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा ने ₹ 281.13 करोड़ से सन्निहित अनियमितताएँ पाई गयीं। विवरणी तालिका 4.1 में दिखाया गया है।

तालिका 4.1: लेखापरीक्षा का परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	अवलोकनों की संख्या	राशि
1.	मोटर वाहनों पर कर एवं शुल्क के वसूली एवं संग्रहण की विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा	1	281.13
2.	मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना	2	7.59
3.	ट्रैक्टर (वाणिज्य) से एकमुश्त कर का वसूली कम/नहीं किये जाने के कारण सरकारी राजस्व का नुकसान	2	0.38
4.	वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण नहीं किये जाने के कारण सरकारी राजस्व की हानि	1	7.23
5.	वाहन-4.0 सॉफ्टवेयर में सड़क सुरक्षा उपकरण के गलत परिमाण के कारण सड़क सुरक्षा उपकरण के रूप में सरकारी राजस्व का नुकसान	2	6.13
6.	सामानों की खरीद के लिए आपूर्तिकर्ता को भुगतान के लिए धन की अनियमित निकासी	1	42.23
7.	ऋण के मूलधन एवं ब्याज की वसूली नहीं होने के परिणामस्वरूप सरकार को हानि	1	413.71
8.	अन्य	67	67.86
कुल		77	826.26

विभाग ने अप्रैल 2018 से अप्रैल 2020 के दौरान 43 मामलों में ₹ 5.65 करोड़ के कम आरोपण, कम वसूली एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जो 2018-19 से पहले इंगित किया गया था। 2018-19 के मामलों और पहले के वर्षों के शेष मामलों के जवाब अप्राप्त था (मई 2020)।

¹ भागलपुर, दरभंगा, छपरा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और सहरसा।

² जिला परिवहन कार्यालय-पटना और पूर्णिया, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार-पटना और पूर्णिया एवं राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय।

4.3 मोटर वाहनों पर कर एवं शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण की विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा

4.3.1 परिचय

राज्य में वाहनों पर करों की वसूली एवं संग्रहण मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1994, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली 1994, बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 एवं परिपत्र तथा समय-समय पर जारी किये गए सरकारी आदेश के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है। वाहनों पर करों से वार्षिक प्राप्तियों का विवरण और सरकारी राजस्व में इसकी हिस्सेदारी तालिका 4.2 में दी गई है।

तालिका 4.2: वाहनों पर करों से प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वाहनों पर करों से वार्षिक प्राप्तियाँ	राज्य की कुल प्राप्तियाँ	राज्य की कुल प्राप्तियाँ के सापेक्ष वार्षिक प्राप्तियाँ का प्रतिशत
2016-17	1,256.67	1,05,584.98	1.19
2017-18	1,599.50	1,17,446.74	1.36
2018-19	2,085.94	1,31,793.45	1.58

(स्रोत: वित्त लेखे, बिहार सरकार)

परिवहन विभाग का मुख्य कार्य निबंधन प्रमाणपत्र, चालक अनुज्ञप्ति, फिटनेस प्रमाण पत्र, व्यापार प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय परमिट, अनुबंध दुलाई परमिट, राज्य दुलाई परमिट आदि निर्गत करना एवं मोटर वाहनों पर शुल्क, अर्थदण्ड एवं करों के आरोपण और संग्रहण के माध्यम से बिहार राज्य में मोटर परिवहन को विनियमित करना है। परिवहन विभाग को किसी भी वाहन को बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं रखने या बनाये रखने, बिहार में संचालित या परिचालित नहीं करने को सुनिश्चित करने का अधिकार है।

विभाग के प्रमुख कार्यों को दो कम्प्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अर्थात् सारथी (विभिन्न चालक अनुज्ञप्ति जारी करने और शुल्क के भुगतान के लिए विकसित एक एप्लीकेशन) और वाहन (वाहनों के निबंधन और सड़क शुल्क के भुगतान के लिए विकसित एक एप्लीकेशन) का उपयोग करके फीस और करों के संग्रहण के लिए क्रमशः मई 2008 एवं फरवरी 2009 से कम्प्यूटरीकृत किया गया था। वर्तमान में उन्नत संस्करण यानी वाहन 4.0 और सारथी 4.0 का उपयोग क्रमशः जनवरी 2017 और मार्च 2018 से किया जा रहा है, जिसमें वाहनों के निबंधन/चालक अनुज्ञप्ति जारी करने से पहले कर/शुल्क की वसूली के लिए अनिवार्य प्रावधान हैं। निबंधित वाहनों और चालक अनुज्ञप्तियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 4.3: निबंधित वाहनों एवं निर्गत चालक अनुज्ञप्तियों का विवरण


वर्ष	वर्ष के दौरान निबंधित कए गए वाहनों की संख्या	वर्ष के दौरान जारी किए गए चालक अनुज्ञप्ति की संख्या
2016-17	7,63,618	4,44,295
2017-18	11,18,075	3,28,703
2018-19	11,89,161	2,04,618

4.3.2 संगठनात्मक ढांचा

सरकार स्तर पर परिवहन विभाग, प्रधान सचिव/सचिव द्वारा प्रशासित है तथा राज्य परिवहन आयुक्त, विभाग के सर्वोच्च स्तर हैं। राज्य को नौ क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकारों तथा 38 जिला

परिवहन कार्यालयों एवं पाँच जाँच चौकी में बॉटा गया है। उनके उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों एवं प्रवर्तन उप निरीक्षकों³ द्वारा सहायता की जाती है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार राज्य के भीतर वाहनों के परिवहन के लिए परमिट जारी करते हैं और राज्य परिवहन आयुक्त फिटनेस मानदंड की पूर्ति के लिए लागू परमिट शुल्क जमा करने पर अंतर राज्य परमिट जारी करते हैं एवं जिला परिवहन अधिकारी मोटर वाहनों से संबंधित कर और शुल्क के आरोपण और संग्रहण का काम करते हैं। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार है।



4.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा इस दृष्टि के साथ किया गया कि पता लगाया जा सके कि क्या:

- अधिनियमों तथा नियमावली के प्रावधान एवं विभाग के निर्देश राजस्व की सुरक्षा के लिए पर्याप्त थे और वाहन/सारथी में उचित रूप से परिमापित किए गए थे;
- मोटर वाहन कर, शुल्क और अर्थदण्ड का आरोपण एवं संग्रहण तथा सरकार के खाते में इसका प्रेषण संबंधित अधिनियम और नियमावली के अनुसार किया जाता है;
- विभाग के पास कर, अर्थदण्ड और शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण करने एवं परमिट, अनुज्ञप्ति और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पर्याप्त और मजबूत आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली थी।

4.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंड में शामिल हैं:

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989;
- बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994;
- बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994;
- बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992;
- विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अधिसूचनाएँ, परिपत्रों, कार्यकारी और विभागीय आदेशों और निर्देशों;

³ राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय से संबद्ध राज्य में 39 प्रवर्तन उप-निरीक्षक हैं और जिलों में तैनात किए गए हैं और 24 मोटर वाहन निरीक्षक संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अंतर्गत जिला स्तर पर नियुक्त किए गए हैं।

- बिहार और ओडिसा लोक माँग और वसूली अधिनियम, 1914;
- बिहार कोषागर संहिता, 2011;
- कार्यकारी व्यवसाय के नियम;
- बिहार वित्तीय नियमावली।

4.3.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा का संचालन जून 2019 से फरवरी 2020 के दौरान किया गया। लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों के चयन के लिए, 38 जिलों को दो श्रेणियों 100 करोड़ एवं उससे अधिक राजस्व वाले जिलों तथा 100 करोड़ से कम राजस्व वाले जिलों में बाँटा गया। पहले श्रेणी से, 10 सबसे अधिक राजस्व उत्पादन करने वाले जिलों⁴ का चयन किया गया था। दूसरे श्रेणी, से नालंदा को इस श्रेणी में शीर्ष पर रहने के कारण चयन किया गया, औरंगाबाद को चालक और प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान के लिए चयन किया गया था, कैमूर को जांच चौकी इकाई के लिए चयन किया गया और अन्य दो इकाइयाँ (अरवल और शिवहर) यादृच्छिक रूप से चयन किया गया। इसके अलावा, नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों में तीन (पटना, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर) को यादृच्छिक रूप से लेखापरीक्षा के लिए चुना गया। राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार सरकार को सर्वोच्च इकाई होने के कारण लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था।

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति में अन्तर्दृष्टि समझने के साथ सर्वोच्च इकाई स्तर पर कर प्रशासन से संबंधित अभिलेखों की जाँच, विभाग/एन.आई.सी. से आँकड़े प्राप्त करना, आँकड़ों का लेखापरीक्षा विश्लेषण, क्षेत्रीय इकाइयों (जिला परिवहन अधिकारियों एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों) के अभिलेखों का लेखापरीक्षा साक्ष्य के लिए जाँच एवं सत्यापन, लेखापरीक्षा ज्ञापन, प्रश्नावली जारी करना और लेखापरीक्षित संस्थाओं से उत्तर प्राप्त करना एवं लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्राप्त करने लिए आरंभिक सम्मेलन एवं अंतिम सम्मेलन का आयोजन करना शामिल था।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों, इसकी कार्यप्रणाली, कार्यक्षेत्र, व्याप्ति, फोकस को समझाने और विभागीय दृष्टिकोण/शंकाओं को दूर करने के लिए परिवहन विभाग के उप सचिव के साथ 27 सितम्बर 2019 को एक प्रारंभिक सम्मेलन आयोजित किया गया। 19 अगस्त 2020 को परिवहन विभाग के सचिव के साथ एक अंतिम सम्मेलन किया गया जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। विभाग की प्रतिक्रिया को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समुचित रूप से शामिल किया गया है।

4.3.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना और अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है।

4.3.7 सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वाहनों पर करों से राजस्व की प्रवृत्ति

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में वाहनों पर करों से राजस्व में बढ़ोत्तरी का अनुपात निम्न तालिका 4.4 में दिया गया है।

तालिका-4.4: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वाहनों पर करों की प्रवृत्ति

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	3,23,004	3,56,768	3,94,350
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वृद्धि की दर	8.94	10.45	10.53
वाहनों पर करों से प्राप्त राजस्व (₹ करोड़ में)	1,256.67	1,599.51	2,085.94
वाहनों पर करों से प्राप्त राजस्व के वृद्धि की दर	16.23	27.28	30.41

⁴ बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सिवान और वैशाली।

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वाहनों पर कर का प्रतिशत में योगदान	0.39	0.45	0.53
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वाहनों पर करो से राजस्व का बढ़ोत्तरी का अनुपात	1.82	2.61	2.89

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

इसके अलावा, यह देखा गया कि बिहार के वाहनों पर कर का बढ़ोत्तरी का अनुपात इसके पड़ोसी राज्य जैसे झारखण्ड⁵ और ओडिशा⁶ से बेहतर है, जो इन राज्यों की तुलना में बिहार में बेहतर प्रशासन को दर्शाता है।

परिवहन विभाग की प्रणाली के मामले

4.3.8 अनियमित अधिसूचना के कारण एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से सड़क सुरक्षा उपकरण का कम आरोपण

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अनुसार, व्यक्तिगत वाहनों के निबंधन के समय वाहन के सम्पूर्ण काल हेतु, एकमुश्त कर का भुगतान करना था। पुनः, व्यक्तिगत वाहन (वाणिज्यिक वाहन) के अलावा वाहन को वार्षिक कर का भुगतान करना था। बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम को विभिन्न वित्त अधिनियम (2011-16) के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसमें कुछ विशिष्ट श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों⁷ के लिए एकमुश्त कर का प्रावधान लाया गया था, जो पहले वार्षिक कर के दायरे में आते थे।

परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा उपकरण के आरोपण हेतु बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 6 (क) के अंतर्गत अधिसूचना 2016 में जारी की। यह अधिसूचना यह प्रावधान करता है कि

- प्रत्येक वाहन, जो बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 7 (1) (व्यक्तिगत) के अनुसार एकमुश्त कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है ऐसे वाहन के **मूल्य के एक प्रतिशत** की दर से एवं
- धारा 7 (1) के अनुसार एकमुश्त कर का भुगतान करने वाले वाहन के अलावा प्रत्येक वाहन जैसे वाणिज्यिक वाहन इस अधिनियम के तहत **वार्षिक कर के एक प्रतिशत की दर** से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

अभिलेखों (टिप्पणपत्र) के जाँच से पता चलता है कि परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी करते समय सभी एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वाहनों से उनके मूल्य के एक प्रतिशत की दर से सड़क सुरक्षा उपकरण लगाने की मंजूरी दी थी। उक्त प्रस्ताव को वित्त विभाग की स्वीकृति भी प्राप्त थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त अधिसूचना उन वाणिज्यिक वाहनों पर सड़क सुरक्षा उपकरण को प्रावधान नहीं किया जो अपने निबंधन के समय एकमुश्त कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है।

नमूना जाँचित, जिला परिवहन कार्यालयों और जिला परिवहन कार्यालय सारण में वाहन डाटाबेस की जाँच से पता चला कि 81,177 वाणिज्यिक वाहन (तिपहिया-40,528; हल्के मालवाहक वाहन-25,297; कैब/टैक्सी-7,366 और ई-रिक्सा-7,986) आवश्यक एकमुश्त कर के भुगतान के पश्चात सितम्बर 2016 से मार्च 2019 के बीच निबंधित हुए थे। इसके अलावा, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी ने इन वाहनों पर एकमुश्त कर की एक प्रतिशत की दर से ₹ एक करोड़ सड़क सुरक्षा उपकरण की वसूली की जो अनियमित था क्योंकि अधिसूचना में एकमुश्त कर के एक प्रतिशत, सड़क सुरक्षा उपकरण लगाने का उल्लेख नहीं था। अधिसूचना (2016) केवल या तो देय वार्षिक कर के एक प्रतिशत की दर से या व्यक्तिगत वाहन के मूल्य के एक प्रतिशत की दर से सड़क सुरक्षा उपकरण के आरोपण के बारे में बताता है।

⁵ 2016-17 में 0.74, 2017-18 में 1.12 और 2018-19 में 1.57।

⁶ 2016-17 में 1.05, 2017-18 में 3.93 और 2018-19 में 1.66।

⁷ 2011-तिपहिया और हल्के मालवाहक वाहनों, 2013-मोटर कैब, 2014-ट्रैक्टर, 2016-ई-रिक्सा।

यदि सड़क सुरक्षा उपकरण के आरोपण से संबंधित अधिसूचना (2016) केवल व्यक्तिगत वाहन के मूल्य के एक प्रतिशत के जगह सभी एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वाहन के मूल्य के एक प्रतिशत की दर से सड़क सुरक्षा उपकरण का प्रावधान करता तो, आरोग्य सड़क सुरक्षा उपकरण ₹ 20.48 करोड़ होता, क्योंकि विभाग का उद्देश्य सभी एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वाहनों से चाहे वे किसी श्रेणी के हो, उसके मूल्य के एक प्रतिशत की दर से सड़क सुरक्षा उपकरण का आरोपण करना था।

जवाब में, विभाग ने कहा (जून 2020) कि केवल निजी (व्यक्तिगत) वाहन एकमुश्त कर की श्रेणी में आते हैं जो तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 7 (3) जैसा कि समय-समय पर संशोधित, वाणिज्यिक वाहनों के कुछ वर्ग से एकमुश्त कर लगाने को प्रावधित करता है। विभाग ने आगे अंतिम सम्मेलन (अगस्त 2020) में कहा कि वाणिज्यिक वाहनों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालने के उद्देश्य से वाणिज्यिक वाहनों से एकमुश्त कर के एक प्रतिशत की दर से सड़क सुरक्षा उपकरण वसूलने का सरकार का (वित्त विभाग और राज्य मंत्रिमंडल का) निर्णय था, क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव था।

हालाँकि, लेखापरीक्षा वित्त विभाग और राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय को सत्यापित नहीं कर सका (जैसा कि परिवहन विभाग ने अंतिम सम्मेलन में कहा था) क्योंकि ये अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

अनुशंसा:— अपेक्षित अधिसूचना / संशोधन द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए कि एकमुश्त कर का भुगतान करने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर सड़क सुरक्षा उपकरण, एकमुश्त कर के एक प्रतिशत या वाहनों के मूल्य के एक प्रतिशत की दर से हो।

4.3.9 अधिभार आरोपण के लिए अनियमित अधिसूचना

विभिन्न शुल्क पर अधिभार आरोपण के लिए अनियमित अधिसूचना के कारण चालक अनुज्ञप्ति और प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति धारकों पर ₹ 18.52 करोड़ का अनुचित बोझ पड़ा।

लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार द्वारा अधिभार आरोपण के लिए जारी किए गए (26 सितम्बर 2017) अधिसूचना की जाँच की और पाया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988⁸ की धारा 211 शुल्क आदि को प्रावधित करता है तथा किसी भी अधिभार के आरोपण को प्रावधित नहीं करता है। हालाँकि, बिहार सरकार ने विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने के लिए निर्धारित विभिन्न शुल्क पर अधिभार लगाने की अधिसूचना जारी करने के लिए इसे गलत तरीके से लागू किया। क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त के कार्यालय में संबंधित अभिलेखों/संचिकाओं को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उपरोक्त विभागों द्वारा वास्तविक अनुमोदन और पुनरीक्षण का पता लगाने और विश्लेषण करने के लिए लेखापरीक्षा संबंधित संचिका की जाँच नहीं कर सका। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र पटना द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, विभाग द्वारा अप्रैल 2018 से 03 जनवरी 2019 की अवधि के दौरान चालक अनुज्ञप्ति और प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए निर्धारित शुल्क पर ₹ 18.52 करोड़ रुपये का अधिभार वसूला गया, इस प्रकार चालक अनुज्ञप्ति और प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति धारकों पर अनुचित बोझ डाला गया।

विभाग ने अपने जवाब (जून और अगस्त 2020) में कहा कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 32 और 81 में परीक्षण का संचालन करने या मूल्य वर्द्धित सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्वचालन और प्रौद्योगिकी की लागत को आवरण करने के लिए अतिरिक्त राशि लगाने का प्रावधान है। विभाग ने आगे कहा कि उपरोक्त नियमावली में परिभाषित अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 211 के तहत अधिभार लगाया गया था।

विभाग का जवाब सही नहीं था, क्योंकि उपरोक्त दोनों वर्णित नियम और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 211 में अधिभार आरोपण को प्रावधित नहीं करते हैं। अतः अधिभार लगाने की अधिसूचना अनियमित थी।

⁸ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के धारा 211 यह प्रावधित करता है कि कोई भी नियम, जिसे राज्य सरकार को इस अधिनियम के अंतर्गत बनाने का अधिकार दिया गया है, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अनुसार अधिकारियों या प्राधिकारों द्वारा सेवाओं के प्रतिपादन के संबंध में ऐसे शुल्क के आरोपण को प्रावधित करता है।

4.3.10 व्यवसायी स्थल पर वाहनों के निबंधन की प्रणाली में कमी

निबंधन चिन्ह निर्दिष्ट करने के बाद वाहनो का वितरण सुनिश्चित करने के लिए किसी भी विवरणी, बाध्यकारी दायित्व के साथ-साथ व्यवसायियों के लिए निवारक उपाय का नहीं होना विभाग में कमजोर नियंत्रण तंत्र का संकेत है जिसके कारण सड़कों पर बिना निबंधित वाहनों के चलने के साथ-साथ वाहनों के निबंधन और करों और शुल्क के भुगतान में अनुचित देरी हुई।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 42 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यापार प्रमाण पत्र धारक बिना निबंधन चाहे वह अस्थायी हो या स्थाई के किसी क्रेता को मोटर वाहन सुपुर्द नहीं करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वाहन-4 में व्यवसायी स्थल निबंधन प्रणाली बिहार के सभी 38 जिला परिवहन कार्यालयों में क्रियाशील थी। ये व्यवसायी वाहनों के क्रेता से मोटर वाहन कर और निबंधन शुल्क संग्रहित कर रहे थे और ई-भुगतान/ऑन-लाइन प्रणाली के माध्यम से इस प्रकार से संग्रहित कर और शुल्क राज्य सरकार के खाते में प्रेषित कर रहे थे। तत्पश्चात वे वाहन पोर्टल पर निबंधन के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज जैसे प्रपत्र-21 बिक्री प्रमाण पत्र, चालान की प्रति आदि अपलोड करते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने और करों और शुल्क के भुगतान के बाद, व्यवसायी अपलोड किए गए दस्तावेजों की कागजी प्रति को मंजूरी के लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक को प्रस्तुत करते हैं। अनुमोदन होने पर, वाहन-4 नए वाहन के लिए निबंधन चिन्ह सृजित करता है। इस प्रक्रिया में, एक नए वाहन के निबंधन के लिए वाहन पोर्टल में दो से सात दिन परिमापित की गई है।

वाहन डाटाबेस में व्यवसायी तालिका की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने सभी नमूना जाँचित जिलों में पाया कि 4,38,118 वाहनों में से 4,23,897 वाहनों के मामले में 488 अधिकृत व्यवसायियों ने एक दिन से 1997 दिनों के विलम्ब से मोटर वाहन कर और शुल्क का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने व्यवसायियों द्वारा अपलोड/प्रस्तुत किए गए 4,23,897 में से 2,920 वाहनों के दस्तावेजों (बिक्री प्रमाण पत्र/प्रपत्र-21) का सत्यापन किया तथा पाया कि ये सभी वाहन, वाहन प्रणाली से निबंधन चिन्ह जारी करने से पहले वितरित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने जिला परिवहन कार्यालय, शिवहर में भी देखा कि एक अधिकृत व्यवसायी ने दिसम्बर 2018 में 24 वाहनों को वितरित किया और देय कर के भुगतान के बिना निबंधन के लिए आवश्यक दस्तावेजों को मार्च 2019 में अपलोड किया।

चूँकि इन वाहनों को वाहन के वितरण के समय स्थायी निबंधन चिन्ह आवंटित नहीं किया गया था, अस्थायी निबंधन चिन्ह का आवंटन केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 42 के अनुसार अनिवार्य था। अस्थायी निबंधन संख्या के आवंटन से राज्य सरकार को ₹ 3.16 करोड़ (परिशिष्ट-9) के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होती।

बिना निबंधन चिन्ह के वाहनों का वितरण न केवल तत्काल सड़क कर के वसूली एवं निबंधन चिन्ह के साथ वाहन की सुपुर्दगी को सुनिश्चित करने के व्यवसायी-स्थल निबंधन के उद्देश्य को निष्फल किया बल्कि यह इन वाहनों का आसानी से अवैध दुरुपयोग किये जाने का जोखिम था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि व्यवसायियों द्वारा किसी भी आवधिक विवरणी (वाहनों की बिक्री, कर/शुल्क का प्रेषण, दस्तावेजों को अपलोड करना आदि) की जानकारी को निगरानी और नियंत्रण तंत्र के लिए विभाग द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था। इसके अलावा चूककर्ता व्यवसायियों जिन्होंने निर्धारित समय में कर एवं शुल्क नहीं जमा किया तथा दस्तावेज अपलोड

नहीं किया के लिए कर/शुल्क के भुगतान तथा दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए अनिवार्य बाध्यता या निवारक उपाय प्रावधित नहीं किया।

विभाग ने अंतिम सम्मेलन (अगस्त 2020) में कहा कि अस्थायी निबंधन अधिकार की बात नहीं थी, बल्कि यह वाहन के खरीददार के पसंद का मामला था और इसलिए विभाग ने अस्थायी निबंधन शुल्क नहीं लगाया था। विभाग ने आगे कहा कि वाहन-4 के कार्यान्वयन (मई 2017 और फरवरी 2018 के बीच) के बाद, वाहनों को देय कर और शुल्क की वसूली और स्थायी निबंधन चिन्ह के आवंटन के बाद ही सुपुर्द किया गया था। जिला परिवहन कार्यालय, शिवहर के मामलों में यह बताया गया कि एक पखवाड़े के भीतर मोटर वाहन के व्यवसायी से प्राप्त राशि को प्रेषित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किया गया था।

विभाग का जवाब तर्क संगत नहीं है। इन मामलों में, इनमें से किसी भी वाहन को स्थाई निबंधन चिन्ह आवंटन नहीं किया गया था और इसलिए वाहनो की सुपुर्दगी से पहले अस्थायी निबंधन अनिवार्य था। इसके अलावा विभाग ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि मोटर वाहनो के क्रेता से वसूली के बाद व्यवसायियों द्वारा वसूले गये कर/राजस्व का समय पर प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली क्यों नहीं बनाई गई थी।

4.3.11 निजी वाहनो के मालिकों से अर्थदण्ड की अनियमित वसूली

निजी वाहन मालिकों से कर के विलम्ब से भुगतान के लिए अर्थदण्ड के प्रावधान के गलत परिमाण के कारण, विभाग ने ₹ 2.83 करोड़ का अर्थदण्ड वसूला।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 7(1) के अनुसार, वाहन के पूरे जीवनकाल के लिए एकमुश्त कर उपर्युक्त अधिनियम के अनुसूची-1 में निर्दिष्ट दर पर निबंधन के समय निजी वाहनो पर लगाया जाएगा। यह आगे प्रावधित करता है कि 1 फरवरी, 1992 से पहले निबंधित निजी वाहनो, जिनके लिए एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया गया था, को मौजूदा लिए गए कर के समाप्ति के 30 दिनों के अंदर अनुसूची-1 में निर्धारित दरों पर एकमुश्त कर का भुगतान करना होगा अन्यथा बकाये कर पर प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ब्याज और बकाया एवं अर्थदण्ड (यदि कोई हो) के साथ लिया जाएगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि परिवर्तनकाल के विशेष घटना के दौरान ब्याज लागू था और इसलिए बाद में किसी अन्य देय कर के लिए लागू नहीं था।

लेखापरीक्षा ने नमूना-जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में निजी वाहनो के संबंध में वाहन डाटाबेस में मालिक और कर तालिका की जाँच की और पाया कि वाहन में बिलम्ब से कर के भुगतान के लिए अर्थदण्ड प्रति माह दो प्रतिशत की दर से परिमाणित किया गया था; हालाँकि, अधिनियम/नियमावली के तहत इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार वाहन को ऐसे किसी भी कार्यकारी नियमावली के बिना गलत तरीके से परिमाणित किया गया था, जो कि किसी भी कर प्राधिकारियों के साथ ही विभाग द्वारा पता नहीं लगाया गया। विभाग ने अर्थदण्ड लगाकर वाहन मालिकों पर अनुचित बोझ डालना जारी रखा और परिणामस्वरूप कर के देर से भुगतान के लिए 1,35,467 वाहनो से फरवरी 2018 और मार्च 2019 के बीच जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा ₹ 2.83 करोड़ की अर्थदण्ड की वसूली की गई।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि लेखापरीक्षा के अवलोकन के आलोक में कार्रवाई शुरू की गई थी।

4.3.12 बसों से संबंधित अधिसूचना में कमी

4.3.12.1 कंपनी निर्मित बसों का वर्गीकरण नहीं होने के कारण बैठने की क्षमता के अनुसार बसों को बनाया गया जिससे सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ

कंपनी निर्मित बसों के लिए श्रेणीकरण नहीं होने के कारण इन को सबसे निम्नतम श्रेणी यथा साधारण श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया जिससे ₹ 1.08 करोड़ के राजस्व की वसूली प्रभावित हुई।

सितम्बर 2014 से संशोधित बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बसों को व्हीलबेस के अनुसार सीटों की संख्या के आधार पर साधारण, सेमी डीलक्स और डीलक्स श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। तदनुसार, करों का भुगतान बसों के मालिकों द्वारा किया जाना था, जिसे पुनः 16 दिसम्बर 2016 के प्रभाव से संशोधित किया, जो प्रावधित करता है कि कंपनी निर्मित बसों के मामले में, कर की गणना व्हीलबेस और बसों की श्रेणी को ध्यान किये बिना अधिकृत एजेसियों द्वारा अनुमोदित सीटों के आधार पर की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित 13⁹ जिला परिवहन कार्यालयों में पाया कि निबंधन प्राधिकरणों ने उन वाहनों के वर्गीकरण के प्रावधान के नहीं होने के कारण 736 कंपनी निर्मित बसों के सबसे कम या सामान्य श्रेणी के तहत कर की गणना की। इन वाहनों के व्हीलबेस और कंपनी द्वारा निर्धारित सीट के अनुसार वाहनों को या तो डीलक्स या सेमी डीलक्स के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। अगर गैर कम्पनी निर्मित बसों पर लागू मानदंड को कम्पनी निर्मित बसों पर भी एक समान रूप से लागू किया जाता तो यह वर्गीकरण सम्भव था।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित तीन जिला परिवहन कार्यालयों¹⁰ में आगे पाया कि बैठने की क्षमता और 142 इंच से कम व्हीलबेस वाले कम्पनी निर्मित बस की श्रेणी के निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं था और इसलिए 142 इंच से कम व्हीलबेस वाले 299 वाहनों को साधारण श्रेणी के तहत माना गया था, हालाँकि इस अधिसूचना के अनुसार सेमी डीलक्स/डीलक्स श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, कम्पनी निर्मित बसों के लिए वर्गीकरण नहीं होने के कारण इन बसों को निम्नतम श्रेणी अर्थात् सामान्य श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जिससे ₹ 1.08 करोड़ राजस्व की वसूली प्रभावित हुई।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जून और अगस्त 2020) और कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन के मद्देनजर कम्पनी निर्मित बसों और स्थानीय बसों से कर में एकरूपता लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आगे उत्तर दिया कि 142 इंच से कम व्हीलबेस वाले बसों के लिए वाहन के वर्गीकरण का प्रावधान नहीं होने के कारण, इन बसों को संबंधित मोटर वाहन निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर सामान्य श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया था और तदनुसार कर को संग्रह किया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि कम्पनी निर्मित बसों के लिए श्रेणीकरण नहीं होने के कारण इन बसों को निम्नतम श्रेणी अर्थात् सामान्य श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

⁹ अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, कैमूर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, सिवान और वैशाली।

¹⁰ बेगूसराय, पटना और पूर्णिया।

4.3.12.2 बैठने की क्षमता के निर्धारण एवं 228 ईच से ज्यादा व्हीलबेस के स्थानीय निर्मित बस की श्रेणी के लिए प्रावधान का नहीं होना

5800 मिमी से ज्यादा (6200 से 10220 मिमी के बीच) व्हीलबेस वाली स्थानीय निर्मित बसों से मोटर वाहन करों का आरोपण और संग्रहण संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों/मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा मनमाने तरीके से किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सम्भावित ₹ 69.41 लाख कम कर का आरोपण हुआ।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम सितम्बर 2014 से यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार 5800 मिमी (228 ईच) तक के व्हीलबेस के बसों को सीटों की संख्या तथा व्हीलबेस के आधार पर सामान्य, सेमी डीलक्स और डीलक्स श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।

10¹¹ जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन डाटाबेस के मालिक एवं कर तालिका के लेखापरीक्षा में पता चला कि 5800 मिमी से ज्यादा (6200 से 10220 मिमी के बीच) व्हीलबेस वाली स्थानीय निर्मित बसों से मोटर वाहन करों का आरोपण और संग्रहण 5800 मिमी से अधिक व्हीलबेस वाले बसों के लिए श्रेणी का निर्धारण करने का प्रावधान नहीं होने के कारण संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों/मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा मनमाने तरीके से किया गया था। इस तथ्य का न तो विभाग ने पता लगाया और न ही संबंधित मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा विभाग के संज्ञान में लाया गया। इसके परिणामस्वरूप सम्भावित ₹ 69.41 लाख कर का कम आरोपण हुआ।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जून और अगस्त 2020) और कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन के मद्देनजर कंपनी द्वारा बनाई गई बसों एवं स्थानीय निर्मित बसों से कर में एकरूपता लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने आगे कहा कि संबंधित मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित बैठने की क्षमता और व्हीलबेस के आधार पर कर संग्रहित किया गया था और इसलिए मई 2016 और मार्च 2019 के बीच कर का कम आरोपण नहीं किया गया था। विभाग का जवाब गलत है क्योंकि जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्णिया ने 62 सीटों के साथ 6200 मिमी से अधिक व्हीलबेस वाले वाहन पर डीलक्स श्रेणी में कर लगाया; हालाँकि जिला परिवहन पदाधिकारी बेगूसराय ने समान बसों के मामलों में 41 और 62 सीटों के बीच सीटों के निर्धारण के बाद कर लगाया।

4.3.13 सारथी में शुल्क का नहीं/गलत परिमापन

बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के नियम 4 (2) यह प्रावधित करता है प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति, चालक अनुज्ञप्ति या परिवहन वाहन चलाने के लिए प्राधिकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ बिहार मोटर वाहन नियमावली के नियम 6 या केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 32 में निर्दिष्ट शुल्क जमा करना होगा, जो चालक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए, परीक्षण या पुनः परीक्षण के लिए जैसा कि वाहन के प्रत्येक वर्ग को चलाने के लिए और स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए क्रमशः ₹ 200, ₹ 300 और ₹ 200 की दर से शुल्क प्रावधित करता है। इसके अलावा, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 32 वाहन के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति परीक्षण या पुनः परीक्षण शुल्क क्रमशः ₹ 150 और ₹ 50 प्रावधित करता है। इसके अलावा, बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधित) अधिनियम, 1994 चालक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए सड़क सुरक्षा उपकरण आरोपण को प्रावधित करता है।

इस संबंध में निम्नलिखित लेखापरीक्षा अवलोकन है:-

¹¹ औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, गया, कैमूर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, सिवान और वैशाली।

4.3.13.1 सारथी सॉफ्टवेयर में सड़क सुरक्षा उपकरण के परिमाणन न होने के कारण चालक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए सड़क सुरक्षा उपकरण का आरोपण नहीं होना

सारथी सॉफ्टवेयर में सड़क सुरक्षा उपकरण का परिमाणन नहीं होने के कारण विभाग चालक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण पर ₹ 2.29 करोड़ का सड़क सुरक्षा उपकरण का आरोपण सुनिश्चित नहीं कर सका। इसके अलावा, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने आवेदकों से चालक अनुज्ञप्ति/प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति परीक्षण शुल्क ₹ 2.95 करोड़ के अतिरिक्त की वसूली की।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों के सारथी डाटाबेस में चालक अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के मामलों का जाँच किया और पाया गया कि चालक अनुज्ञप्ति की वैधता के नवीनीकरण के मामलों में सड़क सुरक्षा उपकरण का आरोपण नहीं किया गया था क्योंकि सड़क सुरक्षा उपकरण को चालक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के मामले में सारथी सॉफ्टवेयर में परिमाणन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सारथी सॉफ्टवेयर को चालक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के कोटिवार आँकड़ों को तैयार करने के लिए नहीं बनाया गया था। इसलिए उक्त जानकारी के अभाव में सड़क सुरक्षा उपकरण के कम आरोपण की गणना निम्नतम कोटि के लिए लागू दर के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सितम्बर 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में सड़क सुरक्षा उपकरण के बिना आरोपण एवं वसूली किए 91,738 चालक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारियों के साथ-साथ विभाग भी सड़क सुरक्षा उपकरण की वसूली सुनिश्चित नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.29 करोड़ के सड़क सुरक्षा उपकरण की वसूली नहीं हो पायी जैसा कि परिशिष्ट-10 में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (जून और अगस्त 2020) कि चालक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के मामले में सड़क सुरक्षा उपकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

बिहार अधिनियम 11, 2016 के साथ पठित बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधित) अधिनियम 2016 के प्रावधान के अनुसार विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एक अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि के लिए इस अधिनियम की अनुसूची-IV में निर्दिष्ट दरों पर प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी पर सड़क सुरक्षा उपकरण आरोपित और संग्रहित किया जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चालक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के मामले में जहाँ वैधता को बढ़ाया जाता है सड़क सुरक्षा उपकरण लागू नवीनीकरण शुल्क के साथ ही देय है। इसके अलावा, निबंधन प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण के मामलों में, नवीनीकरण के समय सड़क सुरक्षा उपकरण को आरोपित किया जाता है। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा उपकरण की अधिसूचना से पहले जारी किए गए चालक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी सड़क सुरक्षा उपकरण का भुगतान नहीं किया जाएगा।

अनुशंसा: विभाग को चालक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के मामलों में सड़क सुरक्षा उपकरण लागू करने के मामलों की समीक्षा इस तथ्य के आलोक में कि सड़क सुरक्षा उपकरण अनुज्ञप्ति के वैधता के दौरान एकबार आरोपण हो के उद्देश्य से करना चाहिए।

4.3.13.2 सारथी सॉफ्टवेयर में चालक अनुज्ञप्ति परीक्षण शुल्क का गलत परिमाणन के कारण इसकी अधिक वसूली

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में सारथी सॉफ्टवेयर में चालक अनुज्ञप्ति शुल्क का जाँच किया और पाया कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों द्वारा अक्टूबर 2017 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान ₹ 600 की निर्धारित दर के स्थान पर ₹ 700 की वसूली करके 1,82,319 आवेदकों को वाहनों के दो श्रेणियों के लिए नए चालक अनुज्ञप्ति (गैर-परिवहन) जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि वाहन में वास्तव में परीक्षण शुल्क ₹ 600 के स्थान पर ₹ 700 के लिए परिमाणित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप आवेदकों से ₹ 1.82 करोड़ की अधिक शुल्क की वसूली हुई।

4.3.13.3 सारथी सॉफ्टवेयर में गलत परिमापन के कारण प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति परीक्षण शुल्क की अधिक वसूली

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में सारथी सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति शुल्क का जाँच किया और पाया कि अक्टूबर 2017 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों द्वारा ₹ 100 के बजाय परीक्षण शुल्क के लिए ₹ 140 प्रति प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति की राशि की वसूली करके 2,81,418 आवेदकों को वाहनों के दो श्रेणियों के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति (गैर-परिवहन) जारी किया गया था। इसके परिणामस्वरूप आवेदकों से ₹ 1.13 करोड़ के परीक्षण शुल्क की अधिक वसूली हुई।

कंडिका 4.3.13.2 और 4.3.13.3 के जवाब में, विभाग ने कहा (जून और अगस्त 2020) कि परीक्षण शुल्क को 17.11.2016 की अधिसूचना के अनुसार वसूल किया गया था। विभाग ने आगे कहा कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 और बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली 1992 में उल्लेखित किसी भी अधिनियम/नियम में शुल्क नहीं लगाने का प्रावधान नहीं था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के नियम 4 (2) यह प्रावधित करता है कि एक प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति, चालक अनुज्ञप्ति या परिवहन वाहन चलाने के लिए एक प्राधिकार प्राप्त करने के लिए परीक्षण के लिए प्रत्येक आवेदन, बिहार मोटर वाहन, नियमावली के नियम 6 या केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 32 में निर्दिष्ट शुल्क के साथ होगा। हालाँकि, विभाग ने उपर्युक्त प्रावधानों में से किसी एक प्रावधान के अनुसार शुल्क परिमापन के स्थान पर उनकी वसूली के लिए दोनों प्रावधानों के अनुसार शुल्क का परिमापन किया जो अधिक और अनियमित था।

अनुशंसा:—विभाग को यह जाँच करनी चाहिए कि कैसे बिना किसी प्राधिकार के सारथी में चालक अनुज्ञप्ति शुल्क की गलत राशि का परिमापन कर चालक अनुज्ञप्ति के आवेदकों पर अनुचित बोझ डाल दिया गया और शीघ्र ही अधिक शुल्क और सड़क सुरक्षा उपकरण के संग्रहण की समीक्षा करनी चाहिए।

4.3.14 व्यापार कर के विलम्ब से भुगतान के लिए अर्थदण्ड के आरोपण के लिए प्रावधान की कमी

व्यापार कर के विलम्ब से भुगतान के लिए अर्थदण्ड के आरोपण के प्रावधान को समाहित करने की आवश्यकता है।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम एक निर्माता या व्यवसायी के उसके व्यवसाय के दौरान उसके अधिकार में मोटर वाहन पर उसके श्रेणी के आधार पर प्रति वाहन ₹ 150, ₹ 200 और ₹ 250 व्यापार कर आरोपण को प्रावधित करता है।

लेखापरीक्षा ने कर के विलम्ब से भुगतान के लिए अर्थदण्ड लगाने के मौजूदा नियमों/प्रावधानों की जाँच किया और पाया कि मोटर वाहनों के अधिकृत व्यवसायियों द्वारा व्यापार कर के विलम्ब से भुगतान के लिए अर्थदण्ड लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। व्यापार कर के विलम्ब से भुगतान के लिए अर्थदण्ड लगाने के प्रावधान नहीं होने के कारण, आठ¹² नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों ने 66 अधिकृत व्यवसायियों से अर्थदण्ड नहीं ले पाया जिन्होंने देय व्यापार कर का भुगतान 16 दिनों से 486 दिनों की विलम्ब से किया था।

जवाब में, विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि व्यापार कर के देर से भुगतान के लिए अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4 (2) में मौजूद था। उपर्युक्त नियमावली के नियम 4 (2) में सड़क कर के भुगतान में विलम्ब के लिए जुर्माने का प्रावधान है और इसलिए यह व्यापार कर के विलम्ब से भुगतान के मामले में लागू नहीं था।

¹² औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा और वैशाली।

हालाँकि, अगर विभाग सड़क कर के विलम्ब भुगतान से संबंधित अर्थदण्ड के दर को लागू करता तो विभाग ₹ 1.37 करोड़ अर्थदण्ड का संग्रहण कर पाता।

विभाग ने कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन को देखते हुए मामले को विधि विभाग और वित्त विभाग को भेजा जाएगा।

4.3.15 निवास परिवर्तन के मामले में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए अतिरिक्त शुल्क का आरोपण नहीं होना

जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा अतिरिक्त शुल्क के आरोपण नहीं होने एवं वाहन में उनके परिमाणन नहीं करने के कारण 711 मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए ₹ 19.53 लाख के अतिरिक्त शुल्क की वसूली नहीं हुआ।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 49 (1) यह प्रावधित करता है कि यदि मोटर वाहन का मालिक वाहन के निबंधन के प्रमाण पत्र में दर्ज पते पर निवास करना बंद कर देता है, तो वह पते के किसी भी परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर, अपने नए पते को उस निबंधन प्राधिकारी को सूचित करता है जिसके द्वारा निबंधन प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जो नए निबंधन प्राधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में को नया पता वाहन में दर्ज करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके अलावा, एक अधिसूचना (दिसम्बर 2016) के अनुसार, नए निबंधन प्राधिकारी को पता बदलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने में विलम्ब के मामलों में मोटर साइकिल के लिए प्रत्येक महीने या उसके भाग की विलम्ब के लिए ₹ 300 और अन्य वाहनों के लिए ₹ 500 का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने छः¹³ नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन डाटाबेस की वर्तमान पता पंजी एवं मालिक और शुल्क तालिका का जाँच किया और पाया कि 711 (2,060 में से) वाहन मालिकों ने जनवरी 2017 और दिसम्बर 2019 के बीच नए निबंधन प्राधिकारी (छः जिला परिवहन कार्यालयों) को निबंधन प्रमाण पत्र में पते में परिवर्तन (अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ) के लिए आवेदन किया था। इन वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मार्च 2009 और नवम्बर 2019 के बीच पिछले निबंधन प्राधिकारी द्वारा निर्गत किए गए थे, लेकिन इन वाहनों के मालिकों ने इन अनापत्ति प्रमाण पत्र को एक महीने से 32 महीने तक की देरी से नए निबंधन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया था। चूँकि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान वाहन में परिमाणन नहीं किया गया था, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने में विलम्ब के इन मामलों में अतिरिक्त शुल्क का आरोपण नहीं कर पाया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र वाहन डाटाबेस में जनवरी 2018 से ही उपलब्ध था, फिर भी वाहन में अतिरिक्त शुल्क के आरोपण का परिमाणन नहीं किया गया था एवं जनवरी 2018 से पहले 2,060 मामलों को इस संबंध में बनाए गए उपरोक्त पंजी से सत्यापित किया गया था। इस प्रकार, जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा अतिरिक्त शुल्क के आरोपण नहीं करने और वाहन में उसके परिमाणन नहीं करने के कारण 711 मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए ₹ 19.53 लाख के अतिरिक्त शुल्क की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (जून और अगस्त 2020) कि निवास के परिवर्तन के मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने में विलम्ब के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का परिमाणन किया जाएगा और निवास के परिवर्तन के मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क की वसूली के लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

¹³ बेगूसराय, पूर्वी चम्पारण, गया, नालंदा, पटना और सिवान।

4.3.16 वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं होना

वाहन डाटाबेस में जानकारी की उपलब्धता के बावजूद, जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो उन वाहनों को जिनकी फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो गयी थी के निबंधन/परिमिट रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू की और न ही दोषी वाहन मालिकों को कोई नोटिस जारी किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 187.01 करोड़ के राजस्व का आरोपण नहीं हुआ।

मोटर वाहन अधिनियम के धारा 56 के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 62 के अनुसार एक परिवहन वाहन को तब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दे देता है। एक नये पंजीकृत परिवहन वाहन के लिए एक फिटनेस प्रमाण पत्र दो वर्षों के लिए वैध है और तिपहिया एवं हल्के मोटर वाहनों के लिए ₹ 400 और भारी वाहनों के लिए ₹ 600 के निर्धारित परीक्षण शुल्क के भुगतान पर प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाना आवश्यक है जो 29 दिसम्बर 2016 से लागू है। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए ₹ 200 का नवीनीकरण शुल्क भी देय है। इसके अनुपालन नहीं होने के मामले में देरी के प्रत्येक दिन के लिए ₹ पचास का अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जाना था।

लेखापरीक्षा ने परिवहन वाहनों (तिपहिया, हल्के माल वाहन, कैब/टैक्सी, ई-रिक्शा, माल गाड़ी और बस) के संबंध में नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों और जिला परिवहन कार्यालय सारण में वाहन डाटाबेस में मालिक, कर एवं फिटनेस तालिका का जाँच किया और पाया कि नमूना जाँचित किए गए 3,19,575 वाहनों में से 91,808 वाहन जनवरी 2017 और जनवरी 2020 के बीच बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चलाए गए हालाँकि देय कर की वसूली की गई थी। फिटनेस की समाप्ति से संबंधित सूचना वाहन साफ्टवेयर में उपलब्ध था लेकिन जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही अयोग्य वाहनों को रोकने के लिए प्रवर्तन स्कंध को सूची प्रस्तुत की गई। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो इन वाहनों जिनके फिटनेस प्रमाण पत्र की समय सीमा समाप्त हो गई थी के निबंधन/परिमिट को रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू की और न ही दोषी वाहन मालिकों को कोई सूचना भेजी गयी। ऐसे वाहनों का चलना सार्वजनिक सुरक्षा के जोखिम से भरा हुआ है।

इसके परिणामस्वरूप, ₹ 187.01 करोड़ (₹ 3.85 करोड़ परीक्षण शुल्क, ₹ 1.84 करोड़ नवीनीकरण शुल्क और ₹ 181.32 करोड़ अतिरिक्त शुल्क सहित) के राजस्व की वसूली नहीं हुई जैसा कि परिशिष्ट-11 में वर्णित है।

विभाग ने अपने जवाब (अगस्त 2020) में कहा कि मोटर वाहन कर अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था जो मोटर वाहन कर की वसूली से पहले फिटनेस प्रमाण पत्र सुनिश्चित करने को प्रावधित करता है। विभाग ने आगे कहा कि वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए भारी अर्थदण्ड का प्रावधान था।

वाहन साँफ्टवेयर में वाहनों की फिटनेस की समाप्ति के बारे में जानकारी की उपलब्धता के अनुसार जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक को अयोग्य वाहन को चलने से रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर लेना चाहिए था तथा इन वाहनों से वसूलनीय फिटनेस नवीनीकरण शुल्क के रूप में राजस्व को आवर्धन करना चाहिए था। इसके अलावा, इस प्रकार के वाहन सुरक्षा एवं पर्यावरणीय खतरा पैदा करता है जिसे जिम्मेदार प्राधिकारियों के द्वारा ससमय कम किया जाना चाहिए।

अनुशंसा:- राजस्व संग्रहण एवं सुरक्षा एवं पर्यावर्णीय सरोकार दोनों के हित में विभाग को उन वाहनों जिनकी फिटनेस समाप्त हो गयी है के संबंध में चेतावनी जारी करने के लिए तंत्र में आवश्यक स्वचालन करना चाहिए जिससे प्राधिकारी आवश्यक कार्यवाही के लिए तत्पर हो जाए।

4.3.17 वाहनों का निबंधन

वाहन सॉफ्टवेयर में निबंधन एवं निबंधन प्रमाण पत्र के मुद्रण की सत्यापन जाँच और नियंत्रण की कमी के कारण, 2,374 वाहनों को एमनेस्टी योजना¹⁴ (5 जुलाई 2017 से 30 जून 2018) के तहत पंजीकृत किया गया था, जिसके कारण कर और अर्थदण्ड की कम वसूली हुई और 180 वाहनों के मामलों में, कर की वसूली के बिना निबंधन प्रमाण पत्र जारी किया। इसके अलावा, 396 वाहनों को कर की वसूली के बिना निबंधन संख्या आवंटित किया गया।

4.3.17.1 नए खरीदे गए बिना निबंधित वाहनों द्वारा सर्वक्षमा योजना का लाभ उठाना

निश्चित तिथि निर्धारित नहीं करने और अधिसूचना के माध्यम से बिना निबंधित वाहनों के लिए सर्वक्षमा का विस्तार करने के कारण सर्वक्षमा योजना की अधिसूचना के बाद निबंधित वाहनों ने भी इसका लाभ प्राप्त किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.30 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ।

परिवहन विभाग ने 05 जुलाई 2017 से 04 जनवरी 2018 तक कर चूककर्ता निबंधित/बिना निबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर और अन्य सभी प्रकार के कर दोषी निबंधित/बिना निबंधित वाणिज्यिक/मालवाहक वाहनों के लिए वाहन खरीद की निश्चित तिथि निर्धारित किए बिना सर्वक्षमा योजना अधिसूचित किया जिसे 30 जून 2018 तक आगे बढ़ा दिया गया था। यह योजना प्रावधित करता है कि:

- (1) कर चूककर्ता निबंधित/बिना निबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर को जिसका उपयोग कृषि/वाणिज्यिक गतिविधियों में किया जाता है, अधिसूचना जारी करने की तिथि से छः महीने की अवधि के भीतर ₹ 25,000 की एकमुश्त राशि की जमा होने पर निबंधित/नियमित किया जाएगा।
- (2) अन्य सभी प्रकार के निबंधित/बिना निबंधित वाणिज्यिक/मालवाहक वाहन, जो कर चूककर्ता है, को अधिसूचना जारी होने की तिथि से छः महीने के भीतर 25 प्रतिशत अर्थदण्ड के साथ देय कर के जमा होने पर निबंधित/नियमित किया जाएगा और उस पर नीलामवाद का मामला वापस ले लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों (जिला परिवहन कार्यालय, गया और अरवल को छोड़कर) और जिला परिवहन कार्यालय, सारण के वाहन डाटाबेस के मालिक और कर तालिका की जाँच किया और पाया कि सर्वक्षमा योजना के अंतर्गत निबंधित 2,374 वाहन (ट्रैक्टर-1,024, तिपहिया-293, हल्के मालवाहक वाहन-385, मैक्सी कैब-303 और ई रिक्शा-369) जैसे थे जिन्हें इस योजना के अधिसूचना की तिथि के बाद खरीदा गया था। सर्वक्षमा योजना की अधिसूचना की तिथि से पहले ये कर चूककर्ता नहीं थे, लेकिन निश्चित तिथि निर्धारित नहीं होने और अधिसूचना के माध्यम से बिना निबंधित वाहनों के लिए सर्वक्षमा योजना का विस्तार करने के कारण, उन्होंने इस योजना का लाभ अनुचित रूप से ट्रैक्टर के मामले में देय अर्थदण्ड के साथ वाहन बिक्री मूल्य के 4.5 प्रतिशत के स्थान पर ₹ 25,000 की एकमुश्त राशि का भुगतान कर लिया। अन्य श्रेणी के वाहनों के मामलों में बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4(2) के अनुसार विलम्ब से भुगतान के लिए 200 प्रतिशत अर्थदण्ड के स्थान पर उन्हें देय कर और केवल 25 प्रतिशत अर्थदण्ड के भुगतान के बाद निबंधित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.30 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

¹⁴ सर्वक्षमा योजना के अनुसार (1) कर चूककर्ता को निबंधित/बिना निबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर, जिसका उपयोग कृषि/वाणिज्यिक गतिविधियों में किया जाता है, अधिसूचना जारी करने की तिथि से छः महीने की अवधि के भीतर ₹ 25,000 की एकमुश्त राशि जमा होने पर, भुगतान कर/अर्थदण्ड के क्षमादान पर, जो भी इस प्रकार के वाहनों पर हो, दिया जाएगा तथा इस प्रकार के वाहन निबंधित/नियमित होंगे।

(2) अन्य सभी प्रकार के निबंधित/बिना निबंधित वाणिज्यिक/मालवाहक वाहन, जो कर चूककर्ता है, को अधिसूचना जारी होने की तिथि से छः महीने के भीतर 25 प्रतिशत अर्थदण्ड के साथ देय कर के जमा होने पर निबंधित/नियमित किया जाएगा और उस पर नीलामवाद का मामला वापस ले लिया जाएगा।

विभाग ने अपने जवाब (जून और अगस्त 2020) में कहा कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों को जुमाने की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

4.3.17.2 कर की वसूली के बिना निबंधन प्रमाण पत्र का वितरण

संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने निबंधन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर और अनुमोदन के समय ₹ 1.19 करोड़ के देय कर की वसूली सुनिश्चित नहीं की।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 समय-समय पर यथा संशोधित की धारा 5 के साथ पठित धारा 7 (1) प्रावधित करता है कि निबंधन के समय निर्धारित दर से वाहनों के लागत मूल्य पर पूरे जीवन-काल के लिए एकमुश्त कर लगाया जाएगा, जिसका अर्थ है कि जिला परिवहन पदाधिकारी वाहनों के निबंधन के समय कर के भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे। इसके अलावा, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 37 प्रावधित करता है कि सभी लेन-देन को तुरंत लेखा करना चाहिए और प्राप्त राशि को सरकार के खाते में विधिवत जमा किया जाना चाहिए।

नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों (जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर और वैशाली को छोड़कर) में वाहन डाटाबेस के निबंधन अभिलेख, निबंधन प्रमाण पत्र का निर्गमन और कर तालिका के जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2015 से मार्च 2019 के अवधि के दौरान एकमुश्त कर भुगतान करने वाले 1,29,853 वाहनों का निबंधन किया गया। उसमें से 180 वाहनों (ट्रैक्टर-115, तिपहिया-15, हल्के मालवाहक वाहन-17, मोटर कैब/मैक्सी कैब-12, मोटर कार-16 और ई-रिक्शा-5) के मामलों में अगस्त 2016 से सितम्बर 2019 के बीच वाहनों के मालिकों को निबंधन प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, लेकिन उनके मोटर वाहन करों को वाहन डाटाबेस में जमा नहीं पाया गया था जो कर की वसूली के रखरखव के लिए बनाई गई एकमात्र प्रणाली थी। संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने निबंधन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर और अनुमोदन के समय देय कर की वसूली सुनिश्चित नहीं की जो कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उनकी ओर से उचित कर्मनिष्ठता की कमी को इंगित करता है। यह वाहन में उचित सत्यापन और निविष्ट नियंत्रण की कमी का भी संकेत करता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.19 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ जैसा कि परिशिष्ट-12 में वर्णित है।

विभाग ने कहा (जून और अगस्त 2020) कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों को जवाब देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। हालाँकि, उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जनवरी 2021)।

4.3.17.3 एकमुश्त कर की वसूली के बिना निबंधन चिन्ह का निर्धारण

संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने आवेदन की स्वीकृति और इसके परिणामस्वरूप वाहन-2.0 में निबंधन चिन्ह का सृजन के समय ₹ 2.22 करोड़ के देय कर की वसूली सुनिश्चित नहीं की।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 समय-समय पर यथासंशोधित की धारा-5 तथा धारा 7 (8), प्रावधित करता है कि वाहनों के लागत मूल्य पर पूरे जीवनकाल के लिए निर्धारित दर से एकमुश्त कर लगाया जाएगा। पुनः बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) प्रावधित करता है कि नियत तिथि से 15 दिनों के भीतर कर का भुगतान न करने की स्थिति में देय कर के 25 से 200 प्रतिशत तक अर्थदण्ड लगाया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन डाटाबेस के मालिक और कर तालिका की जाँच किया और पाया कि 53,644 नमूना जाँचित एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वाणिज्यिक वाहनों में से 396 मोटर वाहन (ट्रैक्टर-202, तिपहिया-91, हल्के मालवाहक वाहन-22, मैक्सी/कैब-34 और ई-रिक्शा-47) के मालिकों ने जनवरी 2016 से फरवरी 2018 के बीच अपने निबंधन के समय एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया। हालाँकि देय एकमुश्त कर के भुगतान नहीं होने के कारण निबंधन प्रमाण पत्र

जारी नहीं किया गया था, लेकिन वाहन-2.0 में निबंधन के लिए उनके आवेदन को स्वीकार किया गया और निबंधन चिन्ह बनाने के लिए संशोधित किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि एकमुश्त कर का भुगतान नहीं करने की सूचना वाहन डाटाबेस में जिला परिवहन पदाधिकारियों के पास उपलब्ध थी, फिर भी उन्होंने अर्थदण्ड नहीं लगाया और एकमुश्त कर की वसूली के लिए नीलामवाद पत्र दायर नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 2.22 करोड़ के एकमुश्त कर की वसूली नहीं हुई। इसके अलावा, उचित निबंधन प्रमाण पत्र के बिना इन वाहनों का सड़क पर चलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है जो सड़क सुरक्षा और बचाव के लिए भी चिंता का विषय है।

इंगित किए जाने पर, विभाग ने कहा (जून और अगस्त 2020) कि चूककर्ता वाहन मालिकों को माँग-पत्र जारी करने और कर की वसूली करने के लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

अनुशांसा:- विभाग को वाहन सॉफ्टवेयर में आवश्यक नियंत्रण को शामिल करके वाहनों के निबंधन से पहले देय कर की वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए।

4.3.18 कृषि श्रेणी में ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ट्रेलर संयोजन के निबंधन के लिए दिशानिर्देशों का अभाव

ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ट्रेलर के निबंधन के लिए दिशानिर्देशों/सहायक दस्तावेजों के नहीं होने के कारण, सात जिला परिवहन पदाधिकारियों ने 8,969, ट्रैक्टर या ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन को मनमाने तरीके से कृषि श्रेणी के तहत निबंधित किया जिससे ₹ 25.22 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 4 कृषि के उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से उपयोग किये जाने वाले मोटर वाहन पर कर से छुट को प्रावधित करता है, कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहन इस धारा के उद्देश्य के लिए नहीं होगा, केवल कृषि के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल हुआ माना जाता है। इसके अलावा, मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1994 की धारा 7(7) यह प्रावधित करता है कि कृषि उपज के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रैक्टर और ट्रेलर को एक साथ संयोजित कर 25 एचपी की क्षमता वाले ट्रैक्टरों के लिए ₹ 3,000 और 25 एचपी से अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों के लिए ₹ 5,000 की दर से एकमुश्त कर लगाया जाएगा।

इसके अलावा, बिहार वित्त अधिनियम, 2014 द्वारा संशोधित बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1994 की धारा 7 (8) के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए गए ट्रैक्टर पर वाहन के पूरे जीवनकाल के लिए एकमुश्त कर लगाया जाएगा, जो मूल्य वर्धित कर को छोड़कर ट्रैक्टर की लागत का 4.5 प्रतिशत है; बर्शाते कि ट्रैक्टर के ट्रेलर के निबंधन के समय कोई सड़क कर नहीं लगाया गया हो।

उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि ट्रैक्टर या ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन के लिए दो अलग-अलग कर स्लैब (पर्याप्त अंतर का होना) निर्धारित है; लेकिन कृषि श्रेणी या वाणिज्यिक श्रेणी के तहत निबंधन के लिए पात्रता मानदंड तय करने के लिए कोई नियमावली या दिशानिर्देश या दस्तावेज/घोषणाएँ निर्धारित नहीं की गईं, जिसके कारण जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग मनमाने तरीके से किया गया, जिससे राजस्व संभावनाओं में बाधा उत्पन्न हुआ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है ;

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन डाटाबेस के निबंधन अभिलेख, मालिक और कर तालिका की जाँच की और सात¹⁵ जिला परिवहन कार्यालयों में पाया कि 8,969 (28,684 में से) ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ट्रेलर संयोजन अप्रैल 2016 और मार्च 2019 के बीच

¹⁵ बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, कैमूर, पूर्णिया एवं सिवान।

₹ 5,000 या ₹ 3,000 की दर से एकमुश्त कर का भुगतान करके कृषि श्रेणी के तहत निबंधित किए गए थे। हालाँकि, निबंधन अभिलेख के सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि निबंधन के समय इन वाहन मालिकों ने केवल ट्रैक्टर का उल्लेख करके आवेदन किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन जिला परिवहन पदाधिकारियों में 19,715 मामलों में उन्हें वाणिज्यिक श्रेणी के तहत मानते हुए 4.5 प्रतिशत की दर से कर की वसूली किया जबकि 8,969 मामलों में बिना किसी सहायक दस्तावेजों जो यह सुनिश्चित कर सके कि उनका उपयोग पूरी तरह से कृषि के उद्देश्य से किया जाएगा, उन्हें कृषि श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए ₹ 3,000/5,000 की दर से कर की वसूली किया। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि कृषि श्रेणी के अंतर्गत ट्रैक्टर के निबंधन के लिए एक विशिष्ट दिशानिर्देश के नहीं होने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारियों ने मनमाने तरीके से कर की वसूली किया।

यह उल्लेखनीय है कि नमूना जाँचित 15 जिला परिवहन कार्यालयों में से आठ¹⁶ में कोई भी ट्रैक्टर कृषि श्रेणी में निबंधित नहीं पाया गया, जबकि चार¹⁷ जिला परिवहन कार्यालयों में अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के बीच 52 प्रतिशत (14,597 में से 7,667) से अधिक ट्रैक्टर या ट्रैक्टर ट्रेलर संयोजन कृषि श्रेणी में निबंधित किए गए थे। इसमें जिला परिवहन कार्यालय भागलपुर भी शामिल है, जहाँ मई 2017 से कोई भी ट्रैक्टर-ट्रेलर वाणिज्यिक श्रेणी में निबंधित नहीं किया गया था, जो यह दर्शाता है कि जिला परिवहन पदाधिकारियों भागलपुर सहित इन जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा विवेकाधिकार का दुरुपयोग किया गया था।

इस प्रकार, दिशानिर्देशों/सहायक दस्तावेजों के नहीं होने के कारण सात जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा 8969 ट्रैक्टर या ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन को कृषि श्रेणी के अंतर्गत निबंधन करने के विवेकाधिकार का प्रयोग करने के कारण राजस्व की कमी हुई और इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.22 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।

इसे इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने आंशिक रूप से उन मामलों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अगस्त 2020) जहाँ सभी ट्रैक्टर को या तो कृषि श्रेणी के अंतर्गत या वाणिज्यिक श्रेणी के अंतर्गत निबंधित किया गया था। विभाग ने आगे कहा कि ट्रैक्टर मालिक से इसके उपयोग के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करने और समय-समय पर जाँच सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला परिवहन कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निबंधित ट्रैक्टर का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया था।

अनुशंसा:— सरकार आसान पहचान के लिए क्रमशः कृषि श्रेणी और वाणिज्यिक श्रेणी के अंतर्गत ट्रैक्टरों के लिए निबंधन चिन्ह के प्रकार निर्दिष्ट करने और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने पर विचार कर सकती है।

¹⁶ अरवल, औरंगाबाद, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, शिवहर एवं वैशाली।

¹⁷ भागलपुर, गया, कैमूर एवं सिवान।

4.3.19 कर/शुल्क का आरोपण

4.3.19.1 मोटर वाहन कर की वसूली नहीं होना

जिला परिवहन पदाधिकारियों के वाहन डाटाबेस में चूककर्ता वाहन मालिकों द्वारा मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं करने की जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद, उन्होंने प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से कर चूककर्ता सूची बनाने के लिए वाहन के कर तालिका की जाँच या समीक्षा नहीं की। परिणामस्वरूप, जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कर चूककर्ता को कोई माँग पत्र जारी नहीं किया गया और फलस्वरूप ₹ 15.13 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 22.79 करोड़ कर (सड़क कर : ₹ 7.56 करोड़ और सड़क सुरक्षा उपकर : ₹ 9.58 लाख) की वसूली नहीं की गई।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 यह प्रावधान करता है कि एक निबंधित मोटर वाहन का प्रत्येक मालिक निर्धारित दर से ऐसे वाहन पर कर का भुगतान करेगा।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 9 के अनुसार प्रत्येक निबंधित मोटर वाहन का मालिक कर पदाधिकारियों जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन निबंधित है, को वार्षिक वाहन कर का भुगतान करेगा। पुनः उपरोक्त अधिनियम के धारा 6 (अ) के तहत देय वार्षिक कर के एक प्रतिशत के दर से सड़क सुरक्षा उपकर वसूल करने का प्रावधान है। निवास/व्यवसाय में बदलाव की स्थिति में मोटर वाहन मालिक नये कर पदाधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है बशर्ते उसके पास पिछले कर पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र हो। इसके अतिरिक्त, कर पदाधिकारी वाहन मालिक को कर के भुगतान से छूट दे सकता है। बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली की नियम 4(2) यह प्रावधान करता है कि किसी वाहन का कर 90 दिनों के अधिक समय तक का बकाया है तो कर पदाधिकारी देय करों के 25 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक अर्थदण्ड लगा सकता है।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों और जिला परिवहन कार्यालय सारण में वाहन डाटाबेस में चूककर्ता, मालिक और कर तालिका की जाँच किया और पाया की कर चूककर्ता की सूची वाहन सॉफ्टवेयर द्वारा अद्यतन नहीं की गई थी और अपूर्ण चूककर्ता की सूची बनाई गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि वाहन ने स्वचालन के माध्यम से वाहन मालिक को ई-नोटिस जारी नहीं किया। इसलिए, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा मैनुअल रूप से माँग पत्र जारी किए जा रहे थे।

नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों और जिला परिवहन कार्यालय, सारण में अभिलेखों के जाँच करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्षिक कर भुगतान करने वाले 26,702 परिवहन वाहन (जनवरी 2005 और दिसम्बर 2018 के बीच निबंधित) में से 7,767 परिवहन वाहनों के मालिकों ने अप्रैल 2016 और मार्च 2019 के बीच की अवधि से संबंधित अपने मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया। इनमें से किसी भी मामलों में साक्ष्य जैसे पते का परिवर्तन निबंधन प्रमाण पत्र का समर्पण या संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में वाहनों का परिचालन नहीं होना अभिलेखों पर नहीं था।

हालाँकि, चूककर्ता वाहन मालिकों द्वारा मोटर वाहन कर का भुगतान न करने की जानकारी वाहन डाटाबेस में जिला परिवहन पदाधिकारी के पास उपलब्ध थी, उन्होंने प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से कर चूककर्ता सूची बनाने के लिए वाहन की कर तालिका की जाँच या समीक्षा नहीं की। परिणामस्वरूप, जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कर चूककर्ता को कोई माँग पत्र निर्गत नहीं किया गया और फलस्वरूप ₹ 15.13 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 22.79 करोड़ कर (सड़क कर: ₹ 7.56 करोड़ और सड़क सुरक्षा उपकर: ₹ 9.58 लाख) की वसूली नहीं हुआ।

इसे इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अगस्त 2020) और कहा कि बकाया कर की वसूली हेतु संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

अनुशंसा : विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर के त्वरित भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए वाहन डाटाबेस में आवश्यक जाँचों को शामिल करके कर चूककर्ता को वास्तविक समय आधार पर माँग पत्र जारी किया जाए।

4.3.19.2 एकमुश्त कर का कम आरोपण

संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने निबंधन प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मैनुअल रूप से बिहार मोटर वाहन कराधान, अधिनियम के धारा 8 के अनुसार एकमुश्त कर की वसूली सुनिश्चित नहीं की क्योंकि सभी मामलों में निबंधन प्रमाण पत्र, कर के पुनरीक्षण के बाद निर्गत किये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 54.68 लाख कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 प्रावधित करता है कि एक निबंधित मोटर वाहन का प्रत्येक मालिक निर्धारित दरों के अनुसार ऐसे वाहन पर कर का भुगतान करेगा। इसके अलावा, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसार वाहनों के निबंधन के समय वाहन के कर रहित मूल्य का आठ से 12 प्रतिशत की दर से (07 सितम्बर 2018 से प्रभावी) कर लगाया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों (जिला परिवहन कार्यालय, शिवहर को छोड़कर) में वाहन डाटाबेस के मालिक और कर तालिका की जाँच किया और पाया कि पूर्व संशोधित दरों¹⁸ पर एकमुश्त कर के भुगतान के बाद सितम्बर 2018 (7 सितम्बर 2018 या उसके बाद) और फरवरी 2019 के बीच 2,307 व्यक्तिगत वाहन और 803 एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वाणिज्यिक परिवहन वाहन निबंधित किए गए थे। इन सभी मामलों में वाहनों को कर दरों में पुनरीक्षण के बाद निबंधन किया गया था और इसलिए इन वाहनों के मालिकों को संशोधित कर अर्थात् निबंधन की तिथि पर लागू दर पर एकमुश्त कर का भुगतान करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अधिसूचना की तिथि (7 सितम्बर 2018) से कर की संशोधित दर वाहन सॉफ्टवेयर में परिमाणन नहीं किया गया था बल्कि इसे 10 सितम्बर 2018 को, ई-रिक्शा को छोड़कर जिसे 25 जनवरी 2019 को, परिमाणन किया गया था। हालाँकि, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने मैनुअल रूप से एकमुश्त कर की वसूली को बिहार मोटर वाहन कराधान, अधिनियम के धारा 8 के अनुसार निबंधन पत्र जारी करने से पहले सुनिश्चित नहीं किया, क्योंकि सभी मामलों में निबंधन प्रमाण पत्र कर के पुनरीक्षण के बाद जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 54.68 लाख कर का कम आरोपण हुआ।

इसे इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने कहा (जून और अगस्त 2020) कि चूककर्ता वाहन मालिकों को ई-नोटिस जारी करने के लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

अनुशंसा: विभाग को कर की दर में परिवर्तन का परिमाणन वाहन साफ्टवेयर में अधिसूचना जारी होने की तिथि से सुनिश्चित करना चाहिए।

4.3.19.3 तिमाही विधि से कर के अनियमित वसूली के बाद एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वाणिज्यिक वाहनों का निबंधन

तिमाही विधि से कर के अनियमित वसूली के बाद एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के निबंधन के परिणामस्वरूप अर्थदण्ड सहित ₹ 32.87 लाख कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 प्रावधित करता है कि निबंधित मोटर वाहन के प्रत्येक मालिक पर निर्दिष्ट दरों पर देय कर का आरोपण किया जाएगा। बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (19 सितम्बर 2014 और 7 सितम्बर 2018 से प्रभावी) के अनुसार ट्रैक्टर

¹⁸ 7 सितम्बर 2018 से पहले, व्यक्तिगत वाहनों पर कर की दर वाहन की कीमत का सात प्रतिशत था और ई-रिक्शा पर कर की दर वाहनों की कीमत का 3.5 प्रतिशत था।

(वाणिज्यिक) और मोटर कैब/जीप टैक्सी पर पूरे जीवन काल के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट दर पर एकमुश्त कर लगाया जाएगा। इसके अलावा, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4 (2) के साथ पठित बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के धारा 7 के प्रावधान के अंतर्गत कर के भुगतान में 15 दिनों से अधिक देरी होने पर देय कर पर 25 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक अर्थदण्ड लगाया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन डाटाबेस में मालिक और कर तालिका का जाँच किया और फरवरी 2016 और फरवरी 2019 के बीच निबंधित एकमुश्त कर भुगतान करने वाले परिवहन वाहनो (ट्रैक्टर और मोटर टैक्सी/जीप टैक्सी) के संबंध में चार¹⁹ जिला परिवहन कार्यालयों में पाया कि 27 मोटर कैब/जीप मैक्सी और दो ट्रैक्टर (वाणिज्यिक) एकमुश्त कर के स्थान पर त्रैमासिक/कम कर के भुगतान पर निबंधित किए गए थे जो वाहन में उचित सत्यापन की कमी का संकेत है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नौ वाहनों ने अपने करों का आगे भुगतान नहीं किया और 29 वाहनों में से 16 वाहनों को 15 वर्षों के लिए निबंधन प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस प्रकार जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा उक्त अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का घोर उल्लंघन कर देय कर के बिना वसूली के निबंधन प्रमाण पत्र जारी किया गया, जो एक गंभीर मुद्दा है जिसके परिणामस्वरूप अर्थदण्ड सहित ₹ 32.87 लाख के कम कर का आरोपण हुआ।

इसे इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने कहा (जून और अगस्त 2020) कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों को बकाया कर की वसूली के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

4.3.20 एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान के लिए परिवहन वाहनों से अर्थदण्ड की वसूली नहीं किया जाना

कर के विलम्ब से भुगतान के लिए अर्थदण्ड को न ही वाहन द्वारा गणना की गई और न ही जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा आरोपण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ के एकमुश्त कर का आरोपण नहीं किया गया।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 23 के साथ पठित बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4 (2), नियत तिथि के भीतर कर का भुगतान न करने की स्थिति में देय कर के 25 से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड लगाने को प्रावधित करता है। इस प्रावधान को वाहन सॉफ्टवेयर में परिमाणन किया गया था जो मोटर वाहनों के राज्य पंजी को विकसित करने के लिए था।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन डाटाबेस के मालिक और कर तालिका का जाँच किया और पाया कि 88,931 नमूना जाँचित वाहनों में से 1,333 वाहनों के मालिकों ने अप्रैल 2016 और मार्च 2019 के बीच 31 से 3,749 दिनों की विलम्ब से अपने एकमुश्त कर का भुगतान किया। एकमुश्त कर का विलम्ब से भुगतान उपर्युक्त नियमावली के अनुसार अर्थदण्ड को आकर्षित करता है जिसे वाहन सॉफ्टवेयर में विधिवत रूप से परिमाणित किया गया था। इसके बावजूद, कर के विलम्ब से भुगतान के लिए अर्थदण्ड को न ही वाहन द्वारा गणना किया गया और न ही जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा आरोपण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ के एकमुश्त कर का आरोपण नहीं किया गया।

इसे इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अगस्त 2020) और कहा कि अर्थदण्ड की वसूली के लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। विभाग ने आगे कहा कि यह समस्या वाहन-2.0 में थी जिसे वाहन-4.0 में सुधारा गया था। हालाँकि, एकमुश्त कर के देर से भुगतान के लिए परिवहन वाहनों से अर्थदण्ड का आरोपण नहीं होने के मामले वाहन-4.0 में भी जारी है।

अनुशंसा: विभाग को कर के विलम्ब से भुगतान के मामले में अर्थदण्ड का आरोपण वाहनों की खरीद की तिथि से सुनिश्चित करना चाहिए।

¹⁹ भागलपुर, गया, कैमूर एवं मुजफ्फरपुर।

4.3.21 अधिकृत वाहन व्यवसायियों से व्यापार कर की वसूली नहीं किया जाना

274 व्यवसायियों में से 94 व्यवसायियों ने 2017-18 और 2018-19 की अवधि के दौरान अपने व्यवसाय के दौरान अपने अधिकार वाले मोटर वाहनों के संबंध में या तो व्यापार कर का भुगतान नहीं किया या कम भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 53.06 लाख के व्यापार कर का आरोपण नहीं/कम हुआ।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 6 एक निर्माता या व्यवसायी के उसके व्यवसाय के दौरान उसके अधिकार में मोटर वाहन पर उसके श्रेणी के आधार पर प्रति वाहन ₹150, ₹ 200 और ₹ 250 के दर से व्यापार कर आरोपण को प्रावधित करता है।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में व्यापार कर पंजी, प्रतिवेदन और विवरणी की जाँच की और पाया कि सात²⁰ जिला परिवहन कार्यालयों ने व्यापार प्रमाणपत्र धारक अधिकृत विक्रेताओं से व्यापार कर के आरोपण और संग्रहण के लिए कोई अभिलेख संधारित नहीं किया। शेष आठ जिला परिवहन कार्यालयों जिन्होंने अभिलेख संधारित किया था, में से सात जिला परिवहन कार्यालय में लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए विवरणी जाँच में पता चला कि 274 व्यवसायियों में से 94 व्यवसायियों ने 2017-18 और 2018-19 की अवधि के दौरान अपने व्यवसाय के दौरान अपने अधिकार में मोटर वाहनों के संबंध में या तो अपने व्यापार कर का भुगतान नहीं किया या कम भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 53.06 लाख के व्यापार कर का आरोपण नहीं/कम हुआ।

इसे इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने कहा (जून और अगस्त 2020) कि प्रणाली ऑनलाइन हो गई थी और चूककर्ता व्यवसायियों से शुल्क की वसूली हेतु संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किए गये थे। विभाग ने आगे कहा कि व्यापार कर की वसूली की प्रणाली ऑनलाइन कर दी गई थी। हालाँकि, ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत के बाद, व्यवसायियों द्वारा वाहनों के प्राप्ति के समय, के स्थान पर वाहनों के बिक्री के समय पर व्यापार कर आरोपित किया जा रहा था, जो अनियमित था।

4.3.22 परमिट का निर्गमन

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 81 और 84 यह प्रावधित करता है कि बिना वैध फिटनेस वाले वाहनों को और जिसके विरुद्ध कर बकाया है को कोई परमिट स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1992 के नियम 80 के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम के धारा 66 में यह प्रावधित किया गया है कि मोटर वाहन का कोई भी मालिक वैध परमिट के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के रूप में वाहन का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग की अनुमति नहीं देगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 81 के अनुसार, एक अस्थायी परमिट के अलावा अन्य परमिट, अपने जारी होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा। इसके अलावा, परिवहन विभाग ने मालगाड़ी, अनुबंधित वाहन, बस, इत्यादि के मामलों में परमिट के निर्गत/नवीनीकरण के लिए आवेदन/परमिट शुल्क को संशोधित किया (मई 2017) और पाँच वर्ष के लिए परमिट की स्थिति में परिवर्तन या नवीनीकरण या निर्गमन के लिए एक प्रसंस्करण शुल्क आरंभ किया।

²⁰ औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली।

4.3.22.1 मालगाड़ी के लिए राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकरण का नवीनीकरण नहीं किया गया

राष्ट्रीय परमिट पंजी को संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा न ही अद्यतन किया गया न ही भौतिक सत्यापन किया गया, परिणामस्वरूप संयुक्त शुल्क और प्राधिकरण शुल्क ₹ 6.29 करोड़ की राशि की वसूली नहीं हुई।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 81 यह प्रावधित करता है एक राष्ट्रीय परमिट उसके जारी होने या नवीनीकरण की तिथि से पाँच वर्ष के लिए वैध रहेगा। इसके अलावा, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 87 यह प्रावधित करता है कि राष्ट्रीय परमिट के लिए एक प्राधिकरण हर वर्ष बनाया जाएगा और एक समय में एक वर्ष से अधिक के लिए वैध नहीं होगा। संबंधित प्राधिकारी, प्राधिकरण के समाप्ति के 15 दिनों के अंदर यदि प्राधिकरण को नवीनीकृत नहीं किया जाता है तो परमिट धारक को उसके स्पष्टीकरण के लिए कि क्यों न आपका परमिट रद्द कर दिया जाए का नोटिस जारी करेगा और पंद्रह दिनों के अंदर कोई स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होता है तब इस स्थिति में परमिट को रद्द कर देगा।

एक वाहन के राष्ट्रीय परमिट को अधिकृत करने हेतु प्राधिकरण के लिए प्रति वर्ष संयुक्त शुल्क ₹ 16,500 और गृह राज्य के लिए प्रतिवर्ष प्राधिकरण शुल्क ₹ 1,000 अप्रैल 2012 से देय था।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों (पटना, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर) में राष्ट्रीय परमिट पंजी और वाहन डाटाबेस की जाँच की और पाया कि राष्ट्रीय परमिट के अंतर्निहित 9,759 मालवाहक वाहनों में से 2,249 ने एक वर्ष से अधिक की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रीय परमिट प्राधिकरण के नवीनीकरण के बिना सड़कों पर (मार्च 2014 और मार्च 2019 के बीच) चलाया था। इन वाहन मालिकों ने इन परमितों का समर्पण नहीं किया। वाहन सॉफ्टवेयर में भी सभी जानकारी उपलब्ध थी लेकिन न ही विभाग के संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों या न ही प्रवर्तन स्कंध ने इन वाहनों का पता लगाया जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत प्रावधित किया गया है। संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारों ने परमिट रद्द करने के लिए उन परमिट धारकों को नोटिस जारी नहीं किया। राष्ट्रीय परमिट पंजी को संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा न ही अद्यतन किया गया और न ही भौतिक सत्यापन किया गया जो राष्ट्रीय परमिट के वैधता के दौरान अनुवर्ती प्राधिकरण के नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र की कमी को इंगित किया। परिणामस्वरूप, संयुक्त शुल्क और प्राधिकरण शुल्क ₹ 6.29 करोड़ की राशि की वसूली नहीं हुआ।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जून और अगस्त 2020) और कहा कि नियमित अनुश्रवण की सुविधा के लिए परमिट शुल्क की प्रकिया स्वचालित (ऑनलाइन) की जा रही थी और आगे कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों को लेखापरीक्षा द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े को सत्यापित करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

अनुशंसा: विभाग को वैध परमिट और प्राधिकरण के साथ चलने वाले वाहनों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय परमिट पंजी को अद्यतन करने को सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण तंत्र निर्धारित करना चाहिए।

4.3.22.2 परिवहन वाहनों के परमिट धारकों से प्रसंस्करण शुल्क का वसूली नहीं किया जाना।

₹ 1,000 के प्रसंस्करण शुल्क के वसूली के बिना 29,625 मालगाड़ी, 1,165 बस और 5,571 अनुबंधित मालवाहक वाहनों को परमिट जारी किए गए, जिससे ₹ 3.64 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

बिहार मोटर वाहन नियमावली के नियम 74, अलग प्रकार के वाहनों के परमिट से संबंधित विभिन्न प्रकार के शुल्क प्रावधित करता है। मालवाहक वाहन/अनुबंधित वाहन/बस के

परमिट/नवीनीकरण के प्रत्येक आवेदन के लिए मई 2017 में प्रसंस्करण शुल्क को संशोधित कर ₹ 1,000 किया गया था, जिसे नवंबर 2019 से वाहन सॉफ्टवेयर में परिमापित किया गया था।

नमूना जाँचित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों में परमिट पंजी और मालवाहक वाहन, बस और अनुबंधित वाहनों के मैनुअल रूप से निर्गत स्थायी परमिट के जाँच करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि 23 मई 2017 से 31 मार्च 2019 के दौरान ₹ 1,000 के प्रसंस्करण शुल्क की वसूली के बिना 29,625 मालवाहक वाहन, 1,165 बस और 5,571 अनुबंधित वाहनों को परमिट जारी किया गया। शुल्क का संग्रहण न ही वाहन में परिमापन किया गया था और न ही इसके संग्रहण को संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा मैनुअल रूप से सुनिश्चित किया गया जाना उपरोक्त अधिसूचना का घोर उल्लंघन था। यह अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन करने में पदाधिकारियों की ओर से उचित कर्मठता की कमी का संकेत है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.64 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ।

इसे इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने कहा (जून और अगस्त 2020) कि संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों को परिवहन वाहनों के परमिट धारकों से प्रसंस्करण शुल्क की वसूली के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

4.3.22.3 परमिट शुल्क के अंतर का वसूली नहीं किया जाना।

संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों ने पाँच वर्ष के लिए परमिट जारी करने या नवीनीकरण करने या परमिट की स्थिति में परिवर्तन के लिए संशोधित शुल्क का आरोपण नहीं किया था क्योंकि संबंधित प्रावधानों को वाहन में परिमापन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 28.90 लाख का राजस्व नुकसान हुआ।

बिहार मोटर वाहन कराधान नियमवली, 1992 के नियम 80 के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 यह प्रावधान करता है कि कोई भी मोटर वाहन मालिक बिना वैध परमिट के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के रूप में वाहन का उपयोग नहीं करेगा। मोटर वाहन अधिनियम के धारा 81 के अनुसार, अस्थायी परमिट के अलावा एक परमिट उसके जारी होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध है। इसके अलावा, परिवहन विभाग ने मालवाहक वाहन, अनुबंधित वाहन और बस आदि के मामले में परमिट जारी करने/नवीनीकरण के लिए आवेदन/परमिट शुल्क को संशोधित किया (मई 2017) और पाँच वर्ष के लिए परमिट जारी करने या नवीनीकरण करने या उसके स्थिति में परिवर्तन के लिए एक प्रसंस्करण शुल्क शुरू किया।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के अभिलेखों की जाँच की और पाया कि मई और नवम्बर 2017 के दौरान 608 परमिट जारी किए गये थे। हालाँकि, संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों ने पाँच वर्ष के लिए परमिट जारी करने या नवीनीकरण करने या परमिट की स्थिति में परिवर्तन के लिए संशोधित शुल्क²¹ का आरोपण नहीं किया था क्योंकि संबंधित प्रावधानों को वाहन में परिमापन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 28.90 लाख का राजस्व नुकसान हुआ।

इसे इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने कहा (जून और अगस्त 2020) कि संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों को परमिट शुल्क का अंतर राशि की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

21

(राशि ₹ में)

वाहन की श्रेणी	संशोधन पूर्व दर	संशोधित दर (23.05.2017 से प्रभावी)
बस	2,000	7,000
मालवाहक	2,000	7,000
तिपहिया	1,500	3,000
मैक्सी/कैब	6,000	15,000

4.3.22.4 बसों को परमिट जारी करने में प्रभावी नियंत्रण की कमी होना

बसों को परमिट जारी करने में प्रभावी नियंत्रण नहीं होने के कारण, तीन मामलों में आवेदक को परमिट प्राप्त करने के लिए कई बार ₹ 3,000 परमिट शुल्क जमा करना पड़ा था।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 74 के प्रावधान के अंतर्गत, उपधारा (3) के प्रावधान के अनुसार, एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, एक आवेदन पर, आवेदन के अनुसार या इस तरह के संशोधन के अनुसार उसे योग्य माना जाता है तब अनुबंधित वाहन परमिट दे सकता है या इस तरह के परमिट को देने से इनकार कर सकता है। इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 68 के खंड (3)(सी-ए) के अनुपालन में, 05 फरवरी 2018 के बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार, 3,284 मार्गों की एक सूची प्रकाशित की गई, जो बसों को चलाने के लिए निश्चित किया गया, जिसमें विभागीय अधिसूचना द्वारा 23 जनवरी 2019 को 377 मार्गों को जोड़ा गया।

नमूना जाँचित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों को परमिट जारी करने से संबंधित अभिलेखों/संचिकाओं के जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी:

- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पटना में 2016-19 के दौरान 1480 बसों को परमिट जारी किए गए थे, इसमें से 722 विवादित आवेदन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के विभिन्न बैठकों में विचार किए गए। इन 722 आवेदनों में से, 384 बसें ऐसी थीं जिनके समय सारणी एक ही थे। आगे की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि यद्यपि परिवहन विभाग द्वारा मार्गों की एक व्यापक सूची प्रकाशित की गई थी, लेकिन किसी विशेष मार्ग पर अनुमोदित बसों की संख्या और आवृत्ति को जानने के लिए बसों के मार्ग-वार विवरण दिखाने के लिए समय सारणी/मार्ग पंजी नहीं बनाया गया था। समय सारणी/मार्ग पंजी नहीं रहने के कारण, कार्यालय यह पता लगाने में असमर्थ था कि क्या किसी नए आवेदक द्वारा माँगी गई वांछित समय सारणी पहले ही किसी को आवंटित कर दी गई थी। तीन मामलों में, इस तरह के अभिलेखों का रखरखाव नहीं होने के कारण आवेदक को परमिट प्राप्त करने के लिए कई बार ₹ 3,000 का परमिट शुल्क जमा करना पड़ा था। परमिट के प्रत्येक पुनर्विचार (समय सारणी समान होने के कारण) के लिए, समय के सुधार के लिए शुल्क के रूप में ₹ 3,000 का सुधार शुल्क लिया जा रहा था और प्रस्तावित समय सारणी के खिलाफ आपत्ति उठाने वाले व्यक्ति से ₹ 1,000 का शुल्क वसूला जा रहा था।
- लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया में इसी तरह की अनियमितताओं को पाया जहाँ बस मालिक संघ की सिफारिश पर एक बस के समय सारणी की मंजूरी दी जा रही थी, जो अनियमित थी। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर में लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान केवल सात बैठकें (परमिट जारी करने हेतु मार्ग और बस के संचालन के समय का अंतिम रूप देने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/राज्य परिवहन आयुक्त एवं बसों के मालिकों के बीच) आयोजित की गई थीं, जिसके कारण परमिट जारी करने में चार महीने से 11 महीने तक की देरी हुई।

इस प्रकार बसों के मार्ग परमिट के आवंटन नहीं होने/देरी से जारी होने के कारण वे अद्यतन कर और उचित फिटनेस प्रमाण-पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, बीमा आदि का भुगतान करने के बावजूद उसे चला नहीं सकते थे, जिससे वाहन मालिकों को अवसुलनीय नुकसान हुआ। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना में समय सारणी/मार्ग पंजी का रखरखाव नहीं होने के कारण सरकार को मार्ग का अंतिम पड़ाव सुनिश्चित करने, ग्रामीण परिवहन, यातायात के भीड़ को कम करने, शहरी परिवहन में सुधार, सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा बढ़ाने आदि में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

इसे इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने परमिट शुल्क प्रक्रिया के स्वचालन के माध्यम से और बसों के मार्ग/समय के अनुमोदन के प्रक्रिया के स्वचालन के माध्यम से विशेष मार्ग पर वाहन के चलने के मुद्दे को हल करने का आश्वासन दिया (जून 2020)।

4.3.22.5 स्थायी परमिट जारी करते समय प्रभावी नियंत्रण की कमी

स्थायी परमिट जारी करने में प्रभावी नियंत्रण न होने के कारण, 16 मामलों में वाहनों के पिछले परमिट को रद्द किए बिना एक से अधिक परमिट जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर में बसों के परमिट पंजी और संबंधित संचिकाओं की जाँच किया और पाया कि अक्टूबर 2018 से नवम्बर 2019 के दौरान 881 बसों के परमिट जारी किए गए थे। आठ बसों (421 नमूना-जाँचित में से) के मामलों में कर और वैध फिटनेस सुनिश्चित किए बिना अप्रैल और सितम्बर 2019 के बीच स्थायी परमिट जारी किए गए थे।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि इन वाहनों के मालिक ने स्थायी परमिट के लिए आवेदन किया था, हालाँकि संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने परमिट जारी करने से पहले निबंधन प्रमाण पत्र, कर के भुगतान के प्रमाण में चालान, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन नहीं किया है, जो वाहन डाटाबेस में उपलब्ध था।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मुजफ्फरपुर में, लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अप्रैल 2016 से नवंबर 2019 की अवधि के दौरान 823 बसों को परमिट जारी किये गए थे। इनमें से 16 मामलों में, जैसा स्थायी परमिट पंजी से स्पष्ट था कि, वाहनों के पिछले परमिट को रद्द किए बिना एक से अधिक परमिट जारी किए गए थे। इसके अलावा, पहले जारी किए गए परमिट को रद्द किए बिना 80 मालवाहक वाहन और 16 अनुबंधित वाहन परमिट भी जारी किए गए थे।

इसी तरह, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना ने पिछले परमिट को रद्द किए बिना 1,451 मालवाहक वाहनों को परमिट जारी किया। यह इंगित करता है कि कमजोर नियंत्रण के कारण एक ही वाहन को दो बार परमिट जारी किए गए थे।

इसे इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने कहा (जून 2020) कि संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे ताकि दोषी पदाधिकारियों के प्रति जिम्मेदारी तय की जा सके।

अनुशंसा: विभाग को बसों की उचित निगरानी करने के लिए में बसों से संबंधित सभी जानकारी जैसे फिटनेस और परमिट की स्थिति को वाहन डाटाबेस शामिल करना चाहिए।

4.3.23 सरकारी राजस्व का संग्रहण और सरकारी खाते में इसका प्रेषण

बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 37 में कहा गया है कि यह देखना विभागीय प्राधिकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि सरकार के सभी राजस्व प्राप्ति सही ढंग से, तुरंत निर्धारण, वसूली और उचित शीर्ष के अंतर्गत सरकारी खाते में बिना किसी विलम्ब के जमा की जाती है। परिवहन विभाग ने एकत्रित राजस्व को राज्य सरकार के खाते में त्वरित प्रेषण के लिए निर्देश जारी किया (जनवरी 2016)। इसके अलावा, परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों (फरवरी 2018) के अनुसार ऑनलाइन सरकारी प्राप्तियाँ एवं खाता प्रणाली (ओग्रास) के माध्यम से सभी मोटर वाहन करों को सरकारी खाते में जमा किया जाना था।

4.3.23.1 ऑनलाइन सरकारी प्राप्तियाँ एवं खाता प्रणाली चालान के लम्बित रहने के कारण सरकारी खाते में राजस्व जमा नहीं किया जाना

संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने सरकारी कोषागार से चालान का मिलान नहीं किया और परिणामस्वरूप तीन करोड़ की राशि सरकारी खाते से बाहर रही।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में दैनिक नगद संग्रहण पंजी, बैंक विवरण, ऑनलाइन सरकारी प्राप्तियाँ एवं खाता प्रणाली चालान का जाँच किया और दो²² जिला परिवहन कार्यालयों में पाया कि फरवरी 2018 और दिसंबर 2018 के बीच काउन्टर के ड्रॉप बॉक्स में तीन करोड़ की राशि के लिए 11 ऑनलाइन सरकारी प्राप्तियाँ एवं खाता प्रणाली चालान (ई-चालान) सृजित किये गये एवं उसे भारतीय स्टेट बैंक में जमा किए गए। हालाँकि, इन ऑनलाइन सरकारी प्राप्तियाँ एवं खाता प्रणाली चालान से संबंधित धन सरकारी खाते में जमा नहीं पाया गया, क्योंकि ये संबंधित कोषागार अनुसूची में नहीं पाए गए थे। संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने सरकार के कोषागार से इन चालानों का समाधान नहीं किया और सरकारी खाता में इन राशि को लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, परिणामस्वरूप तीन करोड़ की राशि सरकारी खाते के बाहर रही।

इसे इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने कहा (जून 2020) कि कोषागार सत्यापन के बाद अंतर राशि को जमा करने के लिए संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

4.3.23.2 चालू बैंक खाते में संग्रहित सरकारी राजस्व का रखा जाना

जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान प्रत्येक माह ₹ 97.98 लाख से ₹ 5.65 करोड़ के बीच सरकारी राजस्व चालू बैंक खाते में पड़ा रहा।

जिला परिवहन कार्यालय, पटना में दैनिक नकद/माँग पत्र संग्रहण पंजी के जाँच (जनवरी 2019) में, लेखापरीक्षा ने पाया कि दैनिक नकद संग्रहण/माँग पत्र को इंडियन बैंक के चालू खाते में जमा किया गया था और उसके बाद संग्रहित राशि काउन्टर पर ड्रॉप बॉक्स ऑनलाइन सरकारी प्राप्तियाँ एवं खाता प्रणाली के माध्यम से सरकारी खाते में स्थानांतरित की गई थी।

दैनिक नकद संग्रहण पंजी और इंडियन बैंक, गांधी मैदान, के बैंक खाता विवरण के जाँच में पाया गया कि सरकारी खाते में हस्तांतरित राशि, बैंक खाते में वास्तविक शेष राशि के स्थान पर इसके नकद काउण्टरों पर करो और शुल्क के दैनिक संग्रहण पर आधारित थी। परिणामस्वरूप, जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान चालू बैंक खाते में प्रत्येक माह ₹ 97.98 लाख से ₹ 5.65 करोड़ के बीच सरकारी राजस्व पड़ा रहा। इस प्रकार, ₹ 5.65 करोड़ की सीमा तक सरकारी राजस्व सरकारी खाते से बाहर रहा और इंडियन बैंक के चालू खाते में पड़ा रहा।

इसे इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने कहा (जून 2020) कि अन्य बैंक के चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से वसूल की गई राशि को सरकारी खाते में भेजने में दो से तीन दिन लग गए।

विभाग ने आगे कहा (अगस्त 2020) कि सुविधा और सुरक्षा के मुद्दे के कारण, इसके नकद काउन्टर पर करों और शुल्क के संग्रह की गई राशि पहले उसी भवन में स्थित बैंक खाते में जमा किया गया और बाद में सरकारी खाते में प्रेषित किया गया। इसके अलावा विभाग ने कहा कि जिला परिवहन कार्यालय, पटना को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे कि वे संबंधित बैंक को बैंक खाते में रखी गई पूरी राशि को समय पर सरकारी खाते में प्रेषित करने के लिए निर्देश जारी करें।

²² गया और वैशाली।

हालाँकि, तथ्य यह है कि सरकारी राजस्व को बैंक खाते में रखना और उसके बाद सरकारी खाते में प्रेषण की प्रथा 15 नमूना-जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में से केवल जिला परिवहन कार्यालय, पटना में प्रचलित था। इसके अलावा, किसी भी समय बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि को सरकारी खाते में स्थानांतरित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान प्रत्येक माह ₹ 97.98 लाख से ₹ 5.65 करोड़ के बीच सरकारी राजस्व चालू बैंक खाते में पड़ा रहा।

सरकारी खाते से बाहर लगातार रखे गए सरकारी राशि और सभी मामलों में ऑनलाइन सरकारी प्राप्तियाँ एवं खाता प्रणाली को न अपनाते पर विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया।

4.3.23.3 अगले वित्तीय वर्ष में सरकारी खाते में राजस्व का हस्तांतरित किया जाना

29 और 31 मार्च 2019 के बीच विभिन्न नकद काउंटर्स से शुल्क और करो के रूप में ₹ 4.16 करोड़ की राशि एकत्र की गई थी, लेकिन अप्रैल 2019 अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार के खाते में हस्तांतरित/प्रेषित की गई थी जो अनियमित थी।

नमूना जाँचित आठ²³ जिला परिवहन कार्यालयों में वर्ष 2018-19 के प्रेषण पंजी, ऑनलाइन सरकारी प्राप्तियाँ एवं खाता प्रणाली चालान, बैंक विवरण और कोषागार अनुसूची के जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि 29 और 31 मार्च 2019 के बीच विभिन्न नकदी काउंटर्स से शुल्क और करों के रूप में ₹ 4.16 करोड़ की राशि एकत्र की गई थी। यह राशि अप्रैल 2019, अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के खाते में हस्तांतरित/प्रेषित की गई थी, जो अनियमित थी और उपरोक्त प्रावधानों/निर्देशों के विपरीत था।

इसे इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने कहा (जून और अगस्त 2020) कि इस तरह की अनियमितता से बचने के लिए सावधानी बरती जाएगी। विभाग ने आगे 31 मार्च तक राशि जमा नहीं करने का कारण 29 मार्च और 30 मार्च को बैंक बंद रहना बताया। जवाब तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि बैंक 29 मार्च और 30 मार्च को खुला हुआ था।

4.3.23.4 ऑनलाइन रसीदों का अनियमित उत्पादन

कर संग्रहण रसीदें अनुक्रम में नहीं बनाई गई थी जैसे कि पहले रसीद संख्या बाद की तिथियों में बनाई गई थी जबकि बाद की रसीद संख्या पहले की तिथियों में बनाई गई थी। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने भी इस प्रकार के अनियमित संख्याओं के सृजन का पता नहीं लगाया।

लेखापरीक्षा ने सात²⁴ नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन डाटाबेस में व्यवसायी स्थल ऑनलाइन संग्रहण प्रतिवेदन की जाँच किया और पाया कि कर संग्रहण रसीदे अनुक्रम में नहीं बनाई गई थी जैसे कि पहले रसीद संख्या बाद की तिथियों में बनाई गई थी जबकि बाद की रसीद संख्या पहले की तिथियों में बनाई गई थी। चूँकि, ये प्रणाली द्वारा सृजित संख्या है, इसलिए क्रम संख्या और तिथि में फेरबदल नहीं होना चाहिए। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने भी इस प्रकार के अनियमित संख्याओं के सृजन का पता नहीं लगा पाया। प्रणाली के सत्यापन नियंत्रण में यह कमी न केवल अनियमित संख्या सृजन करती है, बल्कि धोखाधड़ी के जोखिम से भी भरी होती है।

²³ अरवल, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, नालन्दा, पटना एवं वैशाली।

²⁴ औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, नालन्दा एवं सिवान।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि व्यवसायी वार राजस्व के संग्रहण और प्रेषण की विस्तृत प्रतिवेदन वाहन डाटाबेस के अंतर्गत सूचित नहीं की जा रही थी, जिसके परिणामस्वरूप अलग-अलग व्यवसायियों द्वारा कर का संग्रहण और सरकार के खाते में प्रेषण को सुनिश्चित एवं सत्यापित नहीं किया जा सका।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि मामलों की जाँच की जा रही थी।

अनुशंसा: विभाग को बिना किसी विलम्ब के सभी सरकारी राजस्व को सरकार के खाते में प्रेषित करना सुनिश्चित करना चाहिए।

4.3.24 प्रदूषण परीक्षण स्थल के डाटाबेस का रखरखाव नहीं होना

142 प्रदूषण परीक्षण स्थल का अनुज्ञप्ति नवम्बर 2018 तक नवीनीकृत नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹ 24.30 लाख राजस्व का कम आरोपण हुआ।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली का नियम 115 (7) यह प्रावधित करता है कि निबंधन के एक वर्ष के बाद प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया गया वैध 'प्रदूषण नियंत्रण' प्रमाण पत्र रखना होगा। प्रमाण पत्र की वैधता छः महीने होगी और उसके बाद, निर्धारित सीमा के भीतर पाये जाने पर प्रदूषण जाँच केन्द्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर नए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों और क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त के कार्यालय में प्रदूषण परीक्षण स्थलों से संबंधित अभिलेखों की जाँच की और पाया कि विभाग ने बिहार में 508 निजी परीक्षण केन्द्रों को अधिकृत (जून 2004 से मार्च 2019 तक) किया था। 508 में से 142 प्रदूषण परीक्षण स्थल का अनुज्ञप्ति नवम्बर 2018 तक नवीनीकृत नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹ 24.30 लाख राजस्व का कम आरोपण हुआ। राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय और नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों के पास 31 मार्च 2019 तक राज्य में कार्यरत परीक्षण स्थलों की संख्या के बारे में कोई डाटाबेस नहीं था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालय के पास मार्च 2019 तक वाहन सॉफ्टवेयर में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ या उसके बिना चलने वाले वाहनों के बारे में कोई डाटाबेस/जानकारी नहीं थी।

इसे इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि प्रदूषण परीक्षण स्थल और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र से संबंधित मुद्दों को कम्प्यूटरीकृत किया गया था। विभाग ने आगे कहा कि 142 प्रदूषण जाँच स्थलों में से 110 का नवीनीकरण किया गया था। हालाँकि, विभाग ने वाहन सॉफ्टवेयर में मार्च 2019 तक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ या उसके बिना चलने वाले वाहनों एवं सभी प्रदूषण जाँच स्थलों के डाटाबेस के सूचना के नही होने के मामलों में कोई जवाब नहीं दिया।

आंतरिक नियंत्रण तंत्र

विभाग को अधिनियम/नियमावली के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र विकसित करना चाहिए। यह शीघ्र और कुशल निर्णय लेने के लिए विश्वसनीय वित्तीय और प्रबंधन सूचना प्रणाली के निर्माण में भी मदद करता है एवं वाहन तथा सारथी पर उचित सत्यापन नियंत्रण के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है।

4.3.25 राजस्व का बकाया

4.3.25.1 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों में पंजी IX²⁵ और राजस्व के बकायों का प्रतिवेदन/विवरण की जाँच से पता चला कि दो²⁶ जिला परिवहन पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ने राजस्व के बकाये से संबंधित कोई अभिलेख संधारित नहीं किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 15²⁷ जिला परिवहन कार्यालय/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार में, 31 मार्च 2019 तक राजस्व का बकाया ₹ 203.86 करोड़ था। 2016-17 से 2018-19 के दौरान राजस्व के बकायों की स्थिति को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 4.5: 2016-19 के दौरान राजस्व के बकायों के लंबित नीलामवाद मामला
(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभ शेष		वर्ष के दौरान संयोजन		वर्ष के दौरान संग्रहित राशि		बकाया का अंतशेष	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2016-17	12,422	125.20	1,766	6.00	185	4.32	14,003	126.87
2017-18	14,003	126.87	1,899	4.91	271	0.81	15,630	130.97
2018-19	15,630	130.97	5,043	73.76	218	0.88	20,612	203.86

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 2016-17 की शुरुआत में कर चूककर्ता वाहन मालिकों के खिलाफ ₹ 125.20 करोड़ का बकाया था जो 2018-19 में बढ़कर ₹ 203.86 करोड़ (62.83 प्रतिशत) हो गया। 2016-19 के दौरान विभाग ने ₹ 209.87 करोड़ के राजस्व के बकाये से केवल ₹ 6.01 करोड़ (2.86 प्रतिशत) की वसूली की। विभाग के पास तीन वर्षों से अधिक के बकाये का विवरण उपलब्ध नहीं था। इससे पता चलता है कि विभाग के पास राजस्व बकाये से संबंधित उचित डाटाबेस नहीं था और उसने बकाये को कम करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये।

इसे इंगित किये जाने के बाद, विभाग ने कहा (जून 2020) कि राजस्व बकाया की राशि के परिसमापन हेतु संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किए गये थे।

4.3.25.2 नीलामवाद का मामला बकाये की वसूली के बिना वापस आना

अधिनियमों या नियमावलियों के अनुसार अप्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के कारण ₹ 7.01 करोड़ के राजस्व बकाये की राशि की वसूली नहीं की जा सकी।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पटना में परिवहन वाहनों के कर चूककर्ता वाहन मालिकों के राजस्व के बकाये के लंबित मामलों के अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि 225 (827 में से) वाहन मालिकों के विरुद्ध अवधि 2009-10 से 2015-16 के बकाया राशि ₹ 7.01 करोड़ की वसूली के लिए नीलामवाद दायर किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नीलामवाद मामलों²⁸ की स्थापना के नौ साल के बाद भी, राजस्व के बकाया की वसूली नहीं की जा

²⁵ पंजी-IX मॉग पत्र की एक पंजी और इसे आवश्यक अधिकारी द्वारा बनाये रखा जाता है।

²⁶ पटना और पूर्णिया।

²⁷ जिला परिवहन कार्यालय: अरवल, औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, कैमूर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, शिवहर, सिवान और वैशाली; क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार: पटना और पूर्णिया।

²⁸ नीलामवाद मामला: जब प्रमाण पत्र अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि क्लेक्टर को देय कार्ड सार्वजनिक मॉग देय हो, तो वह निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है, जिसमें कहा गया है कि मॉग देय है और प्रमाण पत्र उसके कार्यालय में दाखिल करने का कारण होगा।

सकी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पास गलत पता/अनुसरणीय/मृत्यु इत्यादि टिप्पणी कर वापस किया गया। हालाँकि चूककर्ता की पूर्ण विवरणी बनाये रखने की जिम्मेदारी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी की थी। नीलामवाद पदाधिकारी, बकाया की राशि की वसूली में विफल रहा एवं दोषी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार, अधिनियमों एवं नियमावलियों के अनुसार अप्रभावी अनुवर्ती के कारण ₹ 7.01 करोड़ राजस्व बकाये की राशि की वसूली नहीं की जा सकी। इसे इंगित करने के बाद, विभाग ने बताया (जून 2020) कि राजस्व के बकाया की वसूली हेतु संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक दिशानिर्देश दिये गये हैं। विभाग ने आगे बताया (अगस्त 2020) कि वाहन-4 डाटाबेस में सभी प्रांसगिक जानकारी को शामिल करने हेतु प्रणाली में आवश्यक जाँच शामिल किये गये थे। विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/जिला परिवहन पदाधिकारी को राजस्व के बकाये की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश भी दिया गया।

4.3.25.3 बकाया की वसूली हेतु निगरानी और अनुवर्ती तंत्र का अभाव

कर चूककर्ता वाहन मालिकों के विरुद्ध जुलाई 2002 से अगस्त 2007 तक 30 मामलों में ₹ 1.99 करोड़ की बकाया राशि वसूली हेतु लंबित थीं, जिसके लिए 2007-08 की अवधि के दौरान नीलामवाद दायर किये गये थे।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना में नीलामवाद के मामलों की पंजी की जाँच से पता चला कि जुलाई 2002 से अगस्त 2007 तक 30 मामलों में ₹ 1.99 करोड़ की राशि वसूली हेतु लंबित थी जिसके लिए 2007-08 की अवधि के दौरान नीलामवाद दायर किये गये थे। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना द्वारा नीलामवाद, राजस्व बकाया की तिथि से दो वर्षों से अधिक विलम्ब के बाद दायर किया गया था जबकि उन्हें सूचना की अवधि के समाप्त होने के 45 दिनों के अंदर नीलामवाद दायर करना था। इस प्रकार, नीलामवाद दायर करने में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना द्वारा की गई विलम्ब के कारण बकाया की राशि की वसूली नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नीलामवाद दायर होने के 12 वर्षों के बाद भी, उपरोक्त वर्णित 30 मामलों में बकाया की वसूली नहीं की जा सकी। अभिलेखों की जाँच से पता चला कि सभी मामले केवल एक ही परिवार के सदस्य से संबंधित था और अधियाची अधिकारी (जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर) द्वारा सूचना के बावजूद भी ये वाहन 2012 तक बिहार में चल रहे थे, उन वाहनों की जब्ती और निलामी करके बकाये की राशि की वसूली हेतु नीलामवाद पदाधिकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना ने इन चूककर्ता वाहन मालिकों से राजस्व बकाये की वसूली के लिए बिना कोई कार्रवाई किये नियमित रूप से परमिट जारी (2017 से 2019 के बीच) किया।

आगे यह पाया गया कि निश्चित समय सीमा के भीतर राजस्व बकाया राशि के प्रभावी और त्वरित प्राप्ति हेतु नीलामवाद के दायर एवं निपटारा हेतु विभाग के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए, अनुवर्ती और अनुश्रवण तंत्र की अनुपस्थिति के कारण, ₹ 1.99 करोड़ राजस्व बकाया राशि की वसूली लंबित था।

इसे इंगित किये जाने के बाद, विभाग ने कहा (जून और अगस्त 2020) कि संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना और जिला परिवहन पदाधिकारी कैमूर को वाहनों और अंचल संपत्तियों की नीलामी कर राजस्व के बकायों की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे।

4.3.25.4 मामलों की अनुचित अनुश्रवण के कारण बकाया सरकारी राजस्व की वसूली नहीं किया जाना

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार या विभाग की ओर से प्रभावी अनुवर्ती और अनुश्रवण तंत्र की अनुपस्थिति के कारण, चार वर्ष के बाद भी ₹ 3.51 करोड़ की सरकारी राशि की वसूली नहीं की जा सकी।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना में नीलामवाद मामलों की अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम ने ऋणी मेसर्स गिरीश इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के विरुद्ध ₹ 3.51 करोड़ की राशि के लिए एक नीलामवाद दायर करने की अधियाचना नीलामवाद पदाधिकारी, पटना से की (जून 2015) थी। इसके बाद, बकाया की वसूली हेतु एक नीलामवाद दायर किया गया (जुलाई 2015)। हालाँकि, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/विभाग की ओर से प्रभावी अनुवर्ती और अनुश्रवण तंत्र की अनुपस्थिति के कारण, सरकार का बकाया ₹ 3.51 करोड़ की राशि चार वर्षों के अंतराल के बाद भी वसूली नहीं की जा सकी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (जून और अगस्त 2020) कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पटना को वाहनों या चल/अचल संपत्तियों की नीलामी कर राजस्व के बकाये की वसूली करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे। हालाँकि, विभाग ने अनुवर्ती और अनुश्रवण तंत्र की कमी जिसके कारण सरकारी बकाया की वसूली नहीं हो सका पर कोई जवाब नहीं दिया।

4.3.25.5 अनुवर्ती तंत्र की कमी के कारण सरकारी बकाये की वसूली नहीं किया जाना

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा अनुवर्ती कार्य की कमी के कारण और मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के आदेश के अनुपालन नहीं करने के कारण ₹ 1.08 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना में नीलामवाद मामलों के अभिलेखों संचिकाओं की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम ने दिसम्बर 2011 में ऋणी मेसर्स ईडेन ट्रान्सपोर्ट प्रा0 लि0, कोलकाता के विरुद्ध ₹ 1.21 करोड़ एवं ₹ 37.13 लाख के राजस्व बकाया की वसूली के लिए नीलामवाद दायर करने के लिए नीलामवाद पदाधिकारी, पटना से अधियाचना किया। इसके बाद नीलामवाद ऋणी के विरुद्ध वाद सं 07/2011 और 08/2011 द्वारा नीलामवाद दायर किया गया। बाद में बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा कर बकाये को संशोधित (जुलाई 2013) कर ₹ 71.21 लाख और ₹ 36.41 लाख कर दिया गया और तदनुसार नीलामवाद पदाधिकारी को एक संशोधित अधियाचना अग्रेषित (जुलाई 2013) किया गया। बकाये राशि की वसूली के लिए सुनवाई 16 नवंबर 2013 को किया गया जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी पटना को निर्देशित (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा) किया गया कि राजस्व बकाया की वसूली तक चूककर्ता के नौ बसों को कब्जा में रखा जाय। तदनुसार, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने बसों को कब्जा में लिया और इसकी सूचना (06 दिसंबर 2013) को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को दिया जिसने मोटर वाहन निरीक्षकों को कब्जा में लिये गये वाहनों का मूल्यांकन करने हेतु निर्देश (20 अगस्त 2016) दिया। यद्यपि, दो वर्ष और पाँच माह के बीत जाने बाद भी इस दिशा में मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा मामले की कोई अनुवर्ती कार्रवाई अभिलेख में नहीं पाया गया। इस प्रकार, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण और मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के आदेश के अनुपालन नहीं करने के कारण ₹ 1.08 करोड़ की वसूली लेखापरीक्षा की तिथि (फरवरी 2020) तक नहीं हो सका।

विभाग ने बताया (जून और अगस्त 2020) की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को संबंधित मोटर वाहन निरीक्षक के विरुद्ध जबावदेही तय करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। हालाँकि, विभाग राजस्व के बकाये की राशि ₹ 1.08 करोड़ की वसूली पर कोई जवाब नहीं दिया।

4.3.26 प्रवर्तन स्कंध में निगरानी की अनुपस्थिति

परिवहन विभाग के प्रवर्तन स्कंध की जिम्मेदारी, वाहनों जिसके पास वैध परमिट नहीं है को जब्त करना तथा और अर्थदण्ड का आरोपण और संग्रहण करना है जैसा कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 और बिहार मोटर वाहन करान अधिनियम, 1994 में प्रावधित है। प्रवर्तन उप निरीक्षक को जिला परिवहन पदाधिकारी के नियंत्रण में तैनात किया जाता है, जिन्हें वाहनों को जब्त करने और अर्थदण्ड जमा करने हेतु जब्ती और मुद्राप्राप्ति रसीद दी जाती है। परिवहन विभाग के निर्देशानुसार, जब्ती रसीद की द्वितीयक प्रति इसके उपयोग के बाद वापस करना होता है।

जिला परिवहन प्राधिकार के कार्यालय, वैशाली में अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2019) कि जिला परिवहन पदाधिकारी ने मुद्राप्राप्ति रसीद की 11 खंड और जब्ती रसीद की चार खंड प्रवर्तन उप निरीक्षक को जारी किया (जून 2016 से मई 2018 के बीच)। हालाँकि, प्रवर्तन उप निरीक्षक को जब्ती रसीद एवं मुद्राप्राप्ति रसीद के उपयोगिता से संबंधित आवश्यक प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी को जमा किये बिना स्थानांतरित (जून 2018) किया गया। इस जानकारी के अभाव में, लेखापरीक्षा में राजस्व के वास्तविक संग्रह का सत्यापन नहीं किया जा सका।

इसे इंगित किये जाने के बाद, विभाग ने बताया (अगस्त 2020) कि समेकित अर्थदण्ड का संग्रहण हस्तचलित उपकरण से शुरू किया जा चुका था। विभाग ने आगे कहा कि जिला परिवहन कार्यालय, वैशाली के मामले में आवश्यक विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त की गई थी एवं उसे लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

निष्कर्ष:

विभागों को नियमों और कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने और सरकारी राजस्व सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है कि क्योंकि लेखापरीक्षा में उल्लेखित अनियमितताएं लगभग ₹ 281.13 करोड़ है जो 2018-19 की अवधि के दौरान वाहनों पर करो से कुल राजस्व संग्रहण का 13 प्रतिशत है। विभाग को सड़क सुरक्षा उपकरण लगाने से संबंधित अपनी अधिसूचना को पुनः जाँच करना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप सड़क सुरक्षा उपकरण का कम संग्रहण हुआ। वाहनों के निबंधन, चालक अनुज्ञप्ति जारी करना, परमिट जारी करना, फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करना, राजस्व के बकाये की वसूली हेतु विभाग द्वारा स्थापित प्रणाली का अतिसावधानी से पालन करना चाहिए। परमिट शुल्क प्रक्रिया का एवं बस के मार्ग/समय के अनुमोदन की प्रक्रिया को स्वचालित करने की आवश्यकता है। विभाग को व्यापार कर के वसूली, मोटर वाहन कर के नही/कम वसूली और फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण नहीं होने आदि में देखी गई कमियों को दूर करने तथा समय पर उल्लंघन का पता लगाने और सुधार करने हेतु अपने क्षेत्र के पदाधिकारियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखने हेतु अभ्यास करने की आवश्यकता है।

4.4 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के ऋण के समायोजन में परिवहन विभाग द्वारा तथ्यों का भ्रामक प्रस्तुतीकरण

विभाग ने राजपत्र अधिसूचना में निगम की संपत्तियों के अधिग्रहण से ₹ 874.81 करोड़ की वसूली दिखाई किंतु यह हितधारकों के लिए तथ्यों की गलत प्रस्तुति थी, क्योंकि भूमि के रूप में अधिग्रहण की गई सम्पत्ति पहले से ही राज्य सरकार की थी एवं वर्तमान तिथि में भवन का कोई मूल्य नहीं था।

राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के कार्यालय के अभिलेखों²⁹ के जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय³⁰ पटना के आदेश के अनुपालन में परिवहन विभाग ने फरवरी 2016 में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को अपने सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए ₹ 318.24 करोड़ का ऋण दिया। स्वीकृत्यादेश के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ऋण को दस बराबर किश्तों में चुकाया जाना था, यदि सरकार द्वारा इसे एक वर्ष के अन्दर शेरर पूंजी में परिवर्तित नहीं करे।

बिहार सरकार के वित्त लेखा 2017-18 के अनुसार पूर्व के अवसरों पर प्रदान किये गये ऋण को शामिल करते हुए 31 मार्च 2018 को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पर बकाया ऋण ₹ 874.81 करोड़ था। 2005-12 के दौरान भी वेतन और अन्य भत्तों के भुगतान के लिए बिहार सरकार ने निगम को ऋण दिया। स्थापना व्यय एवं आवर्तित प्रकृति के व्यय हेतु वेतन के भुगतान के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ऋण दिया गया था (जबकि सरकार के लिए उधार ली गई धनराशि की औसत लगात 6 से 10 प्रतिशत थी)। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम वर्षों से घाटे में रहा जिससे इसके ऋण चुकाने की क्षमता प्रभावित हुई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के भौतिक सम्पत्तियों³¹ के अधिग्रहण से 31 मार्च 2018 तक लंबित सम्पूर्ण ऋण की राशि (मूलधन) ₹ 874.81 करोड़ की वसूली (मार्च 2019) की और इस संबंध में दिनांक 22.02.2019 को एक अधिसूचना जारी किया। उक्त अधिसूचना में भूमि के वास्तविक मूल्यांकन को ₹ 615.60³² करोड़ दर्शाया गया एवं ऋण की राशि को मिलाने के लिए शोधराशि को भवन (सुल्तान पैलेस) के मूल्य में जोड़ते हुए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की कीमत बढ़ा कर ₹ 874.81 करोड़ कर दिया गया।

वित्त विभाग ने मूल राशि की वसूली के प्रस्ताव को स्वीकृत करते समय टिप्पणी की थी कि बकाये ब्याज को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की अन्य सम्पत्तियों पर कब्जा करके भविष्य में समायोजित किया जाना चाहिए।

इस लेन-देन की निरंतरता में लेखापरीक्षा ने पाया कि बिहार सरकार ने आगे का समायोजन किया एवं पुस्तक हस्तांतरण के माध्यम से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को सब्सीडी प्रदान किया एवं शीर्ष आर-7055 "सड़क परिवहन के लिए ऋण" के अधीन स्वयं परिवहन विभाग ने बकाये ऋण के वसूली के लिए उसी राशि को नौ कोषागार चालान के माध्यम से जमा किया जाना भी दिखाया। इस प्रकार, वर्ष 2018-19 के वित्त लेखा में ₹ 874.81 करोड़ के बकाये मूलधन की कुल राशि का पुनर्भुगतान दिखाया गया एवं अधिसूचना के अनुसार इस लेन देन के विरुद्ध संपत्ति प्राप्त किया हुआ दिखाया गया।

²⁹ बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को अग्रिम एवं ऋण से संबंधित रोकड़ बही एवं संचिका एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों जैसे कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का माँग पत्र, कैबिनेट नोट, स्वीकृत्यादेश, भुगतान अभिश्रव इत्यादि।

³⁰ उच्चतम न्यायालय की सिविल संख्या 1994 का 7290 एवं उच्च न्यायालय को 2012 को सी.डब्ल्यू सं. 9207

³¹ सुल्तान पैलेस में भूमि (4.80 एकड़) एवं बांकीपुर (2.50 एकड़); सुल्तान पैलेस में भवन।

³² सुल्तान पैलेस में; ₹ 324 करोड़ एवं बांकीपुर; ₹ 291.60 करोड़।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 28 फरवरी 2019 को लंबित ऋण पर ब्याज की कुल बकाया राशि ₹ 1011.10 करोड़ थी। ब्याज की राशि की वसूली के लिए विभाग ने कोई माँग जारी नहीं किया।

लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब में विभाग ने बताया (जुलाई 2020) कि विभागीय अधिसूचना (25 फरवरी 2019) के अनुसार ₹ 874.81 करोड़ सबसिडी के रूप में प्रदान की गई थी एवं पुस्तक हस्तांतरण के माध्यम से सम्पूर्ण ऋण राशि (मूलधन) ₹ 874.81 करोड़ को समायोजित किया गया था। हालाँकि, विभाग ब्याज की वसूली पर कोई जवाब नहीं दिया।

लेखापरीक्षा ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अभिलेखों से पाया कि बिहार सरकार दोनों ही भूमि को पहले ही प्राप्त कर चुकी थी। इसके बावजूद परिवहन विभाग ने भूमि जो पहले से ही इसके पास था का पुनर्ग्रहण दिखाने के लिए एक अधिसूचना जारी किया एवं भूमि का मूल्य ₹ 615.60³³ करोड़ लगाया।

भवन का स्वामित्व बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पास था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सुल्तान पैलेस का भवन 1962 से पूर्व अस्तित्व में था एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वार्षिक लेखा के महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अनुसार, भवन का उपयोगी जीवन केवल 20 वर्ष लिया गया था। इसलिए बिहार सरकार द्वारा केवल इस लेन-देन के लिए भवन का मूल्यांकन काल्पनिक रूप से ₹ 259.21 करोड़ किया गया था।

इस प्रकार, उक्त के अनुसार, यद्यपि विभाग ने राजपत्र अधिसूचना में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के सम्पत्ति के अधिग्रहण से ₹ 874.81 करोड़ की वसूली दिखाया, यह हितधारकों के लिए भ्रामक था, क्योंकि भूमि के रूप में अधिग्रहित सम्पत्ति पहले से ही राज्य सरकार की थी और सरकार इस संबंध में किसी भी राशि की वसूली नहीं की। इससे सरकारी खजाने पर ₹ 874.81 करोड़ का एवं ब्याज प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹ 1,011.10 करोड़ का बोझ पड़ा। यद्यपि जैसा ऊपर इंगित किया गया है, भूमि राज्य सरकार की थी एवं भवन का जीवन समाप्त हो चुका था, इस प्रकार, यह लेन-देन खुद को विवेकपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग को नहीं बताता है।

अनुशंसा: सरकार को निगमों को आवर्तक स्थापना व्यय, जो कि राजस्व प्रकृति का है, इन उद्देश्यों के लिए ऋण के बदले कुछ संस्थाओं के कर्ज चुकाने की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए इन निगमों को अनुदान देना चाहिए जो लेने देन के प्रकृति को सही से प्रतिबिंबित करता हो। इस प्रकार के ऋण सरकार के पूँजीगत व्यय के प्रकृति को अतिरंजित करता है।

2. जिन ऋणों को चुकाया नहीं जा सकता हो उसे बही समायोजन, जो दोनों के लेन देन एवं वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुती में बाधा डालता है, के बदले खत्म कर देना चाहिए एवं उपयुक्त रूप से सरकार के वित्तीय विवरण एवं संस्था के खाते में लिखा जाना चाहिए।

3. विभाग फरवरी 2019 की अपनी अधिसूचना की समीक्षा कर सकता है, क्योंकि यह कर दाताओं एवं अन्य हितधारकों को एक भ्रामक चित्र प्रस्तुत करता है।

³³ सुल्तान पैलेस में ₹ 324 करोड़ एवं बांकीपुर ₹ 291.60 करोड़

4.5 धर्मकाँटा के निर्माण में निरर्थक व्यय

आठ करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद तीन धर्मकाँटा को परिवहन विभाग को दिसम्बर 2015/जनवरी 2016 में सुपूर्द करने के बाद भी उसे 2019 तक कार्यशील नहीं किया जा सका था। इसके अलावा, सरकार ने वैसे पदाधिकारियों जिनकी पदस्थापना मूल रूप से धर्मकाँटा स्थल के लिए हुई थी किन्तु उनकी तैनाती राज्य परिवहन निगम/जिला परिवहन कार्यालय, पटना कार्यालय में किया गया था, के वेतन एवं भत्तों के भुगतान के रूप में ₹ 75.98 लाख का व्यय किया।

बिहार वित्त नियमावली का नियम 9 प्रावधित करता है कि लोक निधि से व्यय करने वाले अथवा व्यय हेतु अधिकृत करने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानदंड से शासित होना चाहिए एवं ऐसा उम्मीद किया जाता है कि सरकारी धन के खर्च में वही सर्तकता बरतेगा जैसा कि एक साधारण विवेक का आदमी अपना धन खर्च करने में बरतता है।

राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय में अभिलेखों के जाँच (जनवरी 2019) में, लेखापरीक्षा ने पाया कि मुख्यमंत्री, बिहार के आदेश (जून 2014) के अनुसार अतिभार की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने चार स्थलों यथा— बिहटा, फतुहा, ट्रान्सपोर्ट नगर (पटना) एवं मसौढ़ी (पटना) में धर्मकाँटा बनाने का निर्णय लिया। तदनुसार, इन धर्मकाँटों के निर्माण का कार्य सड़क निर्माण विभाग को दिया गया जिसने आगे इस कार्य को बिहार राज्य पूल निर्माण निगम लिमिटेड को दे दिया एवं तदनुसार परिवहन विभाग द्वारा अगस्त 2014 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया। पुनः, ₹ 2.39 करोड़ प्रति धर्मकाँटा की दर से ₹ 9.57 करोड़ के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (अगस्त 2014) की गई एवं बाद में विभाग ने उनके निर्माण के लिए ₹ आठ करोड़ किस्तों (दिसम्बर 2014 एवं दिसम्बर 2015 के बीच) में बिहार राज्य पूल निर्माण निगम लिमिटेड को स्थानांतरित किया।

यह पाया गया कि भूमि अधिग्रहण संबंधित समस्याओं के कारण मसौढ़ी धर्मकाँटा के निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था। फतुहाँ, ट्रान्सपोर्ट नगर (पटना) एवं बिहटा में धर्मकाँटा निर्माण (प्रत्येक स्थल पर दो धर्मकाँटा यंत्र) के बाद, बिहार राज्य पूल निर्माण निगम लिमिटेड ने इन धर्मकाँटों को परिवहन विभाग को दिसम्बर 2015 एवं जनवरी 2016 में सुपूर्द कर दिया। तीन प्रवर्तन उप निरीक्षक (प्रत्येक जगह के लिए एक) को धर्मकाँटा का परिग्रह करने के लिए विभाग द्वारा अधिकृत (दिसम्बर 2015) किया गया था तथा अधिकारियों को धर्मकाँटा के रख-रखाव एवं देखभाल के लिए जिम्मेदार बनाया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन धर्मकाँटों के सुपूर्दगी के बाद मानव बल³⁴ एवं आधारभूत संरचना³⁵ के अभाव में इन्हें कार्यशील नहीं किया गया था। अकार्यशील अवधि के दौरान अधिष्ठापित औजारों के टूटने फूटने के कारण आगे मरम्मत की आवश्यकता थी। आगे, वार्षिक रख रखाव निविदा हेतु ₹ 27.56 लाख की निर्धारित राशि बिहार राज्य पूल निर्माण निगम लिमिटेड के पास रहा। कार्यकारी एजेंसी एवं विक्रेता जिसने यंत्र का अधिष्ठापन किया था ने धर्मकाँटा के टूट-फूट का कारण निष्क्रियता एवं अनुपयोग बताया। उन्होंने बताया कि इन धर्मकाँटों को कार्यशील बनाने के लिए पुनः मरम्मत की जरूरत है एवं इसके लिए ₹ 10.03 लाख के अतिरिक्त प्राक्कलन को जमा (सितम्बर 2017) किया।

³⁴ धर्मकाँटा के लिए आवश्यक कर्मचारी को या तो विलम्ब से तैनात किया गया या तैनात नहीं किया गया।

³⁵ धर्मकाँटों के लिए बिजली कनेक्शन का अभाव, धर्मकाँटों में जल जमाव की स्थिति, जब्त वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था नहीं होना, सम्पर्क सड़क (ट्रान्सपोर्ट नगर) का अभाव आदि।

आगे यह पाया गया कि ट्रान्सपोर्टनगर, पटना में धर्मकाँटा की स्थापना को चुनौती देने वाले एक निकटवर्ती प्लॉट धारक द्वारा रिट याचिका के बाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने ट्रान्सपोर्ट नगर धर्मकाँटा के निर्माण को हटाने हेतु पटना नगर निगम को निर्देश (अप्रैल 2019) दिया क्योंकि पटना नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ट्रान्सपोर्ट नगर में धर्मकाँटा की स्थापना गैरकानूनी था। बाद में, परिवहन विभाग ने ट्रान्सपोर्ट नगर के एक धर्मकाँटा जिसपर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया था को रजौली (नवादा) स्थानांतरित करने का निर्णय लिया एवं ₹ 1.04 करोड़ (तकनीकी रूप से स्वीकृत) के प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत (जनवरी 2020) किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने बिहटा एवं फतूहा में बचे हुए धर्मकाँटा को जनवरी 2020 तक कार्यशील बनाने में असफल रहा। इस दौरान विभाग ने अतिभार के कारण जुर्माना एवं अर्थदण्ड के संग्रहण में कमी के अलावा अतिभार, सड़क दुर्घटना एवं कम वजन के कारण राजस्व हानि को नहीं रोक सका। इस प्रकार, धर्मकाँटा के निर्माण का उद्देश्य अप्राप्त रहा एवं ₹ आठ करोड़ का व्यय निरर्थक रहा।

लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में विभाग ने बताया (जुलाई 2020) कि ट्रान्सपोर्टनगर में एक धर्मकाँटा एवं फतूहा के धर्मकाँटा को कार्यशील कर दिया गया था। परिवहन विभाग ने आगे बताया कि ट्रान्सपोर्टनगर के एक धर्मकाँटा को रजौली (नवादा) स्थानांतरित कर दिया गया था एवं बिहटा का धर्मकाँटा शीघ्र ही कार्यशील होगा।

धर्मकाँटा के भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यशील धर्मकाँटा को कभी भी पूरी क्षमता से उपयोग नहीं किया गया क्योंकि इन धर्मकाँटा पर औसतन प्रतिदिन केवल दो से तीन वाहनों का भार लिया गया है।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि सरकार ने कार्यकारी सहायक³⁶ जो मुल रूप से धर्मकाँटा स्थल के लिए पदस्थापित थे किन्तु उन्हें राज्य परिवहन आयुक्त/जिला परिवहन अधिकारी, पटना कार्यालय में तैनात किया गया था, के वेतन एवं भत्तों के भुगतान पर ₹ 75.98 लाख का व्यय किया गया था। जिला परिवहन कार्यालय में स्वीकृत बल पहले से कार्यशील था।

विभाग ने बताया कि धर्मकाँटा के लिए नियुक्त कर्मियों को जिला परिवहन कार्यालय, पटना एवं मुख्यालय स्तर पर तैनात किया गया था क्योंकि धर्मकाँटा की मामला पटना उच्च न्यायालय स्तर पर लंबित था। हालाँकि तथ्य यह है कि ट्रान्सपोर्ट नगर के मात्र एक धर्मकाँटा का मामला पटना उच्च न्यायालय में लंबित था एवं इसलिए इन कर्मियों को दूसरे धर्मकाँटा पर पदस्थापित करना चाहिए था।

³⁶ नवम्बर 2016 में 16 कार्यपालक सहायक, दिसम्बर 2016 से फरवरी 2019 तक 16 कार्यपालक सहायक और मार्च 2019 से मार्च 2020 तक 15 कार्यपालक सहायक।

अध्याय 5
मुद्रांक एवं निबंधन फीस

अध्याय-5: मुद्रांक एवं निबंधन फीस

5.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, निबंधन अधिनियम, 1908, बिहार मुद्रांक नियमावली, 1991 तथा बिहार मुद्रांक (दस्तावेजों के अवमूल्यण का निवारण) नियमावली, 1995 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन (निबंधन) विभाग के प्रमुख निबंधन महानिरीक्षक होते हैं। विभाग, निबंधन विभाग के सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। मुख्यालय स्तर पर निबंधन महानिरीक्षक के सहायता के लिए एक अपर सचिव, दो उप महानिरीक्षक और चार सहायक महानिरीक्षक होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रमंडलीय स्तर पर नौ सहायक महानिरीक्षक होते हैं। श्रेणीय स्तर पर, 38 जिला अवर निबंधक, 87 अवर निबंधक और 26 संयुक्त अवर निबंधक, जिला/प्राथमिक इकाई स्तर पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा ने सहायक महानिरीक्षक (निबंधन), पटना के अभिलेखों की नमूना जाँच की 'बिहार सोसायटी फॉर कम्प्यूटराईजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन' एवं 'डिस्ट्रीक्ट सोसायटी फॉर कम्प्यूटराईजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन' के लेखापरीक्षा के दौरान, निबंधन विभाग के कुल 161 इकाईयों में से आठ इकाईयों की लेखापरीक्षा सितम्बर और दिसम्बर 2019 के दौरान सम्पन्न हुई और जनवरी 2016 से अक्टूबर 2019 के दौरान निबंधित कुल 3,44,020 दस्तावेजों में से 1,016 दस्तावेजों की नमूना जाँच की गई। लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान पाँच मामलों में सन्निहित ₹ 4.14 करोड़ राजस्व की कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं को पाया। इसके अतिरिक्त, *बाईस्कोर* एवं *डाईस्कोर* के लेखापरीक्षा से उद्घटित ₹ 31.73 करोड़ की अनियमितता आगे के कड़िका में वर्णित है।

5.3 बिहार निबंधन नियमावली, 2008 में सेवा प्रभार के संग्रहण का अवैध प्रावधान के परिणामस्वरूप सेवा प्रभार का अनियमित संग्रह

निबंधन विभाग ने बिहार निबंधन नियमावली, 2008, में सेवा प्रभार के संग्रहण से संबंधित अवैध प्रावधान बनाया, जिसके परिणामस्वरूप न केवल हितधारकों पर वित्तीय बोझ डालकर 2018-19 के दौरान ₹ 31.73 करोड़ का सेवा प्रभार का संग्रह किया गया अपितु इनको राज्य के समेकित निधि के बदले बैंक खाता में जमा किया गया।

बिहार सरकार ने राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों को सिस्टम फॉर कम्प्यूटराईज्ड रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय (मार्च 2005) लिया। बिहार निबंधन नियमावली, 2008 के अनुसार कम्प्यूटरीकरण राज्य स्तर के सोसायटी जैसे बिहार सोसायटी फॉर कम्प्यूटराईजेशन ऑफिसेस रजिस्ट्रेशन और प्रत्येक जिला स्तर पर डिस्ट्रीक्ट सोसायटी फॉर कम्प्यूटराईजेशन ऑफिसेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किया गया था। इन संस्थाओं के सभी सदस्य सरकारी कर्मचारी थे, वहीं जिला अवर निबंधक, *डाईस्कोर* के सचिव के रूप में एवं महानिरीक्षक, निबंधन, *बाईस्कोर* के सचिव के रूप में कार्य करते थे। ये सभी संस्थायें सोसायटी निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत निबंधित थीं।

¹ औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, सीतामढ़ी और सिवान।

निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 69 निबंधन महानिरीक्षक को निबंधन कार्यालय के निरीक्षण एवं निम्नलिखित पर नियम बनाने की शक्ति विहित करता है: (अ) पुस्तकों, कागजों और दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबन्ध (अअ) उस रीति का और उन रक्षोपायों का जिनके अधीन रहते हुए पुस्तकें कम्प्यूटर फ्लॉपियों या डिस्कटों या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी जा सकेंगी के लिए उपबन्ध, (ब) यह घोषणा करने के लिए कि प्रत्येक जिले में किन भाषाओं को साधारणतः प्रयुक्त किया जाएगा, के लिए उपबन्ध।

इस प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए बिहार सरकार (राज्य मंत्रिमंडल) के अनुमोदन के उपरांत निबंधन महानिरीक्षक ने बिहार निबंधन नियमावली, 2008 को बनाया जिसमें निबंधित दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के आधार पर सेवा प्रभार उद्ग्रहण करने का प्रावधान बनाया। हालाँकि, उपरोक्त अधिनियम की धारा 69 ने निबंधन महानिरीक्षक को किसी भी सेवा प्रभार के आरोपण एवं इस राशि को डाइस्कोर के बैंक खाते में रखने के लिए कोई भी प्रावधान बनाने के लिए अधिकृत नहीं किया था। इस प्रकार, सेवा प्रभार लगाने का प्रावधान अधिनियम की धारा 69 के विधायी इरादे से परे था और इसलिए अवैध है।

महानिरीक्षक, निबंधन के अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि डाईस्कोर² ने 2018-19 की अवधि के दौरान सेवा प्रभार के रूप में ₹ 31.73 करोड़ संग्रह किया और संबंधित डाईस्कोर के बैंक खाते में रखा। संग्रहित सेवा प्रभार को राज्य के समेकित निधि में जमा नहीं करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) का उल्लंघन है जो यह प्रावधित करता है कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित समस्त राजस्व राज्य के समेकित निधि में जमा होंगे।

इस प्रकार, बिहार सरकार ने अवैध रूप से बिहार निबंधन नियमावली में सेवा प्रभार के संग्रहण का प्रावधान किया और सोसायटी (बाईस्कोर एवं डाईस्कोर) को वित्त प्रदान करने हेतु अपना मुख्य कार्य करने के लिए सेवा प्रभार के संग्रह की अनुमति दिया, जिसके परिणामस्वरूप न केवल राज्य के वित्तीय मामले में विधायी निरीक्षण को दरकिनार किया, बल्कि हितधारकों पर अनुचित बोझ डाल दिया गया।

इन मामलों को पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 में भी इंगित किया गया था। हालाँकि, विभाग ने इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की तथा उसी प्रकार की अनियमिततायें लेखापरीक्षा की तिथि तक जारी थीं (सितम्बर 2020)।

जवाब में, विभाग ने बताया (फरवरी 2020) कि बिहार निबंधन नियमावली, 2008 जो सेवा प्रभार के आरोपण को प्रावधित करता है, विधि विभाग और वित्त विभाग की सहमति और राज्य मंत्रिमंडल के अनुमोदन सहित सभी उचित प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया था।

विभाग का जवाब गलत था क्योंकि अधिसूचना निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 69 (1) (अ) और (अअ) के तहत जारी किया गया था, जिसने राज्य सरकार को कोई सेवा प्रभार लगाने के लिए अधिकृत नहीं किया था और विभाग ने भी बिहार निबंधन नियमावली, 2008 पर अनुमोदन के समय इस तथ्य को राज्य मंत्रिमंडल के संज्ञान में नहीं लाया था।

² सभी 38 जिलों में।

5.4 संपत्ति के अवमूल्यन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली

दो निबंधन प्राधिकारियों मई 2018 से जून 2019 तक निष्पादित दो दस्तावेजों में संपत्ति के अवमूल्यन का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 90.25 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ ।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुसार दस्तावेजों में संपत्ति का प्रतिफल/बाजार मूल्य तथा शुल्क के आरोपण को प्रभावित करने वाले सभी अन्य तथ्यों एवं परिस्थितियों को सत्यतः एवं पूर्णतः प्रकट करना है। संपत्ति/स्वामित्व के वर्गीकरण के संदर्भ में बिहार म्यूनिसिपल प्रोपर्टी टैक्स नियमावली, 2013 के अनुसार, जहाँ भी संपत्ति एक से अधिक सड़क पर अवस्थित हो, वहाँ प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क से प्रबल होगा अर्थात् संपत्ति उच्चतर श्रेणी का माना जाएगा।

मई 2018 और जून 2019 की अवधि में निबंधित दस्तावेजों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा (सितम्बर और दिसम्बर 2019 के बीच) ने पाया कि :


- जिला अवर निबंधक, पटना के अन्तर्गत एक बिक्री दस्तावेज के मामले में, जिला अवर निबंधक विभिन्न सड़कों के अधीन भूखंडों के विभाजन के वर्गीकरण का पता नहीं लगा पाये। इसके कारण जमीन का गलत वर्गीकरण हुआ क्योंकि जमीन के बड़े भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रधान सड़क से जुड़ा हुआ नहीं बताते हुए निबंधन किया गया एवं उसके बाद इससे जुड़े छोटे भूखंड जो बड़े भूखंड से जुड़ा हुआ था, को राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रधान सड़क पर अवस्थित दिखाते हुए निबंधित किया गया। दोनों भूखंडों को एक धारक द्वारा विक्रय किया गया था और वही दस्तावेज के माध्यम से एक धारक द्वारा क्रय किया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने जबाब में बताया कि लेखापरीक्षा ने कुल भूमि (माप 98 डिसमील), जो विभिन्न खेसरा में अवस्थित थे, को प्रधान सड़क पर अवस्थित माना, हॉलांकि खेसरा संख्या 16 मुख्य सड़क पर जबकि खेसरा संख्या 17 प्रधान सड़क पर अवस्थित था। विभाग ने आगे बताया कि लेखापरीक्षा ने त्रुटिपूर्ण ढंग से संपत्ति का मूल्य ₹ 7.95 करोड़ को दोगुना करते हुए इसे ₹ 15.89 करोड़ बताया ।

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दोनों भूखंडों को एक ही दस्तावेज द्वारा विक्रय किया गया था जिसमें क्रेता और विक्रेता भी एक ही थे तथा संपत्ति के वर्गीकरण प्रावधान के अनुसार भूखंड यदि एक से अधिक सड़क से जुड़ा हो तो उसका वर्गीकरण एकल भूखंड के रूप में उच्चतर श्रेणी, अर्थात् प्रधान सड़क माना जाना चाहिए था एवं तदनुसार मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस देय था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 44 लाख की मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली की गयी।

- जिला अवर निबंधक, औरंगाबाद के द्वारा निबंधित बिक्री दस्तावेज के दूसरे मामले में जिला अवर निबंधक ने एक ही क्रेता एवं एक ही विक्रेता के द्वारा निष्पादित तीन दस्तावेजों को तीन विभिन्न भूखंडों में किये गये वर्गीकरण को माना। जिसके परिणामस्वरूप 10 डिसमील के प्रत्येक दो भूखंडों को आवासीय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया जबकि दोनों आवासीय भूखंडों से जुड़े 161 डिसमील के भूखंड को कृषि की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। इस प्रकार, इन तीनों भूखंडों को आवासीय श्रेणी का एक भूखंड माना जाना चाहिए

था, क्योंकि सभी भूखंडों के लिए क्रेता एवं विक्रेता एक ही थे तथा तदनुसार, मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की गणना आवासीय श्रेणी के लिए लागू न्यूनतम मूल्यांकन पंजी के आधार पर ₹ 12.51 करोड़ (दो आवासीय तथा एक कृषि श्रेणी) के बदले ₹ 17.26 करोड़ पर किया जाना चाहिए था, फलस्वरूप संपत्ति के मूल्यांकन में ₹ 4.75 करोड़ का अवमूल्यन हुआ। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 46.25 लाख मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली की गयी।



इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया कि खेसरा संख्या 666 (बिक्री दस्तावेज संख्या 7199 एवं 7200 में उल्लिखित), बिक्री दस्तावेज संख्या 7198 में सम्मिलित नहीं था। प्रत्येक दस्तावेज में एक प्रकृति की भूमि सन्निहित है तथा कोई भी खेसरा दो भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि सभी भूखंड आपस में एक-दूसरे से सटे थे। इन परिस्थितियों में अलग-अलग खेसरा संख्या से संलग्न भूखंडों को पृथक न मानकर एक ईकाई के रूप में माना जाना चाहिए था क्योंकि भूखंड के क्रेता एवं विक्रेता एक ही थे एवं संदर्भित मामले की भूमि एक ही सीमांकन के अन्तर्गत अवस्थित था। अतः, समस्त भूमि एक ही श्रेणी अर्थात् आवासीय श्रेणी में वर्गीकृत होनी चाहिए थी।

उपरोक्त अनियमितताओं के कारण संपत्ति का अवमूल्यन हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 90.25 लाख मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली हुई जैसा कि **परिशिष्ट-13** में वर्णित है।

अध्याय 6
खनन प्राप्तियाँ

अध्याय 6: खनन प्राप्तियाँ

6.1 कर प्रशासन

बिहार में खनिजों का खनन, समय-समय पर यथा संशोधित, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 एवं खनिज रियायत नियमावली, 1960, द्वारा शासित होता है।

खान एवं खनिजों का विनियमन एवं विकास का प्रशासन खनन एवं भूतत्व विभाग जिसके प्रधान सरकार के स्तर पर खान आयुक्त-सह-प्रधान सचिव होते हैं, द्वारा किया जाता है। विभाग के प्रधान, खान निदेशक होते हैं और जिनकी सहायता एक खान अपर निदेशक और तीन खान उप-निदेशक द्वारा मुख्यालय के स्तर पर किया जाता है।

प्रमंडलीय कार्यालयों में नौ खान उप निदेशक हैं। जिला स्तर पर 14 जिला खनन कार्यालयों के प्रधान सहायक खान निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी हैं जबकि शेष 24 जिला खनन कार्यालयों के प्रभारी खनन निरीक्षक हैं जो रॉयल्टी तथा अन्य खनन बकायों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण हेतु उत्तरदायी होते हैं। जिला समाहर्ता, जिले में खनन प्रशासन के प्रधान होते हैं।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा ने 2018-19 के दौरान खनन एवं भूतत्व विभाग के 37 इकाइयों में से 15¹ के अभिलेखों का नमूना जाँच किया। इसके अतिरिक्त, छह इकाइयों² में कार्य संवेदकों से स्वामित्व एवं दंड संग्रह का लेखापरीक्षा सितम्बर 2019 से जनवरी 2020 के बीच एवं छह अन्य इकाइयों³ में ईट भट्टों के परिचालन का समीक्षा जाँच सितम्बर एवं दिसम्बर 2019 के बीच किया गया। लेखापरीक्षा ने 57 मामलों में ₹ 1,080.38 करोड़ के अनियमितताओं का पता लगाया जो तालिका-6.1 में वर्णित है:

तालिका-6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम			
क्र. सं.	श्रेणिया	(₹ करोड़ में)	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	कार्य संवेदको से रॉयल्टी संग्रह का लेखापरीक्षा	1	131.48
2.	पट्टों के निष्पादन नही होने/अनियमित निष्पादन के कारण निलामी राशि का नही/कम आरोपण होना	6	375.73
3.	पत्थर खदानों के बंदोबस्ती नहीं होने के कारण सरकारी राजस्व की वसूली नहीं होना	1	292.94
4.	पत्थर खदानों के स्वीकृत पट्टा का निष्पादन नहीं होने के कारण सरकारी राजस्व की वसूली नहीं होना	1	117.76
5.	बालू बंदोबस्तधारी से बंदोबस्त राशि की वसूली नहीं होना और निरंतर उल्लघन के लिए दंड का आरोपण नहीं होने के कारण सरकारी राजस्व का हानि	6	110.56
6.	कार्य संवेदकों द्वारा खनिजों के अवैध क्रय के लिए अर्थदंड आरोपण संबंधी नियमों का पालन नहीं किया जाना	1	14.16
7.	पत्थर खदानों के बंदोबस्त पट्टा का निष्पादन नही होने के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना	1	25.68
8.	अन्य	40	12.07
कुल		57	1,080.38

¹ जिला खनन कार्यालयों:- औरंगाबाद, भोजपुर, गया, गोपालगंज, जमुई, लखीसराय, पटना, पूर्णिया, सहरसा, सारण, सासाराम, सिवान, सुपौल, एवं वैशाली; खान निदेशक- पटना।

² बेतिया, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा एवं सारण।

³ भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, मधेपुरा, मधुबनी, पटना एवं पूर्णिया।

विभाग ने अप्रैल 2018 एवं अप्रैल 2020 के बीच ₹ 716.82 करोड़ की राशि के कम आरोपण, कम संग्रहण तथा अन्य त्रुटियों से संबंधित 469 मामलों को स्वीकार किया। इन 469 मामलों में से, 26 मामले जिसमें ₹ 356.34 करोड़ सन्निहित थी, को 2018-19 के दौरान जबकि शेष मामलों को पूर्व के वर्षों में उजागर किया गया। विभाग द्वारा पांच मामलों में ₹ 12.04 लाख की वसूली प्रतिवेदित की गई। 2018-19 के पूर्व के वर्षों एवं शेष मामलों में जवाब अप्राप्त (मई 2020)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.3 कार्य संवेदकों द्वारा खनिज की अनियमित अधिप्राप्ति के लिए अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

खनन पदाधिकारी प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' के बिना प्रस्तुत कार्य संवेदकों के विपत्रों का भुगतान नहीं किए जाने को सुनिश्चित करने में विफल रहे एवं वे अप्राधिकृत स्रोतों से खनिज अधिप्राप्ति के लिए ₹ 46.42 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण करने में भी विफल रहे।

बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972 के साथ पठित खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और विभाग के निर्देश (जनवरी 2016) के अनुसार कार्य संवेदकों को प्राधिकृत पट्टेधारियों/व्यापारियों/परमिटधारकों से खनिज प्राप्त करना है एवं उल्लंघन की स्थिति में खनिज की कीमत के बराबर न्यूनतम अर्थदण्ड वसूलनीय है। प्राधिकृत स्रोतों से उपयोगित खनिज की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में, बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली प्रपत्र 'एम' एवं प्रपत्र 'एन'⁴ को कार्य संवेदकों द्वारा विपत्र प्रस्तुत करते समय समर्पित करने को प्रावधित करता है। इसके अतिरिक्त, खनन विभाग ने कार्य विभाग को निर्देश जारी किया (जनवरी 2017) कि प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' जमा नहीं करने की स्थिति में कार्य संवेदकों का भुगतान रोक दिया जाए।

उक्त विपत्र प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' के चालान की छायाप्रति संबंधित खनन पदाधिकारी को प्रेषित करे। यदि संबंधित खनन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र/शपथ पत्र के विवरणों के सत्यापन से पता चलता है कि खनिज किसी अधिकृत पट्टेधारी से नहीं खरीदी गई है तो यह माना जाएगा कि संबंधित खनिज अवैध खनन द्वारा प्राप्त किया गया है एवं ऐसे मामलों में खनन पदाधिकारी निहित नियमों के तहत शपथ कर्त्ता के विरुद्ध कार्रवाई करेगा।

लेखापरीक्षा ने छः नमूना जाँचित जिला खनन कार्यालयों⁵ में पाया (सितम्बर 2019 और जनवरी 2020 के बीच) कि 2016-17 से 2018-19 के दौरान ₹ 46.42 करोड़ की रॉयल्टी कार्य संवेदकों, जिसने अपेक्षित प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्रस्तुत नहीं किया था, के विपत्र से 23 कार्य प्रमण्डलों द्वारा कटौती किया गया, एवं सरकारी लेखा में जमा करवाया गया (परिशिष्ट-14)। हालाँकि, इन कार्य प्रमण्डलों ने न तो कार्य संवेदकों के विपत्रों का भुगतान रोका न ही रॉयल्टी के समतुल्य अर्थदण्ड के रूप में ₹ 46.42 करोड़ की कटौती कार्य संवेदकों को भुगतान करते समय सुनिश्चित किया। कार्य प्रमण्डलों ने इसके जवाब में कहा कि बिना अर्थदण्ड के केवल रॉयल्टी की कटौती की गई है। खनन कार्यालयों द्वारा कहा गया कि अर्थदण्ड की वसूली हेतु संबंधित कार्य प्रमण्डलों से पत्राचार किया जाएगा।

⁴ जिसमें, खनिज का विवरण एवं विक्रेताओं जिससे खनिज खरीदे गये थे का नाम एवं पता रहता है।

⁵ बेतिया (पश्चिमी चम्पारण), गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा एवं सारण।

विभाग द्वारा कहा गया (जून 2020) कि यदि संवेदक द्वारा रॉयल्टी का भुगतान स्वेच्छा से किया जाता है तो पूर्वोक्त नियमावली के नियम 40(10) के अनुसार संबंधित खनन पदाधिकारी अर्थदण्ड नहीं लगा सकते हैं। विभाग का उत्तर गलत था क्योंकि पूर्वोक्त नियमावली के नियम 40 (10) तभी लागू होगा जब कार्य संवेदक प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं जबकि इन मामलों में कार्य संवेदकों द्वारा इस प्रकार का प्रपत्र समर्पित नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, कार्य प्रमंडलों को खनन विभाग (अधिसूचना 2016) द्वारा निर्धारित त्रैमासिक प्रतिवेदन में वैसी परियोजना जिसमें संवेदक द्वारा प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' समर्पित नहीं किया गया अथवा प्रमंडल द्वारा सत्यापन नहीं कराया गया, से संबंधित परियोजनावार उपयोग किये जाने वाले लघु खनिजों की अनुमानित मात्रा, उपयोग में लाए गये लघु खनिज के मात्रा एवं प्रकार, रायल्टी एवं अर्थदण्ड की वसूली इत्यादि का ब्यौरा जिला खनन कार्यालय को समर्पित करना था। हालाँकि, कार्य प्रमंडलों द्वारा इस तरह का कोई त्रैमासिक रिटर्न खनन कार्यालयों (विभागीय उत्तर जून 2020) को समर्पित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, खनन विभाग द्वारा इस निर्देश के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप, कार्य प्रमंडलों एवं खनन विभाग में नियंत्रण की कमी हो गई साथ ही अवैध खनन गतिविधियाँ एवं पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभावों के जोखिम भी बढ़ गए।

6.4 ईट भट्टों के मालिकों से रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड का वसूली नहीं/कम किया जाना

ईट मौसम⁶ 2017-18 और 2018-19 के दौरान, 260 ईट भट्टों का परिचालन बिना वैध परमिट के किया गया परिणामस्वरूप आरोप्य रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड सहित ₹ 3.85 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 26(क) के साथ पठित खनन विभाग की अधिसूचना (जनवरी 2012) के अनुसार प्रत्येक ईट भट्टा मालिक को परमिट हासिल करना तथा निर्धारित दर (ग्रामिण क्षेत्र में अवस्थित श्रेणी-III के लिए ₹ 72500) पर समेकित रॉयल्टी की राशि दो बराबर किस्तों में जमा करना है। यदि ईट भट्टों के मालिक समेकित रॉयल्टी का भुगतान विहित तरीके से करने में विफल रहते हैं तो उन्हें व्यवसाय जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त नियमावली के नियम-4 प्रावधित करता है कि उत्खनन परमिट के नियमों और शर्तों के अलावे कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में उत्खनन नहीं करेगा।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40(8) के साथ पठित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) प्रावधित करता है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी भूमि से कोई खनिज किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उत्खनन करेगा, तब राज्य सरकार इस प्रकार निकाले गए खनिज को अथवा जहाँ ऐसे खनिज का पहले से ही खपत कर दिया गया है, वहाँ उसकी कीमत को ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकती है और साथ ही उस व्यक्ति से किराया, रॉयल्टी या कर, जैसा भी मामला हो, भी वसूल कर सकती है। लोक लेखा समिति, बिहार द्वारा संदर्भित किये जाने पर महाधिवक्ता द्वारा उपरोक्त व्याख्या (अगस्त 2015) को बरकरार रखा गया था।

इसके अलावा, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2016 के अनुसूची और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक संख्या एल-11011/47/2011-1 ए II (एम), दिनांक 24.06.2013 के अनुसार ईट मिट्टी की खुदाई के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है। वायु (रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत प्रत्येक ईट भट्टेदार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापित करने के लिए सहमति एवं प्रचालन के लिए

⁶ ईट मौसम वर्ष के अक्टूबर से जून तक होता है।

सहमति प्राप्त करना होता है। जिला खनन कार्यालय मोतिहारी में ईट भट्टा के संचिकाओं और माँग, संग्रह और बकाया पंजी की लेखापरीक्षा जाँच (अक्टूबर 2019) के दौरान देखा गया कि ईट मौसम 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः 230 एवं 341 ईट भट्टों का परिचालन किया गया था। इसमें से 228 और 340 ईट भट्टे को वैध परमिट के बिना संचालित किया गया था क्योंकि वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान क्रमशः केवल दो और एक परमिट जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 95 एवं 165 ईट भट्टों को क्रमशः वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान रॉयल्टी की राशि के भुगतान के बिना ही परिचालित किया गया था। हालाँकि खनन पदाधिकारी जो परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी थे, को बिना वैध परमिट और रॉयल्टी भुगतान के ईट भट्टा के संचालन की जानकारी थी जैसा निरीक्षण प्रतिवेदन से स्पष्ट था, फिर भी खनन पदाधिकारी ने रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड की वसूली हेतु न ही कोई माँग पत्र जारी किया और न ही ईट भट्टों को बंद कराने हेतु कोई कार्रवाई की। खनन पदाधिकारी के निष्क्रियता के कारण अवैध रूप से संचालित 260 ईट भट्टों से रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड के रूप में ₹ 3.85 करोड़⁷ की वसूली नहीं की जा सकी। इसके अलावा, ईट भट्टों का अवैध संचालन निश्चित रूप से पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव के जोखिम को बढ़ाता है।

लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब में, विभाग (जून 2020) ने कहा कि ₹ 2.74 करोड़ की बकाया राशि के वसूली हेतु नीलामवाद पत्र दायर किया गया था एवं ₹ 2.46 लाख की वसूली प्रतिवेदित किया। हालाँकि, विभाग ने बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, के नियम 26(क) के तहत ईट भट्टों के संचालन को रोकने के संदर्भ में कोई जवाब नहीं दिया।

6.5 पत्थर खदान और बालूघाट के पट्टेदारों से ब्याज की वसूली नहीं किया जाना

रायल्टी (बन्दोबस्त राशि), के विलम्बित/नही भुगतान पर खनन पदाधिकारी द्वारा ब्याज का आरोपण करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 41.85 लाख की वसूली नहीं की जा सकी।

बिहार लघु समानुदान नियमावली, 1972, के नियम 9(क) यह प्रावधित करता है कि किसी भी खनिज की सार्वजनिक निलामी/निविदा नियम 52 के तहत निर्धारित तरीके से पट्टे या बंदोबस्ती पर दिया जा सकता है। पूर्वोक्त नियमावली के नियम 52(1), (4) एवं (5) के अनुसार बन्दोबस्त राशि को वार्षिक आधार पर समान किस्तों में जमा की जाएगी और प्रत्येक किस्त 31 जनवरी के पहले जमा की जाएगी। बालू घाट के निलामी के मामलों में, प्रत्येक वर्ष के बकाये किस्तों का भुगतान तीन किस्तों⁸ में, किया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि से पहले कोई किस्त जमा नहीं की जाती है तो 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से साधारण ब्याज दो महीने तक वसूला जाएगा और उसके बाद पट्टा रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बिहार लघु समानुदान नियमावली, 1972, के नियम 21 के तहत निर्धारित लघु खनिज के लिए खनन पट्टे के मॉडल फार्म का खण्ड 4 के अनुसार कोई भी राशि राज्य सरकार को देय रहने पर पट्टेदार 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने दो जिला खनन कार्यालयों⁹ के पत्थर खदानों एवं बालू घाटों के पट्टों से संबंधित

7

(₹ लाख में)

वर्ष	रॉयल्टी			शास्ति			कुल बकाया रॉयल्टी और शास्ति
	वसूलनीय	वसूली की गई	कम	वसूलनीय	वसूली की गई	कम	
2017-18	75.25	2.20	73.05	68.88	0	68.88	141.92
2018-19	124.42	0.80	123.62	119.63	0	119.63	243.24
कुल	199.67	3	196.67	188.51	0	188.51	385.16


⁸ पहला किस्त पूर्व वर्ष के 15 दिसम्बर से पहले, दूसरा किस्त 15 अप्रैल से पहले तथा तीसरा किस्त 15 सितम्बर से पहले।

⁹ गया, नवादा।

संचिकाओं के जाँच में पाया (नवम्बर 2019) कि पत्थर खदान का एक पट्टा अगस्त 2015 में निष्पादित किया गया और बालू घाट का एक और पट्टा पाँच वर्षों (2015-19) के लिए निष्पादित किया गया। पत्थर खदान के पट्टेधारक को क्रमशः 31 जनवरी 2017 एवं 31 जनवरी 2018 के पहले प्रत्येक वर्ष के किस्त के रूप में ₹ 7.40 करोड़ का भुगतान करना था। हालाँकि, पट्टेदार द्वारा छः से 37 दिनों तक के विलम्ब से किस्त की राशि का भुगतान किया गया। इसी तरह, बालूघाट के पट्टेदार द्वारा दो से 90 दिनों तक के विलम्ब से किस्त राशि का भुगतान किया गया। यद्यपि संबंधित खनन पदाधिकारी को रॉयल्टी के विलम्ब से भुगतान करने संबंधी तथ्यों की जानकारी थी फिर भी उन्होंने विलम्बित भुगतान के लिए कुल ₹ 41.85 लाख की ब्याज की राशि का आरोपण नहीं किया जिसकी विवरणी **परिशिष्ट-15** में दी गई है।


लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब में विभाग ने कहा (जून 2020) कि जिला खनन कार्यालय, नवादा के मामले में बालू घाट के पट्टेदार को ₹ 24.43 लाख का माँग पत्र निर्गत (फरवरी 2020) किया गया था। विभाग ने आगे कहा कि जिला खनन कार्यालय, गया के मामले में पट्टेदार की सुरक्षित जमा राशि को जब्त कर लिया गया था, हालाँकि विभाग ने देय ब्याज की वसूली के बारे में कोई जवाब नहीं दिया।

पटना
दिनांक 20 जून 2021


(रामावतार शर्मा)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 23 जून 2021


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1
(संदर्भ: कंडिका 2.3.2)
क्रय आवर्त का छिपाव

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम / टीन	वर्ष	सामग्री / दर (प्रतिशत में)	वास्तविक क्रय	लेखांकित क्रय	मूल्य का छिपाव	कर	अर्थदण्ड ब्याज	कुल	जहाँ पायी गई अन्तर
1	पाटलिपुत्र	मेसर्स टेफे मोटर्स एण्ड ट्रेक्टर्स लिमिटेड / 10050327044	2016-17	ट्रेक्टर्स, थ्रेसर्स, हार्वेस्टर्स एवं स्पेयर पार्ट्स 5	1761764626	1728567260	33197366	2006781	6020343 903051	8930175	आर.टी.-III एवं सुविधा
		मेसर्स सोनी इण्डिया (प्रा0) लिमिटेड / 10050067084	2016-17	आई0टी0 प्रोडक्ट्स 14.5 एवं 5	1734083060	1718087652	15995408	2218563	6655689 1014993	9889245	आर.टी.-III एवं सुविधा
		कुल			3495847686	3446654912	49192774	4225344	12676032 1918044	18819420	

(राशि ₹ में)

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र)

परिशिष्ट-2
(संदर्भ: कंडिका 2.4)

कटौतियों की गलत लाभ/दावा के कारण कर का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	अमान्य कटौती का मद	दर (प्रतिशत में)	ऐसी कटौती की राशि	अनुमान्य कटौती	स्वीकृत अधिक कटौती जिसपर कर आरोप्य है	दावा/स्वीकृत अधिक कटौती पर कर	ब्याज	कुल
1	पाटलिपुत्र	मेसर्स सोनी इण्डिया (प्रा0) लिमिटेड / 10050067084	2016-17	अनुसूची-I वस्तुएँ	5,14.5 एवं 15	34674075	22990381	11683694	1620528	741391	2361919
		मेसर्स पानासोनिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड / 10051222031	2016-17	अनुसूची-I वस्तुएँ	5.6,14.5 एवं 15	30297340	24232909	6064431	680429	316399	996828
		मेसर्स फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड / 10050266031	2016-17	अनुसूची-I वस्तुएँ	6,14.5 एवं 15	31858718	24602561	7256157	1035453	481486	1516939
2	पटना विशेष	मेसर्स प्रॉक्टर एण्ड गैम्बल होम प्रोडक्ट लिमिटेड / 10010196010	2016-17	अनुसूची-I वस्तुएँ	15	62716123	17716123	45000000	6750000	2683125	9433125
		मेसर्स वीआईपी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड / 10010073014	2016-17	अनुसूची-I वस्तुएँ	14.5 एवं 15	33539347	30188749	3350598	495004	196764	691768
		मेसर्स इण्टास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड / 10010194070	2016-17	अनुसूची-I वस्तुएँ	5 एवं 6	12040288	0	12040288	678350	279819	958169
कुल											15958748
											4698984
											11259764
											85395168
											119730723
											205125891
											11259764
											4698984
											15958748

परिशिष्ट-3
(संदर्भ: कंडिका 2.5 प्रथम बुलेट)
स्वीकृत कर एवं ब्याज का भुगतान नहीं/कम किया जाना

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	अवधि	देय कर	कर का भुगतान	कम भुगतान	ब्याज	कुल
1	पाटलिपुत्र	मेसर्स गिन्नी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड / 10050098027	2016-17	64821721	58047649	6774072	3149943	9924015
2	पटना विशेष	मेसर्स वीएसटी इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड / 10010573049	2016-17	486134529	472740350	13394179	5525099	18919278
कुल								28843293

परिशिष्ट-4
(संदर्भ: कंडिका-2.5 द्वितीय बुलेट)
स्वीकृत कर एवं ब्याज का भुगतान नहीं/कम किया जाना

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	देय कर	कर राशि का विलम्ब से भुगतान	विलम्ब दिनों में	आरोप्य ब्याज
1	पटना विशेष	मेसर्स साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 / 10011238081	2016-17	220815656	26267345	6 से 356 दिन	1028962
		मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 / 10010121029	2016-17	12914232367	5234726966	15 से 714 दिन	42815395
कुल				13135048023	5260994311		43844357

परिशिष्ट-5
(संदर्भ: कंडिका 2.6)
प्रवेश कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	देय कर	कर राशि का विलम्ब से भुगतान	विलम्ब दिनों में	देय ब्याज	ब्याज का भुगतान	आरोप्य ब्याज	
1	पाटलिपुत्र	मेसर्स गिन्नी मोटर्स प्रा0 लि0 / 10050098027	2016-17	19197225	27474291	2 से 251 दिन	660826	149837	510989	
2	पटना विशेष	मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 / 10010121029	2016-17	4163267920	2449921055	13 से 16 दिन	18225654	0	18225654	
		मेसर्स अहलुवालिया कॉन्ट्रेक्ट (इण्डिया) लिमिटेड / 10011073014	2016-17	25318921	16059086	7 से 156 दिन	400759	0	400759	
कुल									19137402	
								19287239	149837	19137402

परिशिष्ट-6

(संदर्भ: कंडिका 3.3.2)

राज्य की समेकित निधि में स्थापना प्रभार का प्रेषण नहीं किया जाना

क्रम सं.	जिला	परियोजना का नाम	मौजा की संख्या	प्राक्कलन अनुमोदन की अवधि	कुल प्राक्कलित राशि	क्षतिपूर्ति राशि	कुल प्राप्त निधि	स्थापना प्रभार की वसूलनीय राशि	कुल प्राप्त निधि का आनुपातिक स्थापना प्रभार	जमा किया गया स्थापना प्रभार	स्थापना प्रभार की शेष राशि	शेष राशि	पीडी/बैंक में रखा हुआ शेष राशि
1	गया	राष्ट्रीय राजमार्ग-2	53	अप्रैल 2015 से मई 2015	2005674193	1664885351	1613955565	333397476	268283210.5	115612640	152670570.5	972307902	इंडसइंड बैंक
2		मुचलीन्द सरोवर विस्तार योजना	1	अगस्त 16	116647226	97038731	116647226	19407746	19407746	0	19407746	104705345	पीडी खाता
3		राष्ट्रीय राजमार्ग-83 (पटना-गाया-डोभी)	51	जनवरी 2016 से मई 2017	4641304548	3856067077	6320603696	771213416	771213416	265524367	505689049	4222031277	इंडसइंड बैंक
4		बन्धुआ से पैमर उपरी पुल	13	जनवरी 2018 से अक्टूबर 2018	480870436	463215731	518626607	15346120	15346120	0	15346120	465577363	पीडी खाता
5		सीमा सुरक्षा बल आवास निर्माण	2	2017	262789548	217913905	262789548	43582781	43582781	659738	42923043	64136355	पीडी खाता
6	खगड़िया	रूपौली नौरंगा परिवार पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना	1	अक्टूबर 2014	45575045	37818440	45575045	7563688	7563688	0	7563688	7756605	पीडी खाता
7		नया गाँव के प्रभावित परिवारों की पुर्नस्थापना	1	सितम्बर 2017	26958535	22363153	26095010	4472631	4329365.474	0	4329365.474	6943846	पीडी खाता
8		समाहर्ता आवास	2	अक्टूबर 2017 से नवम्बर 2017	165699271	137466714	137458895	27493343	22807611.2	0	22807611.2	75493563	पीडी खाता

9	सहरसा	हथी कोठी से बिरौल पथ	2	अक्टूबर 2018	56770061	55355385.57	83219260	1107108	1107108	0	1107108	33823265	पीडी खाता
10		33/11 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र	2	जुलाई 2013 से नवम्बर 2013	5567309	4620000	5567272	924016	924009.859	0	924009.859	2867272	पीडी खाता
11		132/33 के.बी. शक्ति उपकेन्द्र	1	अप्रैल 2018	25374371	21056003.84	35992011	4211200	4211200	0	4211200	22676508	पीडी खाता
12		33/11 के.बी. शक्ति उपकेन्द्र	1	जुलाई 2013	2044391	1696440	2055072	339318	339318	0	339318	383952	पीडी खाता
13		मत्स्यगंधा जलाशय योजना	4	दिसम्बर 2009 से जून 2013	11857833	9753146	15634226	2053544	2053544	950199	1103345	6718707	पीडी खाता
14		सिमरी बख्तीयारपुर एस.डी. ओ. भवन निर्माण	1	अक्टूबर 2013	24800726	20578890	17828531	4116303	2959092.231	0	2959092.231	305624	पीडी खाता
15		राष्ट्रीय राजमार्ग-107	10	दिसम्बर 2018	513501071	500866655	562851707	10017688	10017688	0	10017688	413884596	इंडसट्रि बैंक
16		बलुआहा घाट एवं गन्डौल के बीच कोशी नदी पर पहुँच पथ	6	अगस्त 2013 से मई 2015	258302067	214444169	283664406	42911406	42911406	0	42911406	118569201	पीडी खाता
17	सारण	गन्डक नदी पर आर.सी. सी. पुल सह पहुँच पथ का निर्माण	7	फरवरी 2019 से जुलाई 2019	132658245	129338021	200000000	2586761	2586761	0	2586761	194100000	पीडी खाता
18		दिघा-सोनपुर रेल सह पहुँच पथ	4	जून 2018 से नवम्बर 2018	686200386	646454629	624600000	36078671	32839879.38	0	32839879.38	285200000	एक्सीस बैंक
19		छपरा मुजफ्फरपुर नई बड़ी रेल लाईन	10	मार्च 2018 से सितम्बर 2019	1588983334	1540258458	2057359306	40611923	40611923	0	40611923	1806100000	विभिन्न बैंक
		कुल			11051578596	9641190899	12930523383	1367435139	1293095868	382746944	910348924	8934313618	

परिशिष्ट-7
(संदर्भ: कडिका 3.3.3 प्रथम बुलेट)
प्राककलन में अतिरिक्त मुआवजा का त्रुटिपूर्ण गणना

क्रम संख्या	जिला का नाम	परियोजना का नाम	मौजा का नाम	अवधि जिस बीच प्राककलन स्वीकृत हुआ	अधिसूचना की तिथि	दखल की तिथि	अवधि जिसके दौरान सामाजिक प्रभाव विश्लेषण प्रकाशित किया गया	भूमि का बाजार मूल्य जिस पर अतिरिक्त मुआवजा राशि की गणना किया जाना था जिस मूल्य पर अतिरिक्त मुआवजा की गई	जिस दिन के लिए मुआवजा राशि आरोप्य था जिस अवधि के लिए मुआवजा राशि का आरोपण किया गया	आरोप्य अतिरिक्त मुआवजा की राशि अतिरिक्त मुआवजा राशि का आरोपण	अतिरिक्त मुआवजे का अधिक गणना
1	पटना	बख्तीयारपुर खगडीया राष्ट्रीय राजमार्ग 31	दरियापुर मुरारपुर औटा धर्मपुर करजान चन्दा माधोपुर	नवम्बर 2016 नवम्बर 2016 नवम्बर 2016 नवम्बर 2016 दिसम्बर 2016 नवम्बर 2016 दिसम्बर 2016	06 जुलाई 13 20 मई 13 20 मई 13 20 मई 13 6 जनवरी 13 6 जुलाई 13 6 जनवरी 13	29 जनवरी 16 29 जनवरी 16 29 जनवरी 16 29 जनवरी 16 8 अगस्त 15 29 जनवरी 16 13 अगस्त 15	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं	22947018 22947018 13841469 13841469 31893200 31893200 1613642 1613642 39091220 39091220 7196540 7196540 34345376 34345376	973 1065 984 1065 984 1065 984 1065 944 1096 937 1065 949 1096	7068939 8033751 4477810 4845898 10317669 11165809 522024 564936 12132202 14084567 2216929 2519509 10715757 12374639	964812 368088 848140 42912 1952365 302580 1658882

	बिहारी बिगहा	दिसम्बर 2016	6 जनवरी 13	13 अगस्त 15	लागू नहीं	22423133	949	6996017	1083037
	सरधान	नवम्बर 2016	6 जनवरी 13	5 अगस्त 15	लागू नहीं	22423133	1096	8079055	
	शैस्तापुर	नवम्बर 2016	6 जनवरी 13	8 अगस्त 15	लागू नहीं	40444268	941	12512237	1647301
	रानी सराय	दिसम्बर 2016	6 जनवरी 13	8 अगस्त 15	लागू नहीं	40444268	1065	14159538	
	मिरदाहाचक	दिसम्बर 2016	6 जनवरी 13	8 अगस्त 15	लागू नहीं	4043713	944	1254991	160713
	मोहमदपुर	दिसम्बर 2016	6 जनवरी 13	13 अगस्त 15	लागू नहीं	4043713	1065	1415704	
	चकफतह	दिसम्बर 2016	6 जनवरी 13	13 अगस्त 15	लागू नहीं	2773584	944	860799	138523
	सुरजपुर	दिसम्बर 2016	6 जनवरी 13	5 अगस्त 15	लागू नहीं	2773584	1096	999322	
	पुलेलपुर	दिसम्बर 2016	6 जनवरी 13	8 अगस्त 15	लागू नहीं	12110879	944	3758686	604864
	दाहौर	दिसम्बर 2016	6 जनवरी 13	13 अगस्त 15	लागू नहीं	12110879	1096	4363550	
	जलगाविन्द	दिसम्बर 2016	6 जनवरी 13	5 अगस्त 15	लागू नहीं	5116445	949	1596331	247124
	सेबनार	नवम्बर 2016	6 जनवरी 13	5 अगस्त 15	लागू नहीं	5116445	1096	1843455	
	बहरावा	नवम्बर 2016	6 जनवरी 13	8 अगस्त 15	लागू नहीं	5827107	949	1818057	281450
	इबराहीमपुर	नवम्बर 2016	6 जनवरी 13	5 अगस्त 15	लागू नहीं	5827107	1096	2099507	
	करा	नवम्बर 2016	6 जनवरी 13	5 अगस्त 15	लागू नहीं	22797280	941	7052791	1040243
	मोर	नवम्बर 2016	6 जनवरी 13	5 अगस्त 15	लागू नहीं	22797280	1080	8093034	
	परेव	अक्टूबर 2016	28 नवम्बर 2011	12 अप्रैल 2013	लागू नहीं	18161814	944	5636631	721820
	पटना बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 84 का चार लेन चौड़ीकरण					18161814	1065	6358451	
						26209620	941	8108467	1334859
						26209620	1096	9443326	
						6522824	941	2017965	332208
						6522824	1096	2350173	
						95032776	941	29400277	3870698
						95032776	1065	33270975	
						17753904	944	5510034	705608
						17753904	1065	6215642	
						13746800	941	4252846	559909
						13746800	1065	4812755	
						3084095	941	954126	110504
						3084095	1050	1064630	
						111181265	941	34396133	4528428
						111181265	1065	38924561	
						57656928	805	15259340	4355547
						57656928	1035	19614887	

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र)

2	सारण	गंडक नदी पर आर.सी.सी. पुल सह पहुँच पथ निर्माण	लखनपुर	मार्च 2019				18.08.17 से 28.02.19 तक	788575 1577149	18 माह	141943 283887	141943
			सेमरी	फरवरी 2019				18.08.17 से 28.02.19 तक	2405301 4810602	18 माह	432954 865908	432954
			बैरागीभूई	फरवरी 2019				05.08.17 से 04.02.19 तक	1959605 3919209	12 माह	235153 470305	235153
			पकरीनरोत्तम	जुलाई 2019				18.08.17 से 04.07.19 तक	3207647 6415293	23 माह	737759 1475517	737759
			बेलौर	जुलाई 2019				18.08.17 से 04.05.19 तक	13635044 27270089	21 माह	2863359 5726719	2863359
			बागडिहां	फरवरी 2019				18.08.17 से 28.02.19 तक	378817 757633	18 माह	68187 136374	68187
			बिजौली	फरवरी 2019				05.08.17 से 04.02.19 तक	5239093 10478186	12 माह	628691 1257382	628691
			विषुणपुरा	जुलाई 2019				08.12.15 से 07.01.2019 तक	123996287 154995359	37 माह	45878626 57348283	11469657
		छपरा मुजफ्फरपुर बड़ी रेल लाईन	परसा	सितम्बर 2019				04.11.17 से 04.09.19 तक	16928591 33857182	22 माह	3724290 7448580	3724290
			बरियारपुर	सितम्बर 2019				04.11.17 से 04.09.19 तक	10395513 20791026	22 माह	2287013 4574026	2287013
			हेला	सितम्बर 2019				04.11.17 से 04.09.19 तक	4537634 9075267	22 माह	998279 1996559	998279

						सितम्बर 2019	अराना	सितम्बर 2019				04.11.17 से 04.09.19 तक	3218136 6436271	22 माह	707990 1415980	707990
						सितम्बर 2019	पचलख	सितम्बर 2019				04.11.17 से 04.09.19 तक	2718040 5436080	22 माह	597969 1195938	597969
						जुलाई 2019	बसतपुर	जुलाई 2019				05.08.17 से 04.02.19 तक	41076419 82152839	18 माह	7393755 14787511	7393755
						फरवरी 2019	शिर्षाबली	फरवरी 2019				05.08.17 से 04.02.19 तक	17937357 35874715	18 माह	3228724 6457449	3228724
						नवम्बर 2018	गोविन्दचक	नवम्बर 2018				25.11.16 से 06.11.18 तक	68519198 126760519	24 माह	16444607 30422525	13977917
						जून 2016	कणपुरा	जून 2016				लागू नहीं	20360399 27303601	24 माह	4886496 6552864	1666368
						जून 2016	साधपुर छातर	जून 2016				लागू नहीं	16014924 29948148	24 माह	3843582 7187556	3343974
						जुलाई 2016	बनवर	जुलाई 2016				लागू नहीं	13922600 13967000	24 माह	3341424 3352080	10656
						मई 2016	मकी	मई 2016				लागू नहीं	29019808 29440208	24 माह	6964754 7065650	100896
						जून 2016	रेपुरा	जून 2016				लागू नहीं	19807001 24667186	24 माह	4753680 5920125	1166445
						नवम्बर 2016	हेला	नवम्बर 2016				लागू नहीं	6528020 7829564	24 माह	1566725 1879095	312370
						अप्रैल 2016	तकिया	अप्रैल 2016				लागू नहीं	1456289 2792079	24 माह	349509 670099	320590
						अप्रैल 2016	कटसा	अप्रैल 2016				लागू नहीं	4339116 4969778	24 माह	1041388 1192747	151359
						मई 2016	गरखा	मई 2016				लागू नहीं	32535374 32925221	24 माह	7808490 7902053	93563

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र)

	सरायबक्स	अप्रैल 2016			लागू नहीं	2693276 3208476	24 माह	646386 770034	123648
	फूरसतपुर	अप्रैल 2016			लागू नहीं	3403413 3810373	24 माह	816819 914490	97671
	बसौता	अप्रैल 2016			लागू नहीं	1754198 3560799	24 माह	421008 854592	433584
	मेलानापुर	अप्रैल 2016			लागू नहीं	13230684 17078217	24 माह	3175364 4098772	923408
	पिरमेकर	मई 2016			लागू नहीं	51477663 51719118	24 माह	12354639 12412588	57949
	कसबामेकर	दिसम्बर 2016			लागू नहीं	29547348 30486421	24 माह	7091364 7316741	225377
	फूलवरीया	मई 2016			लागू नहीं	6712148 7328998	24 माह	1610916 1758960	148044
	पत्राहईखूर्द	जुलाई 2016			लागू नहीं	2125103 4698383	24 माह	510025 1127612	617587
	कुल								87147744

परिशिष्ट-8
(संदर्भ: कंडिका 3.3.3 द्वितीय बुलेट)
प्राक्कलन में अतिरिक्त मुआवजा का त्रुटिपूर्ण गणना

क्रम सं.	जिला का नाम	परियोजना का नाम	मौजा का नाम	अवधि जिस बीच प्राक्कलन स्वीकृत हुआ	अवधि जिसके दौरान सामाजिक प्रभाव विश्लेषण प्रकाशित किया गया	भूमि का बाजार मूल्य जिस पर अतिरिक्त मुआवजा राशि की गणना किया जाना था जिस मूल्य पर अतिरिक्त मुआवजा की गणना की गई	जिस दिन के लिए मुआवजा राशि आरोप्य था जिस अवधि के लिए मुआवजा राशि आरोपण किया गया	आरोप्य अतिरिक्त मुआवजा राशि अतिरिक्त मुआवजा राशि का आरोपण	अतिरिक्त मुआवजे का कम गणना
1	सारण	मढ़ौरा इंजन कारखाना	वाजिद बोहरा	मई 2016	लागू नहीं	43312766	23-04-2008 से 31-12-2013 तक (68 माह)	29452681 0	29452681
			तलपुरैना	मई 2016	लागू नहीं	51293189	23-04-2008 से 31-12-2013 तक (68 माह)	34879369 0	34879369
			वाजिद बोहरा	मई 2016	लागू नहीं	78948800	01-01-2014 से 14-08-2015 तक (20 माह)	15789760 0	15789760
			तलपुरैना	मई 2016	लागू नहीं	120559600	01-01-2014 से 14-08-2015 तक (20 माह)	24111920 0	24111920
		छपरा मुजफ्फरपुर नई रेल लाईन	शेरपुर	मार्च 2018	लागू नहीं	13352573 13352573	24 माह	3204617 1068206	2136411
		दीघा सोनपुर रेल पहुँच पथ	चौसिया	जून 2018	25.11.16 से 09.07.18	48471009 48471009	19 माह	9209492 3877681	5331811
			खरिका	जुलाई 2018	25.11.16 से 09.07.18	16381600 16381600	19 माह	3112504 1310528	1801976
			सुल्तानपुर	जून 2018	25.11.16 से 09.06.18	10688775 10688775	18 माह	2988024 1328011	1660014

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र)

क्रम सं.	जिला का नाम	परियोजना का नाम	मौजा का नाम	अवधि जिस बीच प्राक्कलन स्वीकृत हुआ	अवधि जिसके दौरान सामाजिक प्रभाव विश्लेषण प्रकाशित किया गया	भूमि का बाजार मूल्य जिस पर अतिरिक्त मुआवजा राशि की गणना किया जाना था जिस मूल्य पर अतिरिक्त मुआवजा की गणना की गई	जिस दिन के लिए मुआवजा राशि आवधिके लिए मुआवजा राशि का आरोपण किया गया	आरोप्य अतिरिक्त मुआवजा राशि अतिरिक्त मुआवजा राशि का आरोपण	अतिरिक्त मुआवजे का कम गणना
2	मुजफ्फरपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग 102	सादीपुर	फरवरी 2015	लागू नहीं	13966194 13966194	29 माह	4050196 1638235	2411961
			मारवांभोज	अप्रैल 2015	लागू नहीं	385320 385320	29 माह	111743 57143	54600
			पोखरिया	मई 2015	लागू नहीं	14803945 14803945	29 माह	4293144 2339023	1954121
			अख्तीयारपुर	जनवरी 2016	लागू नहीं	1705041 1705041	29 माह	494462 372211	122251
			पकुहीखास	नवम्बर 2015	लागू नहीं	6082375 6082375	29 माह	1763889 902016	861873
			उत्सेर	अक्टूबर 2018	लागू नहीं	32381102 32381102	607 दिन	6462026 5297548	1164478
			बसघट्टा	नवम्बर 2018	लागू नहीं	39752086 39752086	726 दिन	9488224 6304681	3183543
			खंगौराडीह	अक्टूबर 2018	लागू नहीं	6323003 6323003	684 दिन	1421896 1002829	419068
			बेरवारा	अक्टूबर 2018	लागू नहीं	884847 884847	602 दिन	175127 140336	34791
			जजुआर	मार्च 2019	लागू नहीं	135389010 135389010	745 दिन	33161034 22149642	11011392
			राम नगर	अक्टूबर 2018	लागू नहीं	32156352 32156352	725 दिन	7664665 5260779	2403886
			चकमहीउधीन	मई 2018	लागू नहीं	5978388 5978388	595 दिन	1169471 948172	221299

क्रम सं.	जिला का नाम	परियोजना का नाम	मौजा का नाम	अवधि जिस बीच प्राक्कलन स्वीकृत हुआ	अवधि जिसके दौरान सामाजिक प्रभाव विश्लेषण प्रकाशित किया गया	भूमि का बाजार मूल्य जिस पर अतिरिक्त मुआवजा राशि की गणना किया जाना था जिस मूल्य पर अतिरिक्त मुआवजा की गणना की गई	जिस दिन के लिए मुआवजा राशि आरोप्य था जिस अवधि के लिए मुआवजा राशि का आरोपण किया गया	आरोप्य अतिरिक्त मुआवजा राशि अतिरिक्त मुआवजा राशि का आरोपण	अतिरिक्त मुआवजे का कम गणना
			नागवारा	मई 2018	लागू नहीं	12810421 12810421	725 दिन	3053443 2031733	1021710
			हसनागढी	अक्टूबर 2018	लागू नहीं	15015254 15015254	597 दिन	2947104 2456496	490608
			भुसरा	मई 2018	लागू नहीं	29215615 29215615	602 दिन	5782290 4633597	1148694
			देवगन	मई 2018	लागू नहीं	525820 525820	626 दिन	108218 83395	24823
			राजदिहर सलेमपुर कटरा	जून 2018	लागू नहीं	24515317 24515317	598 दिन	4819779 3888129	931649
			कटरा	जून 2018	लागू नहीं	34373388 34373388	633 दिन	7153432 5623486	1529945
			धनौर	जून 2018	लागू नहीं	53730819 53730819	630 दिन	11128904 8790362	2338542
			सैदपुर	जून 2018	लागू नहीं	28897791 28897791	633 दिन	6013907 4727679	1286229
			विशुनपुर	मई 2018	लागू नहीं	9491408 9491408	612 दिन	1909723 1505337	404386
			पहसौल	मई 2018	लागू नहीं	15315746 15315746	630 दिन	3172248 2429077	743170
			तम्बोलीया	जून 2018	लागू नहीं	9070251 9070251	595 दिन	1774290 1483893	290397
			राघोपुर माझा	जून 2018	लागू नहीं	1662281 1662281	602 दिन	328995 271949	57046

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र)

क्रम सं.	जिला का नाम	परियोजना का नाम	मौजा का नाम	अवधि जिस बीच प्राक्कलन स्वीकृत हुआ	अवधि जिसके दौरान सामाजिक प्रभाव विश्लेषण प्रकाशित किया गया	भूमि का बाजार मूल्य जिस पर अतिरिक्त मुआवजा राशि की गणना किया जाना था जिस मूल्य पर अतिरिक्त मुआवजा की गणना की गई	जिस दिन के लिए मुआवजा राशि आवधि के लिए था जिस अवधि के लिए मुआवजा राशि का आरोपण किया गया	आरोप्य अतिरिक्त मुआवजा राशि अतिरिक्त मुआवजा राशि का आरोपण	अतिरिक्त मुआवजे का कम गणना
3	सहरसा	कोशी नदी पर बलूआघाट एवं गन्डौल के बीच पहुँच पथ	बाजिदपुर माझा	जून 2018	लागू नहीं	11933429 11933429	597 दिन	2342222 1952309	389913
			बहलोलपुर	जून 2018	लागू नहीं	7198199 7198199	602 दिन	1424652 1177625	247026
			राम खंगूरा	मई 2018	लागू नहीं	11871669 11871669	645 दिन	2517444 1882847	634598
			प्राणपुर	अक्टूबर 2013	लागू नहीं	11051331 11051331	316 दिन	1148127 0	1148127
			थनवार	अक्टूबर 2013	लागू नहीं	18474005 18474005	304 दिन	1846388 0	1846388
			बेलाही	अक्टूबर 2013	लागू नहीं	14226328 14226328	250 दिन	1169287 0	1169287
			बधवा हाट	मई 2015	लागू नहीं	20045605 20045605	175 दिन	1153309 0	1153309
			खिरोह	नवम्बर 2013	लागू नहीं	16825709 16825709	211 दिन	1167197 0	1167197
			गन्डौल	अगस्त 2013	लागू नहीं	62702 62702	358 दिन	7380 0	7380
			अटलखा	मई 2015	लागू नहीं	362165 362165	1001 दिन	119187 0	119187
			पैता	जुलाई 2013	लागू नहीं	1125000 1125000	235 दिन	86918 0	86918
			ग्वालपारा	नवम्बर 2013	लागू नहीं	800000 800000	235 दिन	61808 0	61808

क्रम सं.	जिला का नाम	परियोजना का नाम	मौजा का नाम	अवधि जिस बीच प्राक्कलन स्वीकृत हुआ	अवधि जिसके दौरान सामाजिक प्रभाव विश्लेषण प्रकाशित किया गया	भूमि का बाजार मूल्य जिस पर अतिरिक्त मुआवजा राशि की गणना किया जाना था जिस मूल्य पर अतिरिक्त मुआवजा की गणना की गई	जिस दिन के लिए मुआवजा राशि आरोप्य था जिस अवधि के लिए मुआवजा राशि का आरोपण किया गया	आरोप्य अतिरिक्त मुआवजा राशि अतिरिक्त मुआवजा राशि का आरोपण	अतिरिक्त मुआवजे का कम गणना
		सिमरीबख्तीयापुर में अवर प्रमंडलीय कार्यालय का निर्माण	मधुबन	अक्टूबर 2013	लागू नहीं	8574537 8574537	386 दिन	1088144 0	1088144
		मत्स्यगंधाजलाशय परियोजना	गोवरग्रा	दिसम्बर 2009	लागू नहीं	853608 1280412	906 दिन	254258 153650	100608
			अगुवानपुर	दिसम्बर 2009	लागू नहीं	681630 1022445	906 दिन	203033 122693	80340
			साहपुर	दिसम्बर 2009	लागू नहीं	94719 142079	906 दिन	28213 17050	11163
		कुल							158585797

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र)

परिशिष्ट-9

(संदर्भ: कडिका 4.3.10)

व्यवसायी स्थल पर वाहनों के निबंधन की प्रणाली में कमी

क्रम संख्या	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	बिक्रेताओं की संख्या	जॉच किये गये वाहनों की संख्या	अधिकृत बिक्रेता द्वारा बेचे गये वाहनों की संख्या				कुल	के बीच कर भुगतान	के बीच बेचे गये वाहन	विलम्ब दिनों में	दो चक्के वाली वाहनों पर ₹ 50 की दर से वसूलनीय अस्थायी निबंधन कर	तीन चक्के वाली/हल्के मोटर वाहन पर ₹ 100 की दर से आरोपीत अस्थायी निबंधन कर	₹ 20 की दर से आरोप्य अस्थायी शुल्क	कुल
				दो चक्का वाला	चक्का वाला	तीन चक्का वाला	हल्के मोटर वाहन एवं अन्य								
1	अरवल	6	1109	1040	17	12	1069	04/18 से 03/19	01/18 से 03/19	01 से 190	52000	2900	21380	76280	
2	औरंगाबाद	28	10236	9385	231	620	10236	03/18 से 03/19	02/17 से 03/19	01 से 766	469250	85100	204720	759070	
3	बेगुसराय	33	26590	22890	78	1526	24494	02/18 से 04/19	03/17 से 03/19	02 से 639	1144500	160400	489880	1794780	
4	भागलपुर	52	19639	17730	340	1241	19311	02/18 से 03/19	10/17 से 03/19	02 से 512	886500	158100	386220	1430820	
5	दरभंगा	44	28471	22078	403	811	23292	02/18 से 04/19	03/16 से 03/19	01 से 783	1103900	121400	465840	1691140	
6	पूर्वी चम्पारण	29	30267	29455	209	600	30264	03/18 से 03/19	12/15 से 03/19	01 से 1110	1472750	80900	605280	2158930	
7	गया	54	40012	37172	215	1650	39037	02/18 से 04/19	08/16 से 03/19	01 से 772	1858600	186500	780740	2825840	
8	कैमूर	6	3349	3306	0	0	3306	04/18 से 03/19	03/17 से 03/19	01 से 550	165300	0	66120	231420	
9	मुजफ्फरपुर	28	73924	60972	0	7222	68194	02/18 से 05/19	03/17 से 03/19	01 से 724	3048600	722200	1363880	5134680	

क्रम संख्या	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	बिक्रेताओं की संख्या	जॉच वाहनों की संख्या किये गये	अधिकृत बिक्रेता द्वारा बेचे गये वाहनों की संख्या				के बीच कर भुगतान	के बीच बेचे गये वाहन	विलम्ब दिनों में	दो चक्के वाली वाहनों पर ₹ 50 की दर से वसूलनीय अस्थायी निबंधन कर	तीन चक्के वाली/हल्के मोटर वाहन पर ₹ 100 की दर से आरोपीत अस्थायी निबंधन कर	₹ 20 की दर से आरोप्य अस्थायी शुल्क	कुल
				दो चक्का वाला	तीन चक्का वाला	हल्के मोटर वाहन एवं अन्य	कुल							
10	नालन्दा	45	23199	22564	257	315	23136	02/18 से 03/19	01/18 से 03/19	01 से 368	1128200	57200	462720	1648120
11	पटना	72	83160	75504	30	15721	91255	02/18 से 03/19	08/14 से 03/19	01 से 1402	3775200	1575100	1825100	7175400
12	पूरुगिया	28	31056	27168	631	3196	30995	03/18 से 02/19	03/13 से 02/19	01 से 1997	1358400	382700	619900	2361000
13	शिवहर	4	1952	1944	0	0	1944	04/18 से 03/19	03/17 से 03/19	01 से 596	97200	0	38880	136080
14	सिवान	28	33482	31821	27	1327	33175	02/18 से 03/19	03/17 से 03/19	01 से 530	1591050	135400	663500	2389950
15	बैशाली	31	31672	22949	0	1240	24189	02/18 से 04/19	02/17 से 03/19	01 से 414	1147450	124000	483780	1755230
	कुल	488	438118	385978	2438	35481	423897				19298900	3791900	8477940	31568740

परिशिष्ट-10

(संदर्भ: कंडिका 4.3.13.1)

सारथी सॉफ्टवेयर में सड़क सुरक्षा उपकरण के परिभाषन न होने के कारण चालक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए सड़क सुरक्षा उपकरण का आरोपण नहीं होना

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	ड्राईविंग अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण (₹100+₹150)	01/09/16 एवं 31/03/2019 के बीच नवीकृत	आरोप्य सड़क सुरक्षा उप करण
1	अरवल	446	सितम्बर 16 मार्च 19	111500
2	औरंगाबाद	2834	सितम्बर 16 मार्च 19	708500
3	बेगूसराय	7025	सितम्बर 16 मार्च 19	1756250
4	भागलपुर	1665	सितम्बर 16 मार्च 19	416250
5	दरभंगा	3216	सितम्बर 16 मार्च 19	804000
6	पूर्वी चम्पारण	2681	सितम्बर 16 मार्च 19	670250
7	गया	7954	सितम्बर 16 मार्च 19	1988500
8	कैमूर	2016	सितम्बर 16 मार्च 19	504000
9	मुजफ्फरपुर	8567	सितम्बर 16 मार्च 19	2141750
10	नालन्दा	1481	सितम्बर 16 मार्च 19	370250
11	पटना	33174	सितम्बर 16 मार्च 19	8293500
12	पूर्णिया	4776	सितम्बर 16 मार्च 19	1194000
13	शिवहर	771	सितम्बर 16 मार्च 19	192750
14	सिवान	5252	सितम्बर 16 मार्च 19	1313000
15	वैशाली	9880	सितम्बर 16 मार्च 19	2470000
	कुल	91738		22934500

परिशिष्ट-11
(संदर्भ: कडिका 4.3.16)
वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं किया जाना

क्रम संख्या	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	फिटनेस वैधता की अवधि		निर्बंधित किये गये वाहनों की संख्या	मुगतान किये गये कर की अवधि		वाहनों की संख्या जिनकी फिटनेस कालातीत हो गये थे		₹ 200 की दर से फिटनेस नवीकरण शुल्क	₹ 400 एवं ₹ 600 की दर से जॉच शुल्क	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	₹ 50 प्रति दिन के दर से दण्ड	कुल
		से	तक		से	तक	एकमुश्त कर	वार्षिक कुल					
1	अरवल	मार्च 17	जनवरी 20	2608	मार्च 10	जुलाई 36	853	10	172600	345600	03 से 1050	15667400	16185600
2	औरंगाबाद	जनवरी 17	अक्टूबर 19	12315	अगस्त 02	जनवरी 37	6671	423	1418800	2851600	03 से 1033	175073600	179344000
3	बेगुसराय	जनवरी 17	जून 19	19775	अप्रैल 90	जुलाई 32	5256	609	1173000	2359200	31 से 941	124875700	128407900
4	भागलपुर	जनवरी 17	जुलाई 19	12775	अप्रैल 03	नवम्बर 35	4974	47	1004200	2017800	03 से 941	112243900	115265900
5	दरभंगा	जनवरी 17	जून 19	26778	मार्च 99	मई 37	7749	201	1590000	3187600	03 से 910	179095000	183872600
6	पूर्वी चम्पारण	जनवरी 17	सितम्बर 19	18769	अप्रैल 03	जनवरी 37	6969	187	1431200	3024600	30 से 1032	204514850	208970650
7	गया	जनवरी 18	अप्रैल 19	18472	दिसम्बर 06	मई 33	5677	1151	1365600	3060600	03 से 479	72397800	76824000
8	कैमूर	जनवरी 17	अक्टूबर 19	10319	मई 03	सितम्बर 37	2775	279	610800	1232200	15 से 1048	80432450	82275450
9	मुजफ्फरपुर	जनवरी 17	मई 19	78572	जनवरी 10	अक्टूबर 36	9452	1299	2150200	4343200	30 से 910	261167250	267660650
10	नालन्दा	जनवरी 17	नवम्बर 19	14091	नवम्बर 95	जुलाई 37	5268	432	1140000	2298400	15 से 1078	125312700	128751100
11	पटना	जनवरी 18	मार्च 19	45000	जुलाई 09	दिसम्बर 36	8671	2127	2159600	5095800	03 से 425	114449800	121705200
12	पूणिया	मार्च 18	मार्च 19	20858	जनवरी 10	सितम्बर 29	6417	514	1386200	3013800	03 से 377	65335300	69735300
13	सारण	जनवरी 17	अगस्त 19	15775	अक्टूबर 04	जून 37	3920	334	850800	1872600	03 से 972	97571200	100294600
14	शिवहर	जून 17	जनवरी 20	478	फरवरी 12	सितम्बर 31	319	1	64000	128200	05 से 956	7338400	7530600
15	सिवान	फरवरी 17	दिसम्बर 19	10012	सितम्बर 11	जून 33	4200	76	855200	1710400	03 से 1046	66956100	69521700
16	वैशाली	जनवरी 17	मई 19	12978	सितम्बर 02	जून 32	4559	388	989400	1995600	03 से 880	110827700	113812700
				319575			83730	8078	18361600	38537200		1813259150	1870157950

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र)

परिशिष्ट-12

(संदर्भ: कंडिका 4.3.17.2)

कर के वसूली के बिना निबंधन प्रमाण पत्र का वितरण

क्रम संख्या	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	वाहन वर्ग						जॉच किये गये वाहनों की संख्या	निबंधित अवधि		निबंधन प्रमाण पत्र का वितरण अवधि		देय कर	देय दण्ड	कुल	
		ट्रैक्टर	तीन चक्का वाला	हल्का माल वाहन	मोटर कैब	मोटर कार	ई रिक्सा		कुल वाहन	अप्रैल 16	जुलाई 16	फरवरी 18				अप्रैल 18
1	अरवल	1	2	1	0	0	0	0	4	अप्रैल 16	जुलाई 16	फरवरी 18	सितम्बर 19	71050	142100	213150
2	औरंगाबाद	0	0	0	1	0	0	0	1	जून 16	जून 16	अप्रैल 18	अप्रैल 18	57325	114650	171975
3	बेगुसराय	7	2	0	2	0	0	0	11	जनवरी 16	अक्टूबर 18	जून 17	सितम्बर 18	356870	713740	1070610
4	दरभंगा	1	2	1	0	0	0	0	4	जनवरी 18	सितम्बर 18	अप्रैल 18	सितम्बर 18	54999	109999	164998
5	पूर्वी चम्पारण	17	0	0	0	0	1	18	9227	जनवरी 17	नवम्बर 18	मार्च 18	अप्रैल 19	380195	760390	1140585
6	गया	6	2	2	0	0	0	10	9345	जुलाई 16	जुलाई 18	फरवरी 18	अप्रैल 19	180137	360274	540411
7	कैमूर	16	0	0	0	0	0	16	4269	जुलाई 16	दिसम्बर 17	अक्टूबर 16	अक्टूबर 18	340382	680764	1021146
8	मुजफ्फरपुर	47	4	4	4	16	0	75	27636	अगस्त 17	मार्च 19	मार्च 18	जून 19	2459790	2808220	5268010
9	नालन्दा	8	0	0	0	0	0	8	4643	जनवरी 16	अगस्त 16	जुलाई 18	दिसम्बर 18	170357	340714	511071
10	पटना	9	1	4	5	0	4	23	35452	मई 16	मार्च 19	अगस्त 16	जुलाई 19	455670	911340	1367010
11	पूणिया	1	1	1	0	0	0	3	12375	अगस्त 17	दिसम्बर 18	जून 18	दिसम्बर 18	40123	80246	120369
12	शिवहर	2	0	0	0	0	0	2	1798	अक्टूबर 15	जुलाई 16	सितम्बर 17	फरवरी 18	39512	79024	118536
13	सिवान	0	1	4	0	0	0	5	3874	मार्च 15	दिसम्बर 16	मई 18	अप्रैल 18	68500	137000	205500
	कुल	115	15	17	12	16	5	180	129853					4674910	7238461	11913371

परिशिष्ट-13

(संदर्भ: कंडिका 5.4)

संपत्ति के अवमूल्यन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	जिला अवर निबंधक / अवर निबंधक का नाम	दस्तावेज/ प्रकार की संख्या	निबंधन की तिथि	जमीन का क्षेत्रफल बिक्रय दस्तावेज के अनुसार संपत्ति का मूल्यांकन	न्युनतम मूल्यांकन पंजी के अनुसार भूमि का वास्तविक मूल्य, भूमि पर स्थित संरचना को शामिल करते हुए, यदि कोई हो	मुद्रांक शुल्क			दो प्रतिशत की दर से निबंधन फीस		कुल कम वसूली (स्तम्भ 9+12)	अभ्युक्ति	
						आरोप्य	भुगतान किया	कम भुगतान	आरोप्य	भुगतान किया			कम भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	जिला अवर निबंधक / पटना	1 / बिक्री	26.06.19	1589000000	172550000	13804000	10005000	3799000	3451000	2502000	949000	4400000	अभिलेखों के आख्यान के अनुसार 98 डिसमील भूमि का सम्पूर्ण भूमि पधान सड़क पर स्थित था एवं वाणिज्यिक उद्देश्य से खरीदा गया था जिसका बाजार मूल्य ₹ 17.26 करोड़ था, हालांकि जिला अवर निबंधक ने इस तथ्य के बावजूद कि आख्यान के अनुसार मूल्य ₹ 15.89 करोड़ था, मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की गणना का आधार राशि मात्र ₹ 12.51 करोड़ पर किया।
2.	जिला अवर निबंधक / औरंगाबाद	1 / बिक्री	24.05.15	14364000	75222000	4287654	818748	3468906	1429218	272916	1156302	4625208	24 मई 2018 को 219.5 डिसमील जमीन को तीन बिक्री दस्तावेजों के रूप में निबंधित किया गया था। इनमें से 199.5 डिसमील जमीन एक एकल भूखण्ड था जिसने तीन भागों में बँटा गया था। 161 डिसमील के बड़े भाग को कृषि श्रेणी में दिखाया गया था जबकि मुख्य सड़क से सटा हुआ छोटे भाग को आवासीय श्रेणी में दिखाया गया था। बिक्रय दस्तावेजों के इन सभी तीन मामलों में क्रैता एवं विक्रेता एक ही व्यक्ति थे। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि उच्च मूल्यांकन से बचने के इरादे से जमीन को बँटा गया था जिसके परिणामस्वरूप कम मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण हुआ।
		कुल				18091661	10823756	7267915	4880228	2774927	2105314	9025208	

परिशिष्ट-14

(संदर्भ: कंडिका 6.3)

कार्य संवेदकों द्वारा खनिज की अनियमित अधिप्राप्ति के लिए अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	खनन कार्यालय का नाम	कार्य प्रमंडल का नाम	अवधि	कटौति की गई रॉयल्टी की राशि	रॉयल्टी के समतुल्य आरोप्य दण्ड
1	बेतिया	कार्यपालक अभियंता, जल निकास प्रमंडल, बेतिया	2017.18 से 2018.19	63,14,949	63,14,949
		कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बेतिया	2017.18	23,86,027	23,86,027
2	गया	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टेकारी, गया	2017.18 से 2018.19	4,53,39,171	4,53,39,171
		कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचकबथानी, गया	2017.18 से 2018.19	2,87,26,405	2,87,26,405
		कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी, गया	2017.18 से 2018.19	4,35,30,874	4,35,30,874
3	जमुई	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जमुई	2016.17 से 2018.19	86,48,415	86,48,415
		कार्यपालक अभियंता, सड़क निर्माण प्रमंडल, सिकन्दरा	2016.17	16,21,037	16,21,037
4	मुजफ्फरपुर	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल (पश्चिम), मुजफ्फरपुर	2017.18 से 2018.19	2,94,11,700	2,94,11,700
		कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल (पूर्व-1), मुजफ्फरपुर	2017.18 से 2018.19	4,73,61,474	4,73,61,474
		कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल (पूर्व-2), मुजफ्फरपुर	2017.18 से 2018.19	4,11,25,104	4,11,25,104
		उप महाप्रबंधक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई बिहार राज्य सड़क निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर	2017.18 से 2018.19	21,69,337	21,69,337
		कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, मुजफ्फरपुर	2017.18 से 2018.19	1,01,59,586	1,01,59,586
5	नवादा	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा	2017.18 से 2018.19	3,39,11,051	3,39,11,051
		कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली	2017.18 से 2018.19	2,48,70,898	2,48,70,898
		कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नवादा	2017.18 से 2018.19	12,91,354	12,91,354
6	सारण	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-1, छपरा	2017.18 से 2018.19	69,38,271	69,38,271
		कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर	2016-17 से 2018-19	3,83,93,036	3,83,93,036
		कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, छपरा	2016-17 से 2018-19	2,10,78,841	2,10,78,841
		कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमंडल-1, छपरा	2016-17 से 2018-19	67,73,697	67,73,697
		कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, छपरा	2016-17 से 2018-19	86,93,078	86,93,078
		कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, मढौडा	2016-17 से 2018-19	2,69,55,520	2,69,55,520
		कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास प्रमंडल, छपरा	2016-17 से 2018-19	2,66,48,954	2,66,48,954
		कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमंडल, छपरा	2016-17 से 2018-19	18,37,304	18,37,304
कुल				46,41,86,083	46,41,86,083

परिशिष्ट-15
(संदर्भ: कडिका 6.5)
पत्थर खदान एवं बालू घाट के पट्टेदारों से ब्याज की वसूली नहीं किया जाना

क्रम सं०	खनन कार्यालय का नाम	पट्टेदार का नाम (खनीज का प्रकार)	पट्टे की अवधि	निलाम की राशि	किस्त संख्या / किस्त की राशि	देय तिथि	भुगतान की गई राशि	भुगतान की तिथि	शेष राशि	भुगतान में विलम्ब	60 दिनों तक 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज एवं उसके बाद 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से	ब्याज की वसूली नहीं	
1	अपर समाहर्ता, गया	आई.एल. एण्ड एफ.एस. इंजीनियरिंग एण्ड कन्सल्टेशन कम्पनी लिमिटेड (पत्थर)	पट्टा निष्पादन की तारीख से 5 वर्ष (17-08-2015)	37,00,00,000	वर्ष का तीसरा किस्त 2017/7,40,00,000 वर्ष का चौथा किस्त 2018/7,40,00,000	31-01-2017 31-01-2018	74000000 74000000	06-02-2017 08-02-2018 से 09-03-2018	0 0	6 दिन 8 दिन से 37 दिन	291945 1609644	291945 1609644	
2	अपर समाहर्ता, नवादा	मेसर्स जय माता डी इन्टरप्राइजेज (बालू)	2015 से 2019	7,66,00,000 (अगले लगातार वर्ष के लिए 2015 की बन्दोबस्त राशि का 20 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी की शर्त के साथ)	वर्ष का अधिक रायल्टी 2017/14286694 (2018 का पहला किस्त) /66182400 (2018 का दूसरा किस्त) / 33091200 वर्ष 2018 का अधिक रायल्टी /14635082 (2019 का पहला किस्त) /79418880	31-12-2017 15-12-2017 15-04-2018 31-12-2018 15-12-2018	14286694 66182400 33091200 14635082 79418880	31-03-2018 15-12-2017 से 27-12-2017 04-05-2018 से 14-05-2018 16-03-2019 17-12-2018	0 0 0 0 0	90 दिन 12 दिन 19 दिन से 29 दिन 75 दिन 2 दिन	739776 206590 565246 667600 104441	739776 206590 565246 667600 104441	
कुल											355614256	4185242	4185242

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

प्रतिवेदन डाउनलोड
करने हेतु
क्यू0 आर0
कोड स्कैन करें



www.ag.bih.nic.in